

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-गुना
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 30,000/- (रूपये तीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4821/08 दिनांक 03.07.08 आर. 748	1. श्री मदनलाल ग्राम पिपरोदागिदं जिला गुना (दोनो पैरो से विकलांग हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
	एचसीएम. 4825/08 दिनांक 03.07.08 आर. 748	2. श्री अमर सिंह ग्राम पिपरोदागिदं जिला गुना (पैरो के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
	एचसीएम. 4828/08 दिनांक 03.07.08 आर. 748	3. श्री मेहरबान सिंह ग्राम करोद जिला गुना (स्वयं के गंभीर बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)

2	एचसीएम. 4832/08 दिनांक 03.07.08 आर. 748	1. श्रीमती अनिता जैन पत्नी श्री सुभाष जैन सदर बाजार राधौगढ़ जिला गुना (दो पुत्रों की ब्रेनहेमरेज से मृत्यु हो जाने के कारण सहायता)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
	एचसीएम. 4836/08 दिनांक 03.07.08 आर. 748	2. श्री हरचंद पुत्र श्री भेरूलाल लोधा ग्राम गोविंदपुरा तह. कुंभराज जिला गुना (अखाड़ा प्रदर्शन में घायल हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 30,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 30,000/- (रूपये तीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- गुना (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-छिंदवाड़ा
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4879/08 दिनांक 03.07.08 आर. 749	श्री संजय ढगे ग्राम तिनखेड़ा सौंसर जिला छिंदवाड़ा (पुत्री योगिता के पेट के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 4880/08 दिनांक 03.07.08 आर. 749	श्री कृष्णचंद कुरेले फारेस्ट कालोनी रोड वार्ड न. 17 जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा (पोते के विकलांगिता के कारण उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 10,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-शाजापुर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 43,000/- (रूपये त्रितालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4881/08 दिनांक 03.07.08 आर. 750	श्री रज्जाक टपका बंसतपुर जिला शाजापुर (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 4882/08 दिनांक 03.07.08 आर. 750 मा. विधायक श्री फूलसिंह मेवाड़ा	श्रीमती अर्चना बाई पत्नी श्री रामचंद्र ग्राम मेहरखेड़ी जिला शाजापुर (एपेडिंक्स के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 4883/08 दिनांक 03.07.08 आर. 750	श्री राधेश्याम पुत्र श्री हीरालाल सोयत जिला शाजापुर (भाई प्रेमचंद के जल जाने से उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम. 4884/08 दिनांक 03.07.08 आर. 750	श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री गोविंद निपानिया बैजनाथ जिला शाजापुर (बच्चेदानी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
5	एचसीएम. 4885/08 दिनांक 03.07.08 आर. 750	श्री रमेशचंद्र भवरजी ग्राम महेरखेड़ी पो. भीलखेड़ी तह. शुजालपुर जिला शाजापुर (पुत्री के गुदा रोग के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
6	एचसीएम. 4886/08 दिनांक 03.07.08 आर. 750	श्री विष्णु प्रसाद पुत्र श्री गोकुल तह. शुजालपुर जिला शाजापुर (पुत्री के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)

		योग:-	रूपये 43,000/-
--	--	-------	----------------

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 43,000/- (रूपये त्रितालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पू. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- शाजापुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-उज्जैन
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 55,000/- (रूपये पचपन हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4887/08 दिनांक 03.07.08 आर. 751	श्री मोहनलाल पिता श्री नानूराम बापना कालोनी सेंटपाल स्कूल के पास जिला उज्जैन (पुत्री ज्योति के ब्लड कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 4819/08 दिनांक 03.07.08 आर. 751	श्री सदर काजी आटो चालक जानसापुरा जिला उज्जैन (तेजाब से जल जाने से उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम. 4823/08 दिनांक 03.07.08 आर. 751	श्री श्रीराम शर्मा महावीर नगर भैरुगढ. रोड म.न. 27 गली नं. 3 पिपली नाका जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 35,000/- (पैंतीस हजार) पूर्व में आदेश क्र. 179 दिनांक 04/06/08 द्वारा अस्पताल के नाम स्वीकृत राशि को निरस्त करते हुए।
योग:-			रूपये 55,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 55,000/- (रूपये पचपन हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का

आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- उज्जैन (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-धार
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4829/08 दिनांक 03.07.08 आर. 752	देवीपुरा नर्तक दल टाण्डा जिला धार (घोषणा के पालन में) (घोषणा क्रमांक 4114 दिनांक 3 मई 2008)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार) नियमों को शिथिल कर
योग:-			रूपये 25,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- धार (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24 /07 /2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-खरगौन
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4834 /08 दिनांक 03.07.08 आर. 753	श्रीमती नीमा बाई पत्नी स्व श्री भूरु झमराल बड़वाह जिला खरगौन (पति की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000 /- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 4837 /08 दिनांक 03.07.08 आर. 753	श्री लक्ष्मीराम पिता श्री शोभाराम बहेगांव तह. महेश्वर जिला खरगौन (पुत्री के हृदय वाल्व के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार)
योग:-			रूपये 15,000 /-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- खरगौन (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

**मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--**

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-नीमच
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4841/08 दिनांक 03.07.08 आर. 754	श्री उदयलाल भील पिता श्री रामचंद्र ग्राम बोरखेड़ी पानड़ी जिला नीमच (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 4844/08 दिनांक 03.07.08 आर. 754	श्री मोहनदास बैरागी पिता श्री रूपदास बैरागी ग्राम सिंगोली तह. जावद जिला नीमच (पत्नी के पेट के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 4847/08 दिनांक 03.07.08 आर. 737	श्री भूरु पिता श्री अब्दुल वहीद वार्ड नं. 16 किदवई गंज नीमच कंट जिला नीमच (हाथ एवं पैर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 20,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान

का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर **15 दिवस के भीतर** निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- नीमच (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-रीवा
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4851/08 दिनांक 03.07.08 आर. 755	श्री दशरथ प्रसाद सोधिया पिता श्री सुदाम प्रसाद सोधिया ग्राम करह पो. पहाड़ी तह. मऊगंज जिला रीवा (मानसिक रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 5,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- रीवा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।**
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-पन्ना
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 14,000/- (रूपये चौदह हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4854/08 दिनांक 03.07.08 आर. 756	श्री फग्गू यादव तनय श्री मुन्नीलाल यादव अमानगंज जिला पन्ना (पैरो के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
2	एचसीएम. 4857/08 दिनांक 03.07.08 आर. 756	श्री रमेश कुमार शर्मा तनय श्री नोनेलाल शर्मा ग्राम गोल्ही तह. पवई जिला पन्ना (हाथ के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 14,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 14,000/- (रूपये चौदह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- पन्ना (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे ।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे । सर्वर में फीड करावे ।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-सतना/रीवा
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4860/08 दिनांक 03.07.08 आर. 757	श्री लल्लूराम तनय श्री गनपत गुप्ता अमरपाटन जिला सतना (आख के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 4862/08 दिनांक 03.07.08 आर. 757	श्री चूड़ामणि द्विवेदी ग्राम डाढा ग्राम पंचायत बुसौल जनपद सिरमौर जिला रीवा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
योग:-			रूपये 15,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 / 2008 / एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 24 / 07 / 2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- सतना/रीवा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-झाबुआ
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4866/08 दिनांक 03.07.08 आर. 758	श्रीमती श्यामकुवर पत्नी श्री दिनेश सिंह सोलकीं चैतन्य मार्ग थान्दलागेट जिला झाबुआ (स्तर कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 4869/08 दिनांक 03.07.08 आर. 758	श्री अनवर पिता श्री अशरफ ग्राम बोरी तह. जोबट जिला झाबुआ (हिप सर्जरी हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
योग:-			रूपये 15,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- झाबुआ (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-डिण्डोरी
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4873/08 दिनांक 03.07.08 आर. 759	श्री शिवकुमार राय ग्राम धिवरनकला शहपुरा जिला डिण्डोरी (पुत्री के उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार)
		योग:-	रूपये 20,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- डिण्डोरी (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रिजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-उमरिया
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4875/08 दिनांक 03.07.08 आर. 760 घोषणा क्रमांक 4431 दिनांक 24/05/08 का क्रियान्वयन	कर्मा नृत्य दल के मुखिया एवं सदस्यों को सहायता ग्राम बिछरिया जिला उमरिया (घोषणा के पालन में)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार) नियमों को शिथिल कर
योग:-			रूपये 15,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा **इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर **15 दिवस के भीतर** निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय

भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- उमरिया (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-353/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 02/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-खंडवा/रायसेन /विदिशा/भोपाल/राजगढ़
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 3,65,000/- (रूपये तीन लाख पैसठ हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4978/08 दिनांक 10.07.08 आर. 761	संचालक, भोपाल फौव्वर हास्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर ई-3/28ए, अरेरा कालोनी भोपाल श्रीमती सुनीता पत्नि श्री दयाराम नि. ग्राम जामगढ़, जिला खंडवा (उपचार हेतु)	रूपये 35,000/- (पैंतीस हजार)
2	एचसीएम. 4979/08 दिनांक 10.07.08 आर. 761	संचालक, चिरायु हेल्थ एंड मेडीकल प्रा. लि. 6, मालीपुरा भोपाल श्री रामधर यादव आ. श्री राम नारायण यादव नि. वार्ड नं. 12, औबेदुल्लागंज जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 40,000/- (चालीस हजार)

3	एचसीएम. 4980 / 08 दिनांक 10.07.08 आर. 761	संचालक एल.बी.एस. हास्पिटल, 73 ताजुल मस्जिद रोड, मोतिया तालाब के सामने, भोपाल श्री कल्याणसिंह यादव आ. श्री. राजाराम नि. ग्राम पडरिया सीताराम, तह. बेगमगंज जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 25,000 / - (पच्चीस हजार)
4	एचसीएम. 4981 / 08 दिनांक 10.07.08 आर. 761	श्रीमती मीना आरोडा। पत्नि स्व. श्री वीरेन्द्र कुमार अरोड़ा नि. पठारपुरा वार्ड नं.17, गंज बासौदा, जिला विदिशा (पति की अकाल मृत्यु होने पर)	रूपये 25,000 / - (पच्चीस हजार)
5	एचसीएम. 4982 / 08 दिनांक 10.07.08 आर. 761	संचालक एल.बी.एस. हास्पिटल, 73, ताजुल मस्जिद रोड, मोतिया तालाब के सामने, भोपाल श्री प्रमोद कुमार मेहरा आ. श्री देवेन्द्र कुमार मेहरा नि. ग्राम सरदार नगर जिला सीहोर (किडनी के उपचार हेतु)	रूपये 60,000 / - (साठ हजार)
6	एचसीएम. 4983 / 08 दिनांक 10.07.08 आर. 762	अग्रवाल हॉस्पिटल ई-3/15 अरेरा कॉलोनी, भोपाल श्री शंभुदयाल शर्मा आ. स्व. श्री छुट्टुलाल शर्मा नि. ग्राम तारावली जिला विदिशा (लंग्स के उपचार हेतु)	रूपये 20,000 / - (बीस हजार)
7	एचसीएम. 4984 / 08 दिनांक 10.07.08 आर. 762	संचालक, चरक हस्पताल जहांगीराबाद भोपाल श्री रतनचंद जैन आ. श्री हजारीलाल जैन नि. ग्राम बाडी जिला रायसेन (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 20,000 / - (बीस हजार)
8	एचसीएम. 4985 / 08 दिनांक 10.07.08 आर. 762	संचालक, अंकुर नर्सिंग होम एवं प्रसूति गृह प्रिंस कॉलोनी शाहजहानाबाद भोपाल श्रीमती रामकुमारी तिवारी पत्नि श्री राकेश कुमार तिवारी निवासी ग्राम खपरियाकलां तहसील बरेली जिला रायसेन (बच्चेदानी की शल्य क्रिया हेतु)	रूपये 20,000 / - (बीस हजार)

9	एचसीएम. 4986 / 08 दिनांक 10.07.08 आर. 762	अधिष्ठाता, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल श्रीमती शांतीदेवी पत्नी श्री ब्रम्हदीन निवासी म.न.25, यशवंत नगर, सलामतपु, जिला रायसेन (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 30,000 / - (तीस हजार)
10	एचसीएम. 4988 / 08 दिनांक 10.07.08 आर. 762	संचालक, सिटी हॉस्पिटल, 115, जोन.2, एम.पी.नगर, भोपाल श्रीमती सुशीला पत्नी श्री रामप्रकाश नि. ग्राम गादर तह. बुधनी जिला सीहोर (सिर की शल्यक्रिया हेतु)	रूपये 40,000 / - (चालीस हजार)
11	एचसीएम. 4989 / 08 दिनांक 10.07.08 आर. 762	संचालक इंदौर कैंसर फाउन्डेशन इंदौर श्री सिद्धनाथ विश्वकर्मा आ. श्री बोदर सिंह विश्वकर्मा नि. पी.टी. कॉलोनी के पीछे जिला राजगढ़ (मुह के कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 50,000 / - (पचास हजार)
योग:-			रूपये 3,65,000 / -

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 3,65,000/- (रूपये तीन लाख पैसठ हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 353/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 02/08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- खंडवा/रायसेन/विदिशा/भोपाल/राजगढ़ (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-355/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-रायसेन/देवास/सागर/होशंगाबाद/सीहोर/भोपाल/शाजापुर/
शहडोल/बैतूल
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 6,10,000/- (रूपये छह लाख दस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4990/08 दिनांक 10.07.08 आर. 763	संचालक, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ईदगाह हिल्स भोपाल श्रीमती सकुन बाई पत्नि श्री हेतराज पाठक नि. ग्राम टेहरी मरपाल तह. गैरतगंज जिला रायसेन (पति के कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
2	एचसीएम. 4991/08 दिनांक 10.07.08 आर. 763	श्री हमीरसिंह आ. श्री गुलाब सिंह नि. ग्राम मनकापुर तह. बरेली जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
3	एचसीएम. 4992/08 दिनांक 10.07.08 आर. 763	संचालक, ग्लोबल, लिवर एवं पेट रोग निदान केन्द्र, ई- 5/24 अरोरा कालोनी, भोपाल श्रीमती सीमा चौहान पत्नि श्री बाल सिंह चौहान, निवासी ग्राम बड़ोदिया तहसील बरेली जिला रायसेन (लीवर के उपचार हेतु)	रूपये 40,000/- (चालीस हजार)

4	एचसीएम. 4993 / 08 दिनांक 10.07.08 आर. 763	संचालक, चौईथराम हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मानिक बाग रोड इंदौर श्री नितिन दुबे आ. श्री जीवनप्रकाश दुबे निवासी 10 महावीर मार्ग सोनकच्छ जिला देवास (उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000 / - (एक लाख)
5	एचसीएम. 4994 / 08 दिनांक 10.07.08 आर. 763	संचालक, अग्रवाल हॉस्पिटल, ई-3/15, अरेरा कॉलोनी, भोपाल श्री विष्णुप्रसाद सेठ निवासी बाइसा मोहल्ला, तपाकुंआ के पास, जिला-सागर (हृदय के उपचार हेतु)	रूपये 40,000 / - (चालीस हजार)
6	एचसीएम. 4995 / 08 दिनांक 10.07.08 आर. 764	संचालक, चरक हॉस्पिटल जहांगीराबाद भोपाल श्रीमती शकुन बाई पत्नी श्री अर्जुन चौबे निवासी ग्राम आचलखेड़ा जिला होशंगाबाद (उपचार हेतु)	रूपये 40,000 / - (चालीस हजार)
7	एचसीएम. 4996 / 08 दिनांक 10.07.08 आर. 764	संचालक, नर्मदा ट्रामा सेंटर प्रा. लि. ई-3/23, अरेरा कालोनी भोपाल श्री प्यारेपुरी गोस्वामी आ. श्री केवलपुरी गोस्वामी ग्राम व पोस्ट बोरी तहसील रेहटी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 60,000 / - (साठ हजार)
8	एचसीएम. 4997 / 08 दिनांक 10.07.08 आर. 764	श्री कैलाश कापसे, भृत्य, नि. आई-1, ओमनगर क्रमांक -3 एम.एल.ए विश्राम गृह पुलिस चौकी के पास जिला भोपाल (पुत्री को थेलिसिमिया रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000 / - (पन्द्रह हजार)
9	एचसीएम. 4998 / 08 दिनांक 10.07.08 आर. 764	संचालक, नवोदय कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 41 जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल श्री मांगीलाल आ. श्री प्रभुलाल नि. ग्राम मोहम्मदपुर मछलाई तह. कालापपीपल, जिला शाजापुर (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 50,000 / - (पचास हजार)
10	एचसीएम. 5000 / 08 दिनांक 10.07.08 आर. 765	श्री निजामुद्दीन नि. जैन मंदिर चौक, सर्वोदय मार्केट, जिला शहडोल (पुत्री नादिया खतून के उपचार हेतु)	रूपये 25,000 / - (पच्चीस हजार)
11	एचसीएम. 5001 / 08 दिनांक 10.07.08 आर. 765	संचालक, नर्मदा ट्रामा सेंटर प्रा. लि. ई-3/23, अरेरा कालोनी भोपाल श्री चन्द्रभान सिंह चौहान निवासी गूगलवाड़ा जिला रायसेन (बांये कंधे की शल्यक्रिया हेतु)	रूपये 45,000 / - (पैंतालीस हजार)

12	एचसीएम. 5002/08 दिनांक 10.07.08 आर. 765	संचालक, नवोदय कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 41 जोन.-2 एम.पी. नगर भोपाल श्रीमती धर्मवती तिवारी नि. द्वारा श्री डी. एस. तिवारी 307, कटारा हिल्स पो.आ. बागमुगालिया भोपाल (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार)
13	एचसीएम. 5003/08 दिनांक 10.07.08 आर. 765	संचालक, चौधरी फ़ेक्चर एक्सीडेंट एंड सर्जिकल हॉस्पिटल, गुजरी बाजार कामठी नागपुर श्रीमती अनिता शेख पत्नि श्री शेख फज्जू नि. वार्ड नं. 14. भीमनगर, आमला जिला बैतूल (उपचार हेतु)	रूपये 45,000/- (पैंतालीस हजार)
14	एचसीएम. 5004/08 दिनांक 10.07.08 आर. 765	संचालक, एल.बी.एस हॉस्पिटल 73, ताजुल मस्जिद रोड, मोतिया तालाब के सामने भोपाल श्री विशाल आ. स्व. श्री पूरन सिंह निवासी जी-11 रामनगर कालोनी शाहजानाबाद भोपाल जिला भोपाल (सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार)
योग:-			रूपये 6,10,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 6,10,000/- (रूपये छह लाख दस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 355/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- रायसेन/देवास/सागर/ होशंगाबाद/सीहोर/
भोपाल/ शाजापुर/शहडोल/बैतूल (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट
के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन
संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-354/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 02/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-भोपाल/सीहोर/विदिशा
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 3,46,500/- (रूपये तीन लाख छयालीस हजार पांच सौ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5005/08 दिनांक 11.07.08 आर. 766	श्रीमती सुमित्राबाई पत्नि श्री प्रभुनाथ नि. झुग्गी नं. 216, वार्ड क्र. 31, बापू नगर झुग्गी बस्ती कोटरा, जिला भोपाल (पुत्र के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 5006/08 दिनांक 11.07.08 आर. 766	श्री अमरसिंह आ. श्री भंवर सिंह नि. ग्राम चींच, हाल मुकाम सर्वहारा कॉलोनी, नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 5007/08 दिनांक 11.07.08 आर. 766	श्री मेहरबान सिंह आ. श्री कनीराम नि. ग्राम नाथू बरखेड़ा, जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)

4	एचसीएम. 5008/08 दिनांक 11.07.08 आर. 766	श्री श्यामसिंह कहार आ. श्री विष्णुप्रसाद कहार नि. वार्ड क. 2 ग्राम बकतरा तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
5	एचसीएम. 5009/08 दिनांक 11.07.08 आर. 766	श्री कमलसिंह कहार आ. श्री विष्णुप्रसाद कहार नि. वार्ड क. 2 ग्राम बकतरा तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
6	एचसीएम. 5010/08 दिनांक 11.07.08 आर. 766	संचालक, अजवानी आई हॉस्पिटल बेरसिया रोड, भोपाल श्रीमती बिरिया बाई नि. ग्राम जैत तह. बुधनी जिला सीहोर (आंख के उपचार हेतु)	रूपये 16,500/- (सोलह हजार पांच सौ)
7	एचसीएम. 5013/08 दिनांक 11.07.08 आर. 767	संचालक, एल.बी.एस. हास्पिटल, 73, ताजुल मस्जिद रोड मोतिया तालाब के सामने भोपाल श्री सांतोष जंगले निवासी 46 महावीर मार्ग किलेअंदर जिला विदिशा (पत्नी श्रीमती प्रतिभा के उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार)
8	एचसीएम. 5014/08 दिनांक 11.07.08 आर. 767	संचालक नेशनल हास्पिटल ई-3/61 अरेरा कालोनी भोपाल श्री रामस्वरूप गुर्जर नि. ग्राम करारिया चौराहा जिला विदिशा (पुत्री अनिता के उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार)
9	एचसीएम. 5015/08 दिनांक 11.07.08 आर. 767	संचालक, एल.बी.एस. हास्पिटल, 73, ताजुल मस्जिद रोड मोतिया तालाब के सामने भोपाल श्री सूरज सिंह अहिरवार आ. श्री गंगाराम अहिरवार निवासी राजेन्द्र नगर बक्सरिया वार्ड क. 1 जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 75,000/- (पचहत्तर हजार)
10	एचसीएम. 5016/08 दिनांक 11.07.08 आर. 767	संचालक, भोपाल मेमोरियल हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रायसेन बायपास रोड. भोपाल श्री कैलाश नारायण शर्मा निवासी म.न. 19 दुर्गा नगर जिला विदिशा (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000/- (एक लाख)

11	एचसीएम. 5017/08 दिनांक 11.07.08 आर. 767	संचालक, भोपाल मेमोरियल हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रायसेन बायपास रोड. भोपाल श्रीमती कुसुम बाई पत्नी श्री रघुराज सिंह नि. ग्राम आमखेड़ा कालू तहसील नटेरन जिला विदिशा (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 30,000/- (तीस हजार)
		योग:-	रूपये 3,46,500/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 3,46,500/- (रूपये तीन लाख छयालीस हजार पांच सौ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 02/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 354/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल

3. कोषालय अधिकारी, जिला— भोपाल/सीहोर/विदिशा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन—ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-351/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 02/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-नरसिंहपुर/भोपाल/गुना/मुरैना/रीवा/शाजपुर/बालाघाट
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 94,000/- (रूपये चौरान्बे हजार) मात्र मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5018/08 दिनांक 11.07.08 आर. 768	संचालक, ग्लोबल हॉस्पिटल , ई-5/24 अरेरा पैट्रोल पंप के सामने भोपाल श्री सुदामा प्रसाद राय आ. स्व. श्री फूलचंद राय निवासी मुकाम पोस्ट गांधी वार्ड कंदेली नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर (लीवर के उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार)
2	एचसीएम. 5019/08 दिनांक 11.07.08 आर. 768	श्री गौतम बागुल निवासी आवास क्र. 144 राहुल नगर एम.ए.एन.आई. टी रोड जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 5020/08 दिनांक 11.07.08 आर. 768	श्री निरपत सिंह आ. श्री मथुरालाल नि. ग्राम परेवा पोस्ट टोडरा तह. राधोगढ़ जिला गुना (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार)

4	एचसीएम. 5021/08 दिनांक 11.07.08 आर. 768	श्री सोनेराम कुशवाह आ. श्री रामदयाल कुशवाह नि. ग्राम बारा तह. जौरा जिला मुरैना (पुत्र परसराम के उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार)
5	एचसीएम. 5022/08 दिनांक 11.07.08 आर. 769	श्रीमती उमा अवरस्थी पत्नि श्री पेश्वनी अवरस्थी नि. ग्राम लौहदवार, तह रायपुर कर्चु जिला रीवा (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
6	एचसीएम. 5023/08 दिनांक 11.07.08 आर. 769	श्री सुरेशप्रसाद साकेत आ. श्री गौरीप्रसाद नि. ग्राम बेलहाई पो. शुकुलगवां जिला रीवा (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
7	एचसीएम. 5024/08 दिनांक 11.07.08 आर. 769	संचालक, एल.बी.एस. हास्पिटल, 73 ताजुल मस्जिद रोड मोतिया तालाब के सामने भोपाल श्री भंवरलाल शर्मा आ. श्री हीरालाल शर्मा नि. ग्राम साधनखेड़ी, तहसील कालापीपल जिला शाजापुर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
8	एचसीएम. 5025/08 दिनांक 11.07.08 आर. 769	श्रीमती उमाबाई पत्नि श्री विष्णुप्रसाद पाटीदार नि. ग्राम खोंकरकलां, तह. कालापीपल जिला शाजापुर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
9	एचसीएम. 5026/08 दिनांक 11.07.08 आर. 769	श्री अकिंत द्विवेदी आ. स्व श्री चन्द्रनाथ द्विवेदी नि. ग्राम पंचायत मलुहा, तह. रायपुर कर्चु जिला रीवा (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
10	एचसीएम. 5027/08 दिनांक 11.07.08 आर. 769	श्रीमती केशरबाई गाडेश्वर पत्नि श्री मिरेन्द्र गाडेश्वर निवासी मु. बोट्टा पो मोहगांव तह. लालबर्सा जिला बालाघाट (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
11	एचसीएम. 5028/08 दिनांक 11.07.08 आर. 769	श्री सतोष कुमार आ. श्री रणछोड़ सिंह नि. पगरावदकलां, तह. शुजालपुर जिला शाजापुर (पत्नि के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
योग:-			रूपये 94,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 94,000/- (रूपये चौरान्बे हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का

आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 02/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 351/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- नरसिंहपुर/भोपाल/गुना/मुरैना/रीवा/शाजपुर /बालाघाट (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30 / 07 / 2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-भोपाल
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये- 1,72,059/- (रूपये एक लाख बहत्तर हजार उनसठ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5134/08 दिनांक 15.07.08 आर. 770	संचालक चिरायु हास्पिटल एण्ड मेडीकेयर सेंटर भोपाल श्री सुखराम, जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 1,059/- (एक हजार उनसठ)
2	एचसीएम. 5139/08 दिनांक 15.07.08 आर. 770	श्रीमती पुष्पा खानचन्दानी द्वारा करण पुष्पा म. नं. 219 कैम्प नं. 12 सी.टी.ओ. बैरागढ़ जिला भोपाल (स्त्री रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम. 5143/08 दिनांक 15.07.08 आर. 770	श्रीमती भारती जोशी पत्नी श्री आर. के. जोशी चन्द्रा अपार्टमेंट ए-सेक्टर सर्वधर्म कालोनी कोलार रोड जिला भोपाल (पुत्र के ब्रेन ट्यूमर के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
4	एचसीएम. 5146/08 दिनांक 15.07.08 आर. 770	श्री रईस पिता श्री शौकत न्यू आरिफ नगर रेल्वे लाईन झुग्गी निशातपुरा जिला भोपाल (पत्नी एवं पुत्री की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
5	एचसीएम. 5151/08 दिनांक 15.07.08 आर. 770	श्रीमती लईका पत्नी स्व. श्री अहमद अली खान म. न. 15, रेतघाट जिला भोपाल (पुत्र के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)

6	एचसीएम. 5154/08 दिनांक 15.07.08 आर. 770 मा. विधायक श्री उमाशंकर गुप्ता	श्री राजेश कुमार आ. श्री विपत सिंह झुग्गी नं. 120 ओम नगर क्रमांक-3, वार्ड क. 35, जिला भोपाल (पत्नी के जल जाने से उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
7	एचसीएम. 5157/08 दिनांक 15.07.08 आर. 770	श्री रमेश नामदेव, अंधारा बाग बसई तह. बैरसिया जिला भोपाल (पुत्री कु. रेखा नामदेव के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
8	एचसीएम. 5160/08 दिनांक 15.07.08 आर. 770	श्री सुग्रीव प्रसाद वर्मा, सहायक ग्रेड-1, मंत्रालय वाणिज्य उद्योग विभाग जिला भोपाल (पत्नी श्रीमती कुसुम वर्मा के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार) नियमों को शिथिल कर
9	एचसीएम. 5162/08 दिनांक 15.07.08 आर. 770 मा. विधायक श्री राजेन्द्र शुक्ल	श्री प्रेमनारायण शुक्ल पिता श्री जी. पी. शुक्ल, एस-590, नेहरू नगर जिला भोपाल (पिताजी के उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार)
10	एचसीएम. 5165/08 दिनांक 15.07.08 आर. 770 मा. मंत्री श्री बाबूलाल गौर	श्री हरीसिंह पाल, एस-878, नेहरू नगर जिला भोपाल (माताजी के पथरी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
11	एचसीएम. 5172/08 दिनांक 15.07.08 आर. 770 मा. विधायक श्री आरिफ अकील	श्रीमती शबनम पत्नी श्री अनीस खां म. नं. 191, गली नं. 4 बाग मुंशी हुसैन खां जिला भोपाल (पति के टी. बी. रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
12	एचसीएम. 5176/08 दिनांक 15.07.08 आर. 770	श्री वीरेन्द्र विश्वकर्मा बुधवारा जिला भोपाल (पुत्री कु. ज्योति के बोन टी.बी. एवं ब्रेन ट्यूमर के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
13	एचसीएम. 5179/08 दिनांक 15.07.08 आर. 770	श्रीमती प्रीति शर्मा पत्नी श्री चेतन शर्मा, आई-111/17, शिवाजी नगर जिला भोपाल (ब्रेस्टकैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
14	एचसीएम. 5183/08 दिनांक 15.07.08 आर. 770	श्री बने सिंह पुत्र श्री बापू सिंह म. नं. 74, आराधना नगर रिशिपुरम फेस-1, भेल जिला भोपाल (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)

15	एचसीएम. 5185/08 दिनांक 15.07.08 आर. 770	श्री मनीष सक्सेना पिता स्व.श्री एल. पी. वर्मा, 71, बी. डी. ए. कालोनी टीला जमालपुरा शाहजहांबाद, जिला भोपाल (पथरी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
16	एचसीएम. 5159/08 दिनांक 15.07.08 आर. 770 मा. विधायक श्री आरिफ अकील	श्री अनीस खां पुत्र श्री शरीफ खां म. नं.4 गली नं. 2 सेफिया कालेज के पीछे वार्ड क. 8, जिला भोपाल (माताजी श्रीमती चांदनी बी के सांस एवं शुगर की बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
योग:-			रूपये 1,72,059/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये- 1,72,059/- (रूपये एक लाख बहत्तर हजार उनसठ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- भोपाल (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

**मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--**

क्रमांक एफ ए 7-352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-रायसेन,
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि राशि रूपये 1,35,000/- (रूपये एक लाख पैंतीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5164/08 दिनांक 15.07.08 आर. 771	श्रीमती रेवती बाई पत्नी स्व.श्री गुलज़ार सिंह, बरेजा मोहल्ला वार्ड क्र. 15, कस्बा उदयपुरा जिला रायसेन (करीला मेले की दुर्घटना में पति की मृत्यु हो जाने से पत्नी को सहायता)	रूपये 1.00 लाख (एक लाख)
2	एचसीएम. 5167/08 दिनांक 15.07.08 आर. 771	श्री अशोक श्रीवास्तव, ग्राम नकतरा चौराहा पोस्ट मुगालिया तह. व जिला रायसेन (पुत्र के सड़क दुर्घटना मे घायल हो जाने से उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम. 5168/08 दिनांक 15.07.08 आर. 771	श्री प्रेमनारायण सिंह पुत्र श्री फूलसिंह, ग्राम देहगांव तह. गौहरगंज जिला रायसेन (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
4	एचसीएम. 5171/08 दिनांक 15.07.08 आर. 771	श्री नितेश कुमार पुत्र श्री तरबर सिंह, सतलापुर तह. गौहरगंज जिला रायसेन (दुर्घटना में घायल हो जाने से उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 1,35,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,35,000/- (रूपये एक लाख पैतीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुरें)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- रायसेन (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-सीहोर
(मध्यप्रदेश)

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,90,266/- (रूपये एक लाख नब्बे हजार दौ सौ छियासठ)मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5174/08 दिनांक 15.07.08 आर. 772	श्री मुनीस अंसारी, जिला सीहोर (क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु सहायता)	रूपये 20,000/- (बीस हजार) नियमों को शिथिल कर
2	एचसीएम. 5175/08 दिनांक 15.07.08 आर. 772	श्री मोहनीश त्रिवेदी, जिला सीहोर (क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु सहायता)	रूपये 20,000/- (बीस हजार) नियमों को शिथिल कर
3	एचसीएम. 5178/08 दिनांक 15.07.08 आर. 772	श्री कमलेश आ. श्री द्वारका प्रसाद ग्राम बकतरा जिला सीहोर (पैरालिसिस के उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार)
4	एचसीएम. 5181/08 दिनांक 15.07.08 आर. 772	संचालक भोपाल मेमोरियल हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल श्रीमती निर्मला पत्नी श्री होशियार सिंह, ग्राम हिंगनासिर तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 10,266/- (दस हजार दो सौ छियासठ)

5	एचसीएम. 5184/08 दिनांक 15.07.08 आर. 772	श्रीमती रेहाना बी पत्नी स्व. श्री अशरफ अली, लाल मस्जिद के पास छावनी आष्टा जिला सीहोर (पति की मृत्यु हो जाने से)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
6	एचसीएम. 5186/08 दिनांक 15.07.08 आर. 772	संचालक भोपाल मेमोरियल हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल श्री साहब सिंह चौहान आ. श्री चंदन सिंह चौहान, बकतरा जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 90,000/- (नब्बे हजार)
7	एचसीएम. 5187/08 दिनांक 15.07.08 आर. 772	श्री सौभाल सिंह सिसोदिया, ग्राम श्यामपुरा टप्पा तह. आष्टा जिला सीहोर, (पत्नी की बच्चेदानी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
8	एचसीएम. 5188/08 दिनांक 15.07.08 आर. 772	श्री ज्ञानचंद ग्राम कोठरी तह. आष्टा जिला सीहोर (पुत्र के हेड इन्ज्युरी एवं कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
योग:-			रूपये 1,90,266/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,90,266/- (रूपये एक लाख नब्बे हजार दौ सौ छियासठ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- सीहोर (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-विदिशा
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 60,000/- (रूपये साठ हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5189/08 दिनांक 15.07.08 आर. 773	श्री राम नारायण साहू पिता श्री गणेश राम साहू, ग्राम पैरावर जिला विदिशा (पैर एवं कमर की हड्डी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 5089/08 दिनांक 15.07.08 आर. 773 मा. मंत्री श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा	श्री उमकार सिंह प्रजापति गणेश की अथाई तह.सिरोंज जिला विदिशा (पुत्र रूपेश प्रजापति के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
3	एचसीएम. 5094/08 दिनांक 15.07.08 आर. 773 मा. मंत्री श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा	श्री श्यामलाल केवट पुत्र श्री भैरोलाल केवट, ग्राम धापू तह. सिरोंज जिला विदिशा (पैर के फ्रेक्चर के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
4	एचसीएम. 5096/08 दिनांक 15.07.08 आर. 773 मा. मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा	श्री हरिवल्लभ शर्मा आ. श्री गंगा प्रसाद शर्मा, चितावर तह. सिरोंज जिला विदिशा (सड़क दुर्घटना मे घायल हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 60,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 60,000/- (रूपये साठ हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- विदिशा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-इन्दौर/होशंगाबाद
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 81,000/- (रूपये ईकयासी हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5106/08 दिनांक 15.07.08 आर. 774	श्री मोहम्मद अलताफ, तन्जीम नगर झलारिया गोया रोड खजराना जिला इन्दौर (पुत्री सायना के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
2	एचसीएम. 5107/08 दिनांक 15.07.08 आर. 774	श्री राजेश पिता स्व. श्री प्रयागजी बादल, 52, शिवशक्ति नगर जिला इन्दौर (पुत्र के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
3	एचसीएम. 5111/08 दिनांक 15.07.08 आर. 774	संचालक सी.एच.एल. अपोलो हास्पिटल इन्दौर श्री संतोष जडिया द्वारा वरिष्ठ साहित्यकार श्री सरोज कुमार मनोरमा 37, पत्रकार कालोनी जिला इन्दौर (उपचार हेतु)	रूपये 30,000/- (तीस हजार)
4	एचसीएम. 5113/08 दिनांक 15.07.08 आर. 774	श्रीमती मन्नू बाई वर्मा 26, डब्ल्यू जबरन कालोनी जूनी जिला इन्दौर (पुत्रियों के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)

5	एचसीएम. 5116/08 दिनांक 15.07.08 आर. 774	श्रीमती सुनिता चौधरी पत्नी स्व. श्री रविन्द्र चौधरी, 89, बाबू घनश्याम दास नगर लाल बाग के पीछे आर. टी.ओ. रोड जिला इन्दौर (पति की मृत्यु हो जाने से पति के नाम स्वीकृत राशि)	रूपये 8,000/- (आठ हजार) पूर्व में आदेश क्रमांक 535दिनांक 22.01.08 द्वारा स्वीकृत राशि संशोधित आदेश
6	एचसीएम. 5130/08 दिनांक 15.07.08 आर. 775	श्री बदामीलाल अहिरवार सुरेलाकला पिपरिया जिला होशंगाबाद (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
योग:-			रूपये 81,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 81,000/- (रूपये ईकयासी हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- इन्दौर/होशंगाबाद (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-शाजापुर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 66,000/- (रूपये छियासट हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5128/08 दिनांक 15.07.08 आर. 776	1. श्री इकबाल अली पिता श्री शकूलर अली ग्राम संकराई तह. गुलाना जिला शाजापुर (श्री निगम अली की मृत्यु हो जाने से उनके वारिस को सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
	एचसीएम. 5131/08 दिनांक 15.07.08 आर. 776	2. श्री मुबारिक खां पिता श्री मुनीर खां ग्राम संकराई तह. गुलाना जिला शाजापुर (श्री छोटे खां की मृत्यु हो जाने से उनके वारिस को सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)

2	एचसीएम. 5132/08 दिनांक 15.07.08 आर. 776	1. श्रीमती इमरत बाई ग्राम रिछोदा तह. शुजालपुर जिला शाजापुर (पुत्र एवं पुत्री के मंदबुद्धि के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
	एचसीएम. 5133/08 दिनांक 15.07.08 आर. 776	2. श्रीमती रम्भाबाई पति स्व. श्री गोपाल सिंह मेवाड़ा भैसायागढ़ा तह. कालापपीपल जिला शाजापुर (पति की हत्या हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
	एचसीएम. 5136/08 दिनांक 15.07.08 आर. 776	3. श्री देवीसिंह पिता श्री पन्नालाल गेहसोत मेहरखेड़ी तह. शुजालपुर जिला शाजापुर (पत्नी श्रीमती आवंती बाई के गुर्दा रोग के उपचार हेतु)	रूपये 12,000/- (बारह हजार)
	एचसीएम. 5138/08 दिनांक 15.07.08 आर. 776	4. संचालक भण्डारी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर इन्दौर श्री शंकर सिंह ग्राम रामपुरा जिला शाजापुर (हृदय वाल्व के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
3	एचसीएम. 5088/08 दिनांक 15.07.08 आर. 776 मा. विधायक श्री फूलचंद वेदिया	श्री भेरू नाई, वार्ड नं. 12 नलखेड़ा जिला शाजापुर (पुत्री कु. मंजू के जल जाने से उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 66,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 66,000/- (रूपये छियासठ हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- शाजापुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-धार
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4870/08 दिनांक 03.07.08 आर. 736	श्री गुलाब जैसवानी तह. व जिला धार (पुत्री पिकी के ब्लड कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
		योग:-	रूपये 15,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार)मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला-धार (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-मुरैना
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 78,000/- (रूपये अठहत्तर हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5095/08 दिनांक 15.07.08 आर. 778	श्री लक्ष्मण सिंह तोमर पुत्र श्री होतम सिंह तोमर, धर्मगढ़ पोरसा जिला मुरैना (विकलांगिता के कारण सहायता)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
2	एचसीएम. 5098/08 दिनांक 15.07.08 आर. 778 मा. मंत्री श्री अनूप मिश्रा	संचालक कैसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर ग्वालियर श्रीमती मीराबाई पत्नी श्री सूरज सिंह रावत, ग्राम मानपुर तह. सबलगढ़ जिला मुरैना (कैसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 75,000/- (पचहत्तर हजार)
		योग:-	रूपये 78,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 78,000/- (रूपये अठहत्तर हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.

प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- मुरैना (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-सागर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5099/08 दिनांक 15.07.08 आर. 779 मा. विधायक श्री धरमू राय	श्री जगदीश सिलोधा तह. खुरई जिला सागर (टी. बी. रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
योग:-			रूपये 5,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- सागर (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

कलेक्टर,
जिला-दमोह
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5102/08 दिनांक 15.07.08 आर. 780 मा. संसद सदस्य श्री चन्द्रभान सिंह	श्रीमती रेवा बाई, चंदेरा तह. हटा जिला दमोह, (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 10,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- दमोह (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-नीमच.
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 40,000/- (रूपये चालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5104/08 दिनांक 15.07.08 आर. 781	श्री कैलाश नायक बल्लखेड़ा जिला नीमच (पुत्र की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 5109/08 दिनांक 15.07.08 आर. 781	श्री बनवारी जाटव पिता श्री मूलचन्द्र जाटव, अम्बेडकर कालोनी जिला नीमच (ब्लड एलर्जी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम. 5112/08 दिनांक 15.07.08 आर. 781	श्री झुझार सिंह पिता श्री सुल्तान सिंह सौंधिया गुलाबखेड़ी जिला नीमच (माताजी श्रीमती फूलबाई के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
4	एचसीएम. 5115/08 दिनांक 15.07.08 आर. 781	श्री जगदीश चन्द्र माली पिता श्री हरीराम माली भगवान पुरा जिला नीमच (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
		योग:-	रूपये 40,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 40,000/- (रूपये चालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा

जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- नीमच (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-मंदसौर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 60,000/- (रूपये साठ हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5120/08 दिनांक 15.07.08 आर. 782 मा. मंत्री श्री जगदीश देवड़ा	संचालक,सी.एच. अपोलो हास्पिटल इन्दौर श्री भेरूलाल फरक्या आ. श्री छोटूलाल फरक्या सुवासरा जिला मंदसौर (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार)
2	एचसीएम. 5122/08 दिनांक 15.07.08 आर. 782	श्री काशीराम पिता श्री रामराज शर्मा पिपल्या मण्डी तह. मल्हारगढ़ जिला मंदसौर (पुत्र गौतम के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
योग:-			रूपये 60,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 60,000/- (रूपये साठ हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर

आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- मंदसौर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-श्योपुर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5124/08 दिनांक 15.07.08 आर. 783	श्री रामकरन सेन मुफ्तीनगर जिला श्योपुर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
योग:-			रूपये 10,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- श्योपुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-खरगौन
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,08,000/- (रूपये एक लाख आठ हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5129/08 दिनांक 15.07.08 आर. 784 मा. विधायक श्री भूपेन्द्र आर्य	श्री राकेश पाटीदार आ. श्री ओमप्रकाश पाटीदार ग्राम व पोस्ट नांदरा तह. महेश्वर जिला खरगौन (पिताजी के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
2	एचसीएम. 5135/08 दिनांक 15.07.08 आर. 784	श्री राकेश पिता श्री मोहन सिंह चौहान बड़वाह जिला खरगौन (भाई की मृत्यु हो जाने एवं माताजी के पैर के फेक्चर के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
3	एचसीएम. 5140/08 दिनांक 15.07.08 आर. 784	श्री बख्तावर सिंह पिता श्री नत्थू सिंह मोतीपुरा जिला खरगौन (पत्नी के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
4	एचसीएम. 5142/08 दिनांक 15.07.08 आर. 784	श्री बाबूलाल पिता श्री सोमला भीलाला इंदिरा नगर जिला खरगौन (पुत्र के हार्निया के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
5	एचसीएम. 5144/08 दिनांक 15.07.08 आर. 784	श्री रमजान पिता श्री रज्जाक ओरंपुरा जिला खरगौन (टी. बी. रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
6	एचसीएम. 5147/08 दिनांक 15.07.08 आर. 784	श्रीमती मीरा पत्नी श्री दयाराम गांगोडे जिला खरगौन (पति के किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)

7	एचसीएम. 5149/08 दिनांक 15.07.08 आर. 784	श्री राकेश पिता श्री सुमरेचन्द गुप्ता सनावद तह. बड़वाहा जिला खरगौन (पिताजी के गले की गठान के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
8	एचसीएम. 5153/08 दिनांक 15.07.08 आर. 784	श्रीमती रामई बाई पत्नी श्री हुकुम टांडा बरूड तह. व जिला खरगौन (पुत्र के सिर में कुल्हाड़ी लग जाने से उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
9	एचसीएम. 5156/08 दिनांक 15.07.08 आर. 784	श्री गंगाराम पिता श्री धवलिया ऊन बु0 जिला खरगौन (पुत्र की अपेडिक्स की बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 1,08,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,08,000/- (रूपये एक लाख आठ हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 339/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- खरगौन (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-बड़वानी
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5161/08 दिनांक 15.07.08 आर. 785	श्री लालू पिता श्री हरि मानकर राजपुर जिला बड़वानी (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 10,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- बड़वानी (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-शिवपुरी
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पंद्रह हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5166/08 दिनांक 15.07.08 आर. 786	श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री प्रेमनारायण लोधी ग्राम रखौरा (राजापुर) तह. पिछौर जिला शिवपुरी (रीढ़ की हड्डी के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
		योग:-	रूपये 15,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 15,000/- (रूपये पंद्रह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- शिवपुरी (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रिजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-राजगढ़
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 38,000/- (रूपये अडतीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5170/08 दिनांक 15.07.08 आर. 787	श्रीमती संतोष बाई पत्नी श्री नारायण सिंह सुल्तानिया जिला राजगढ़ (पुत्र की नाक की हड्डी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 5173/08 दिनांक 15.07.08 आर. 787	श्री शरीफ खां पिता श्री छोटू खां बांसखेड़ा तह. व जिला राजगढ़ (छोटे भाई रफीक की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 5177/08 दिनांक 15.07.08 आर. 787	श्री ताराचन्द जैन पिता श्री कल्याणमल जैन, जैन मंदिर के पास ब्यावरा जिला राजगढ़ (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
4	एचसीएम. 5180/08 दिनांक 15.07.08 आर. 787	श्रीमती ललिता बाई विश्वकर्मा पत्नी श्री रतनलाल विश्वकर्मा नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ (उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
5	एचसीएम. 5182/08 दिनांक 15.07.08 आर. 787	श्री भोनी सिंह पिता श्री बिहारीलाल ग्राम तलावती तह. ब्यावरा जिला राजगढ़ (आंखों के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)

6	एचसीएम. 5072/08 दिनांक 15.07.08 आर. 787	श्री छोगमल रूहेला ग्राम कोडियागोड तह. नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ (पत्नी श्रीमती गीताबाई के पेट के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 38,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 38,000/- (रूपये अड़तीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- राजगढ़ (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-नरसिंहपुर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 32,000/- (रूपये बत्तीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5073/08 दिनांक 15.07.08 आर. 788	श्रीमती सावित्री बाई पत्नी श्री दुलीचंद रजक बेलापुरकर वार्ड जिला नरसिंहपुर (पति के चर्मरोग के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
2	एचसीएम. 5074/08 दिनांक 15.07.08 आर. 788	श्री कंधीलाल चौरसिया मु. पो. देवनगर (पुराना) जिला नरसिंहपुर (उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
3	एचसीएम. 5075/08 दिनांक 15.07.08 आर. 788	श्री नारायण आ.श्री शंकर लाल रीछई तह. गाडरवारा जिला नरसिंहपुर (पत्नी श्रीमती फूलवती बाई के फेफड़ों के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम. 5076/08 दिनांक 15.07.08 आर. 788	श्रीमती वर्षा पति श्री यज्ञनारायण पटेल कंदेली जिला नरसिंहपुर (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
		योग:-	रूपये 32,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 32,000/- (रूपये बत्तीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-नरसिंहपुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-रीवा
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 70,000/- (रूपये सत्तर हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5077/08 दिनांक 15.07.08 आर. 789	श्रीमती रामकली दुबे पत्नी स्व.श्री सुदर्शन प्रसाद दुबे क्रांति कुटीर बैधन टोला उपरहटी जिला रीवा (पथरी एवं ब्रेस्ट कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
2	एचसीएम. 5079/08 दिनांक 15.07.08 आर. 789	श्री बाबूलाल साकेत तनय श्री राम कुमार साकेत ग्राम हर्दीशंकर पो. अभिलिकी तह. हुजूर जिला रीवा (लकवा रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
3	एचसीएम. 5081/08 दिनांक 15.07.08 आर. 789	श्री सत्यम उर्फ अंकित द्विवेदी आ. स्व. श्री चन्द्रनाथ द्विवेदी ग्राम रोंरा पो. भुलहा तह. रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (ब्रेन कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
4	एचसीएम. 5082/08 दिनांक 15.07.08 आर. 789	श्रीमती दुईजी साकेत पत्नी श्री दददी साकेत धोपखरा गोविन्दगढ़ जिला रीवा (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)

5	एचसीएम. 5083/08 दिनांक 15.07.08 आर. 789	श्री बिहारीराम अग्निहोत्री पिता श्री मुरलीराम अग्निहोत्री ग्राम चकदही जिला रीवा (लकवा रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
6	एचसीएम. 5085/08 दिनांक 15.07.08 आर. 789 मा. संसद सदस्य श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी	श्री दिनेश कुमार मिश्र आ.श्री बृजबिहारी मिश्र ग्राम बूढ़ा पो. शिवराजपुर सिरमौर जिला रीवा (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
योग:-			रूपये 70,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 70,000/- (रूपये सत्तर हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- रीवा (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-सीधी
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 43,000/- (रूपये त्रितालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5086/08 दिनांक 15.07.08 आर. 790 मा. विधायक श्री इन्द्रजीत कुमार	श्रीमती फूलबाई पत्नी श्री रोशन लाल साकेत साकिन घटोखर जिला सीधी (दुर्घटना में घायल हो जाने से उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
2	एचसीएम. 5087/08 दिनांक 15.07.08 आर. 790 मा. विधायक श्री इन्द्रजीत कुमार	श्री कृष्ण गोपाल सिंह तनय श्री चन्द्र बहादुर सिंह ग्राम गाडा बबन सिंह जिला सीधी (पुत्री कु. दिव्या के ब्लड कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
3	एचसीएम. 5090/08 दिनांक 15.07.08 आर. 790 मा. विधायक श्री इन्द्रजीत कुमार	श्री रामनाथ बसोर पिता श्री सुखलाल बसोर करोदिया वार्ड नं. 11 जिला सीधी (जल जाने से उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम. 5091/08 दिनांक 15.07.08 आर. 790 मा. विधायक श्री इन्द्रजीत कुमार	श्रीमती मनगिरिया पटेल पत्नी श्री वासुदेव ग्राम परिसीधी पो. चमरौहां जिला सीधी (बच्चेदानी एवं पेट के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)

5	एचसीएम. 5093/08 दिनांक 15.07.08 आर. 790	श्री संजय पाण्डेय ग्राम नकझर जिला सीधी (कूल्हे के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
		योग:-	रूपये 43,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 43,000/- (रूपये त्रितालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- सीधी (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-बैतूल
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5097/08 दिनांक 15.07.08 आर. 791 मा. विधायक श्री सज्जनसिंह उइके	श्री बलहरी विश्वास, हीरापुर जिला बैतूल (पत्नी श्रीमती पारूल विश्वास के पेट के कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
योग:-			रूपये 15,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- बैतूल (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे ।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे । सर्वर में फीड करावे ।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-कटनी
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 45,000/- (रूपये पैतालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5100/08 दिनांक 15.07.08 आर. 791-ए मा. संसद सदस्य श्री गणेश सिंह	श्री सेवाराम चौरसिया पुत्र श्री भूरेलाल चौरसिया बिलहरी तह. रीठी जिला कटनी (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
2	एचसीएम. 5101/08 दिनांक 15.07.08 आर. 791-ए	श्री दयाराम साहू धुनसुर तह. विजयराघवगढ़ जिला कटनी (पुत्री के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
3	एचसीएम. 5103/08 दिनांक 15.07.08 आर. 791-ए	श्री डी. पी. अवस्थी जैन मंदिर बहोरीबंद जिला कटनी (पुत्र के दुर्घटना में घायल हो)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
		योग:-	रूपये 45,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 45,000/- (रूपये पैतालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान

का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर **15 दिवस के भीतर** निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। **यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।**

4/ **निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।**

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- कटनी (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए **आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- खंडवा
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5105/08 दिनांक 15.07.08 आर. 740	श्री उमेश पिता श्री धन्नालाल ग्राम बिल्लौरा खुर्द तह. व जिला खण्डवा (विकलांगिता के कारण सहायता दिनांक 23/04/08 को गई घोषणानुसार)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 5108/08 दिनांक 15.07.08 आर. 740	श्री कन्हैयालाल आ. श्री बजरंग घासपुरा तह. हरसूद जिला खण्डवा (आंख के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 5110/08 दिनांक 15.07.08 आर. 740	श्री मयाराम पिता श्री ओंकार बमन गांव आखई तह. व जिला खण्डवा (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
		योग:-	रूपये 25,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर

आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- खंडवा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- उज्जैन
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5114/08 दिनांक 15.07.08 आर. 793 मा. संसद सदस्य श्री थावरचंद गहलोत	श्री गोबिंदजी परमार पिता श्री गणपतजी परमार पूर्व विधायक, हाटपुरा वेयर हाऊस के पास तराना जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार)
योग:-			रूपये 20,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- उज्जैन (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-सतना
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 58,000/- (रूपये अठावन हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5117/08 दिनांक 15.07.08 आर. 794 मा. मंत्री श्री नागेन्द्र सिंह	संचालक जवाहर लाल नेहरू कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल श्रीमती तस्लीमा हुसैन पत्नी श्री अल्ताफ हुसैन वार्ड नं. 2 नागौद जिला सतना (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 30,000/- (तीस हजार)
2	एचसीएम. 5118/08 दिनांक 15.07.08 आर. 794	रेडकास सोसयटी जबलपुर श्री रामजी मोंगरे मैहर जिला सतना (पुत्र मास्टर अमन के उपचार हेतु)	रूपये 28,000/- (अट्ठाईस हजार)
योग:-			रूपये 58,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 58,000/- (रूपये अठावन हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.

प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- सतना (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-सिवनी
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 28,000/- (रूपये अठाईस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5119/08 दिनांक 15.07.08 आर. 795	श्री मेलाराम आ. श्री रंगलाल पिन्डरई तह. लखनादौन जिला सिवनी (पुत्र महेश के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
2	एचसीएम. 5121/08 दिनांक 15.07.08 आर. 795	श्री रतनलाल आ. श्री टैकलाल डाला पो. आ. गंगई थाना लखनादौन जिला सिवनी (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
3	एचसीएम. 5123/08 दिनांक 15.07.08 आर. 795 एचसीएम. 5125/08 दिनांक 15.07.08 आर. 795	1. श्री धन्नूलाल आ. श्री गोविन्द प्रसाद कुर्मी ग्राम आमागढ़ तह. बरघाट जिला सिवनी (पुत्र के उपचार हेतु) 2. श्री विरधी चंद आ. श्री रूपचंद तेली अरी तह. बरघाट जिला सिवनी (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार) रूपये 5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम. 5126/08 दिनांक 15.07.08 आर. 795	श्री लेखराम आ. श्री रोशनलाल पटवा घुरवाड़ा तह. लखनादौन जिला सिवनी (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
5	एचसीएम. 5127/08 दिनांक 15.07.08 आर. 795	श्रीमती रनिया बाई पति स्व. श्री जवाहर लाल अहिरवार ग्राम धुमा तह. लखनादौन जिला सिवनी (पति की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 28,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 28,000/- (रूपये अठाईस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- सिवनी (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-बालाघाट
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5137/08 दिनांक 15.07.08 आर. 796 मा. विधायक श्री के.डी. देशमुख	श्री सुरेन्द्र आ. श्री टुन्डीलाल चौधरी, ग्राम पो. सिरपुर तह. कटंगी जिला बालाघाट (आंखो के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
योग:-			रूपये 5,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- बालाघाट (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रिजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-छिंदवाड़ा
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5141/08 दिनांक 15.07.08 आर. 797 मा. विधायक श्री नाना भाऊ मोहोड	श्री दिलीप पिता श्री गोविन्दा ग्राम देवी सौंसर जिला छिंदवाड़ा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 5,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-झाबुआ
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 60,000/- (रूपये साठ हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5145/08 दिनांक 15.07.08 आर. 798	श्रीमती जेमा डोडियार पत्नी श्री पायस मेडा, मेंघनगर तह. मेंघनगर जिला झाबुआ (ब्रेस्ट कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
2	एचसीएम. 5145/08 दिनांक 15.07.08 आर. 798	श्री भगवत सिंह पुरोहित 148, भोपाल कालोनी जिला झाबुआ (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 5145/08 दिनांक 15.07.08 आर. 798	श्रीमती भगवती देवड़ा खवासा जिला झाबुआ (पुत्री निधी देवड़ा के हृदय वाल्व के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
4	एचसीएम. 5145/08 दिनांक 15.07.08 आर. 798	श्री राजेश कुमार तोमर पिता श्री कन्हैयालाल तोमर जिला झाबुआ (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
5	एचसीएम. 5145/08 दिनांक 15.07.08 आर. 798	श्री राजू पिता श्री बाबू सिंगार पाड़लवा (तडवी फलीया) तह. रानापुर जिला झाबुआ (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 60,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 60,000/- (रूपये साठ हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का

आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- झाबुआ (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

**मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--**

क्रमांक एफ ए 7-352/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-मंडला
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5158/08 दिनांक 15.07.08 आर. 799	श्रीमती सुशीला बाई श्रीवास पत्नी श्री भागवत प्रसाद ग्राम घुटास तह. बिछिया जिला मण्डला (दुर्घटना में घायल हो जाने से उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 5163/08 दिनांक 15.07.08 आर. 799	श्री रमेश कुमार वंशकार पुत्र स्व. श्री उदय चंद वंशकार सिंह वाहिनी वार्ड जिला मण्डला (टी. बी. के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 5169/08 दिनांक 15.07.08 आर. 799	श्री किशोर वंशकार आ. श्री मोहनलाल सिंह वाहिनी वार्ड जिला मण्डला (हृदय एवं लीवर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
योग:-			रूपये 25,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा

जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- मंडला (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रॉजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-386 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 6/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-भोपाल
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5190/08 दिनांक 15.07.08 आर. 800 घोषणा क्रमांक 0313 दिनांक 05/09/05 का कियान्वयन	(चेक विद्या भारती, विद्या प्रतिष्ठान हर्षवर्धन नगर भोपाल विद्या भारती विद्यालय समूह के स्कूलों में गरीब बच्चों की शिक्षा हेतु सहायता	रूपये 1,00,000/- (एक लाख)
		योग:-	रूपये 1,00,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 6/08/2008

पृ. क्रमांक एफ ए 7-386 /2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- भोपाल (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टोक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-364/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 02/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-उज्जैन/बड़वानी/ धार/ग्वालियर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 2,28,000/- (रूपये दो लाख अट्ठाईस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5052/08 दिनांक 14.07.08 आर. 802	श्री मदनलाल सिद्धाजी नि. ग्राम तिलावद बड़ी (तराना) जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 5053/08 दिनांक 14.07.08 आर. 802	श्री मोतीकाग नि. ग्रा. व पो. छीबड़ तह. ठीकरी जिला बड़वानी (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
3	एचसीएम. 5054/08 दिनांक 14.07.08 आर. 802	श्री बाबूभाई सिर्की नि. ग्राम मंडवगड़ा तह. ठीकरी जिला बड़वानी (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
4	एचसीएम. 5055/08 दिनांक 14.07.08 आर. 802	श्री हुकुमचंद देवालाल नि. मालीपुरा बघाड़ी तह. ठीकरी जिला बड़वानी (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)

5	एचसीएम. 5056/08 दिनांक 14.07.08 आर. 802	श्री भाऊ आ. श्री सोमा नि. ग्राम फत्यापुर, तह. ठीकरी जिला बड़वानी (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
6	एचसीएम. 5057/08 दिनांक 14.07.08 आर. 802	श्री कन्हैया आ. श्री लक्ष्मण नि. ग्राम व पो. अजंडी तह. ठीकरी जिला बड़वानी (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
7	एचसीएम. 5058/08 दिनांक 14.07.08 आर. 802	श्री शंकरलाल सोलंकी नि. ग्राम व पो. छोटी खरगौन, तह. राजपुर जिला बड़वानी (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
8	एचसीएम. 5059/08 दिनांक 14.07.08 आर. 802	श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नि श्री हुकुमचंद नि. ग्राम डही जिला धार (हृदय के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
9	एचसीएम. 5060/08 दिनांक 14.07.08 आर. 802	श्रीमती इन्द्राबाई पत्नि स्व. श्री अजयसिंह जाटव नि. ग्राम बिलारा, वि. ख. मुरार जिला ग्वालियर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
10	एचसीएम. 5061/08 दिनांक 14.07.08 आर. 802	श्रीमती भूरीबाई पत्नि स्व. श्री जन्दैल सिंह नि. ग्राम बिलारा, वि. ख. मुरार जिला ग्वालियर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
11	एचसीएम. 5062/08 दिनांक 14.07.08 आर. 802	श्रीमती राखी श्रीवास्तव पत्नि श्री आनंद श्रीवास्तव नि. कालीमाई संतर मुरार जिला ग्वालियर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
12	एचसीएम. 5063/08 दिनांक 14.07.08 आर. 802	श्रीमती संतोषबाई पत्नि श्री जीवन सिंह चौहान नि. ग्राम गुणावद, तह, बड़नगर, जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
13	एचसीएम. 5064/08 दिनांक 14.07.08 आर. 802	श्रीमती राजाबेटी पत्नि श्री यशवंत नि. ग्राम पनिहार वि. ख. घाटीगांव जिला ग्वालियर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
14	एचसीएम. 5065/08 दिनांक 14.07.08 आर. 802	श्री राजेन्द्र शर्मा आ. श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा नि. ग्राम ईटमा तह. भितरवार, जिला ग्वालियर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)

15	एचसीएम. 5066 / 08 दिनांक 14.07.08 आर. 802	श्री वकील बेग आ. श्री महबूब बेग नि. काशीपुरा केन्टोमेंट स्कूल के पास, मुरार जिला ग्वालियर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार)
16	एचसीएम. 5067 / 08 दिनांक 14.07.08 आर. 802	श्री मुलरीधर मूंदड़ा आ. श्री सूरजमल मूंदड़ा नि. नयापुरा, ताराना, जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार)
17	एचसीएम. 5068 / 08 दिनांक 14.07.08 आर. 802	संचालक, शासकीय कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर श्री बद्रीलाल आ. स्व. श्री माणकलाल शर्मा नि. 35 अरविंद पथ, झण्डासेरी बड़नगर जिला उज्जैन (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 25,000 / - (पच्चीस हजार)
18	एचसीएम. 5069 / 08 दिनांक 14.07.08 आर. 802	संचालक, बाम्बे हास्पिटल, रिंग रोड इंदौर श्री शकीलउद्दीन कुरैशी नि. ग्राम बड़नगर जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 40,000 / - (चालीस हजार)
19	एचसीएम. 5070 / 08 दिनांक 14.07.08 आर. 802	संचालक, बाम्बे हास्पिटल, रिंग रोड इंदौर श्री दीपसिंह आ. श्री रामसिंह ग्राम झुमकी, तह. तराना जिला उज्जैन (ब्रेन हेमरेज के उपचार हेतु)	रूपये 40,000 / - (चालीस हजार)
योग:-			रूपये 2,28,000 / -

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 2,28,000 / - (रूपये दो लाख अट्ठाईस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 02/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-364/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
- 3 कोषालय अधिकारी, जिला- उज्जैन/बड़वानी / धार/ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
- 4 मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
- 5 जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
- 6 संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
- 7 स्टाक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-366/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 02/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-होशंगाबाद/सीहोर/हरदा/भोपाल
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 71,000/- (रूपये इकहत्तर हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5032/08 दिनांक 14.07.08 आर. 803	श्री रमेश कुमार आ. श्री बुद्धू सिंह नि. ग्राम फरीदपुर तह. सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद (पुत्र के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 5033/08 दिनांक 14.07.08 आर. 803	श्री श्यामलाल आ. श्री रामप्रसाद नि. ग्राम गोपालपुर तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 5034/08 दिनांक 14.07.08 आर. 803	श्रीमती मनोरमा पत्नि श्री आत्माराम राय नि. ग्राम हंडिया जिला हरदा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम. 5035/08 दिनांक 14.07.08 आर. 803	श्री रघुनाथ सिंह आ. श्री रामकुमार नि. ग्राम गोपालपुर तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)

5	एचसीएम. 5036/08 दिनांक 14.07.08 आर. 803	श्री घनश्याम तिवारी , अध्यक्ष देव मंडल जोनतला, तह बुधनी जिला सीहोर (संस्कृति की सामग्री क्रय हेतु)	रूपये 5,000 /- (पांच हजार)
6	एचसीएम. 5037/08 दिनांक 14.07.08 आर. 803	श्री रमेश आ. श्री हीरालाल नि. ग्राम पांगरी , तह इछावर जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000 /- (पांच हजार)
7	एचसीएम. 5038/08 दिनांक 14.07.08 आर. 803	श्री रेवाराम आ. श्री नानसिंह नि. ग्राम बावडीखेड़ा तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000 /- (पांच हजार)
8	एचसीएम. 5039/08 दिनांक 14.07.08 आर. 803	श्रीमती सलोनी पाल पत्नि श्री जितेन्द्र पाल नि. म.न. टी.96/39, तुलसीनगर , जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार)
9	एचसीएम. 5040/08 दिनांक 14.07.08 आर. 803	कु. करुणा वर्मा पुत्री श्री रघुवर वर्मा नि. ग्राम बायां तह. बुधनी जिला सीहोर (सम्मानित करने हेतु)	रूपये 11,000 /- (ग्यारह हजार)
10	एचसीएम. 5041/08 दिनांक 14.07.08 आर. 803	श्री सुरेश कुमार सेनी नि. के-156, प्रियंका नगर नयापुरा कोलार रोड, जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार)
योग:-			रूपये 71,000 /-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 71,000/- (रूपये इकहत्तर हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 02/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-366/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
- 3 कोषालय अधिकारी, जिला- होशंगाबाद/सीहोर/हरदा/भोपाल (मध्य प्रदेश)
कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
- 4 मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
- 5 जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
- 6 संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
- 7 स्टाक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-365/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 02/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-सीहोर/रायसेन/ भोपाल
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 80,000/- (रूपये अस्सी हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5042/08 दिनांक 14.07.08 आर. 804	श्री बसंत आ. श्री गोरेलाल नि. ग्राम जैत तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 5043/08 दिनांक 14.07.08 आर. 804	श्रीमती पचियाबाई पत्नि स्व. श्री हल्कुप्रसाद नि. ग्राम पंचायत जैत वि.ख. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम. 5044/08 दिनांक 14.07.08 आर. 804	श्रीमती भागवती बाई पत्नि श्री भोलेराम नि. ग्राम डोबी तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम. 5045/08 दिनांक 14.07.08 आर. 804	श्री जगदीश प्रसाद सराठे आ. श्री खूबचंद सराठे, नि. ग्राम टेकापार कालोनी तह. गैरतगंज जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)

5	एचसीएम. 5046/08 दिनांक 14.07.08 आर. 804	संचालक, एल.बी.एस. हास्पिटल, मोतिया तालाब के सामने भोपाल श्रीमती वेजन्ती गौर पत्नि श्री हरिसिंह गौर मु.पो.नई बस्ती शाहगंज तह. बुधनी जिला सीहोर (पेट की शल्य क्रिया हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार)
6	एचसीएम. 5047/08 दिनांक 14.07.08 आर. 804	श्री मंशाराम आ. स्व. श्री झामू गोंड नि. ग्राम वलनी, पो. रगड़गांव, तह. मुलताई जिला बैतूल (पुत्री कु. संगीता के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
7	एचसीएम. 5048/08 दिनांक 14.07.08 आर. 804	श्री विजय अग्रवाल आ. श्री रामकिशन अग्रवाल नि. म.नं. 3, बेलदारपुरा, सेफिया कॉलेज रोड, जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
8	एचसीएम. 5049/08 दिनांक 14.07.08 आर. 804	श्री जितेन्द्र नि. गंगानगर झुग्गी कोटरा जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
9	एचसीएम. 5050/08 दिनांक 14.07.08 आर. 804	श्री रामसिंह आ. श्री हजारीलाल प्रजापति नि. झुग्गी नं. 351, नयाबसेरा कोटरा सुल्तानाबाद जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
10	एचसीएम. 5051/08 दिनांक 14.07.08 आर. 804	श्री प्रभुनाथ आ. श्री रतननाथ नि. झुग्गी नं. 216, वार्ड क. 31, बापू नगर झुग्गी बस्ती कोटरा जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
योग:-			रूपये 80,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 80,000/- (रूपये अस्सी हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय

भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 02/08/2008

पृष्ठा. कमांक एफ ए 7-365/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- सीहोर/रायसेन/बुधनी/मुलताई/भोपाल (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-388/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 6/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-विदिशा/मुरैना/नीमच/भोपाल
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए राशि रूपये 3,45,000/- (रूपये तीन लाख पैंतालीस हजार)मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5071/08 दिनांक 14.07.08 आर. 805	संचालक, जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल भोपाल श्रीमती रामश्री बाई रघुवंशी पत्नी श्री कमलेश रघुवंशी निवासी ब्लाक ऑफिस के सामने बरेठ रोड गंजबासौदा जिला विदिशा (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 35,000/- (पैंतिस हजार)
2	एचसीएम. 5314/08 दिनांक 21.07.08 आर. 808 मान. मंत्री श्री अनूप मिश्राजी	संचालक मूलजीभाई पटेल यूरोलाजिकल हास्पिटल नाडियार्ड गुजरात श्री विनोद गुप्ता निवासी गंगारामकापुरा, बानमौर, जिला मुरैना (गुर्दों के उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000/- (एक लाख) (नियमों को शिथिल करते हुये अतिरिक्त रूप से)
3	एचसीएम. 5344/08 दिनांक 22.07.08 आर. 809	श्री नानूराम आ. नारायणजी गायरी नि. ग्राम पंचायत दुधलई तह. मनासा जिला नीमच (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)

4	एचसीएम. 5349/08 दिनांक 22.07.08 आर. 809	श्री कजोड़ी बाई पत्नी श्री गोरीलाल बजारा नि. ग्राम पंचायत खेमला तह. मनासा जिला नीमच (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
5	एचसीएम. 5353/08 दिनांक 22.07.08 आर. 809	श्री जगदीश आ. श्री लक्ष्मीनारायण पोरवाल नि. खेमला ब्लाक तह. मनासा जिला नीमच (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
6	एचसीएम. 5357/08 दिनांक 22.07.08 आर. 809	श्री अमरलाल आ. श्री नारायण जी गायरी ब्लाक अमरपुरा पो. चन्द्रपुरा टप्पा रामपुरा तह. मनासा जिला नीमच (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
7	एचसीएम. 5318/08 दिनांक 22.07.08 आर. 810	संचालक, एस्कार्टस हार्ट इस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर ओखला रोड नई दिल्ली श्री पंकज पाठक निवासी एफ-88/28, तुलसी नगर भोपाल जिला भोपाल (हार्ट सर्जरी के उपचार हेतु)	रूपये 1,70,000/- (एक लाख सत्तर हजार)
योग:-			रूपये 3,45,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 3,45,000/- (रूपये तीन लाख पैंतालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 6/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 388/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
- 3 कोषालय अधिकारी, जिला- विदिशा/मुरैना/नीमच/भोपाल (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
- 4 मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
- 5 जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
- 6 संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
- 7 स्टाक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-367/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 02/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-सीहोर/रायसेन/देवास
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 1,76,700/- (रूपये एक लाख छिहत्तर हजार सात सौ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5213/08 दिनांक 16.07.08 आर. 811	संचालक पीपुल्स कॉलेज ऑफ डेंटल साईंस एंड रिसर्च सेंटर, भानपुर मा. यशवंत चौहान आ. श्री भगवानदास चौहान नि. ग्राम जोनतला, तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 76,700/- (छिहत्तर हजार सात सौ)
2.	एचसीएम. 5214/08 दिनांक 16.07.08 आर. 811	संचालक नेशनल हॉस्पिटल अरेरा कालोनी भोपाल, श्री शादीलाल चौहान आ. श्री किशनलाल चौहान नि. ग्राम सगोनिया, तह. बरेली जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार)
3.	एचसीएम. 5222/08 दिनांक 16.07.08 आर. 811	संचालक, सूर्या क्लीनिक, 467, संगम सिनेमा के सामने हमीदिया रोड भोपाल श्रीमती सुधाबाई पत्नि स्व. श्री सुरेश कुमार नि. ग्राम जोनतला, तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)

4	एचसीएम. 5227/08 दिनांक 16.07.08 आर. 811	संचालक, सी.एच.एल. अपोलो हास्पिटल इंदौर श्री राधेश्याम आ. श्री हजारीलाल जाट, निवासी ग्राम करोदिया, तहसील बागली, जिला देवास (उपचार हेतु)	रूपये 70,000/- (सत्तर हजार)
		योग:-	रूपये 1,76,700/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,76,700/- (रूपये एक लाख छिहत्तर हजार सात सौ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन दंजित की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 02/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 367/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल

3. कोषालय अधिकारी, जिला— सीहोर/रायसेन/देवास (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन—ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7- 358/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 05/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-विदिशा/सीहोर/रायसेन
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 65,000/- (रूपये पैंसठ हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5304/08 दिनांक 16.07.08 आर. 812	श्रीमती बत्तोबाई अहिरवार पत्नी श्री गुलाब सिंह अहिरवार नि. ग्राम वापचा तह. लटेरी जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
2.	एचसीएम. 5305/08 दिनांक 16.07.08 आर. 812	श्रीमती कलाबाई पत्नी श्री अनोखीलाल निवासी निजामत के पास कस्बा सीहोर जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5306/08 दिनांक 16.07.08 आर. 812	श्री पप्पू आ.उ श्री खेलन सिंह नि. ग्राम गोपालपुर तह. लटेरी जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
4	एचसीएम. 5307/08 दिनांक 16.07.08 आर. 812	श्री कमल सिंह मेहर नि. ग्राम नागोर हरीसिंह मेहर पाण्डेजी की सीमेंट की दुकान के सामने जिला विदिशा (पत्नी के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)

5	एचसीएम. 5308/08 दिनांक 16.07.08 आर. 812	श्रीमती कृष्णा बाई यादव पत्नी श्री मदनलाल नि. नारायणपुर तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
6	एचसीएम. 5309/08 दिनांक 16.07.08 आर. 812	संचालक, चिरायु हास्पिटल मालीपुरा भोपाल श्री लखनदास बैरागी आ. श्री बिहारी बैरागी नि. अर्जुन नगर औबेदुल्लागंज जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार मात्र)
7	एचसीएम. 5310/08 दिनांक 16.07.08 आर. 812	संचालक, चिरायु हास्पिटल मालीपुरा भोपाल बेबी ऑफ श्रीमती रजनी चौहान पत्नी श्री राजविन्द्र चौहान नि. ग्राम ईशरपुर तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5311/08 दिनांक 16.07.08 आर. 812	संचालक, मेमोरियल एंड रिसर्च सेंटर रायसेन बायपास रोड भोपाल श्री गनपत सिंह आ. श्री मंगलसिंह नि. ग्राम खितवाई पो. आमोन तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार मात्र)
योग:-			रूपये 65,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 65,000/- (रूपये पैसठ हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहे हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 05/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 358/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- विदिशा/सीहोर/रायसेन (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।**
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7- 359/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 05/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-रीवा/विदिशा/खरगौन/सीहोर/गुना/इंदौर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 1,97,500/- (रूपये एक लाख सतान्बे हजार पाँच सौ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5210/08 दिनांक 17.05.08 आर. 813	श्री शिवशंकर केवट आ. श्री रामसजीवन केवट नि. ग्राम व पो. गोदरी-27, जिला रीवा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
2.	एचसीएम. 5216/08 दिनांक 17.05.08 आर. 813	श्री मुद्रिका प्रसाद मिर आ. श्री राजमणि मिश्र नि. ग्राम व पो. गौरी तह. हुनमना, जिला रीवा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5217/08 दिनांक 17.05.08 आर. 813	श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, नि. ग्राम पचोखर, वि.खं गंगेव तह हनुमना, जिला रीवा (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
4	एचसीएम. 5230/08 दिनांक 17.05.08 आर. 813	श्रीमती नीता देवी पत्नि श्री रामसिया पटेल नि. ग्राम ढनगन, तह . महुगंज थाना लौर जिला रीवा (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार मात्र)

5	एचसीएम. 5234 / 08 दिनांक 17.05.08 आर. 813	कु. रानी आ. श्री सुरेश निवासी मोहनगिरी वार्ड नं. 18, जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार मात्र)
6	एचसीएम. 5239 / 08 दिनांक 17.05.08 आर. 813	श्रीमती ज्योति पत्नि स्व. श्री राजेन्द्र सिंह पंवार, निवासी राम मंदिर गली सनावद तह. बड़वाहा जिला खरगौन (उपचार हेतु)	रूपये 25,000 / - (पच्चीस हजार मात्र)
7	एचसीएम. 5244 / 08 दिनांक 17.05.08 आर. 813	संचालक, अजमानी आई हॉस्पिटल प्रा. लि.115 बैरसिया रोड भोपाल श्री तुलाराम आ. स्व. श्री मुंशीलाल धोबी नि. ग्राम जैत तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 17,500 / - (सत्रह हजार पांच सौ मात्र)
8	एचसीएम. 5249 / 08 दिनांक 17.05.08 आर. 813	संचालक, भोपाल मेमोरियल एंड रिसर्च सेंटर, बैरसिया रोड भोपाल श्रीधर शर्मा, लिपिक सरस्वती मा. विद्यालय, आर्य समाज, जिला गुना (बायपास सर्जरी हेतु)	रूपये 60,000 / - (साठ हजार मात्र)
9	एचसीएम. 5254 / 08 दिनांक 17.05.08 आर. 813	संचालक, बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट न्यू मारिन लाइन, मुंबई मा. अंशुमन दुबे आ. श्री आशुतोष दुबे नि. 98 ओल्ड 104, न्यू रेडियो कॉलोनी जिला इंदौर (डी.आई.डी पी के उपचार हेतु)	रूपये 50,000 / - (पचास हजार मात्र)
		योग:-	रूपये 1,97,500 / -

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,97,500/- (रूपये एक लाख संतान्बे हजार पाँच सौ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजित की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा **इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर **15 दिवस के भीतर** निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। **यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।**

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 05/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 359/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- रीवा/विदिशा/खरगौन/सीहोर/गुना/इंदौर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें ।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें । सर्वर में फीड करावें ।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7- 360/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 6/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-रीवा/विदिशा/मुरैना/बालाघाट
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 3,05,000/- (रूपये तीन लाख पांच हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5299/08 दिनांक 16.05.08 आर. 814	गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हमीदिया हास्पिटल भोपाल श्रीमती गुलाबरानी पत्नि श्री रामनरेश नि. ग्राम मडरहा ग्राम पंचायत पंडरिया जिला रीवा (हृदय के उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000/- (एक लाख मात्र)
2.	एचसीएम. 5300/08 दिनांक 16.05.08 आर. 814	संचालक, कैंसर केयर क्लीनिक एंड हॉस्पिटल, लोकमत चौराहा नागपुर श्रीमती सविता दुबे आ. श्री छेदीलाल दुबे नि. वार्ड नं. 7 ग्राम पौनी पो. करमसरा, तह. बैहर जिला बालाघाट (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5301/08 दिनांक 16.05.08 आर. 814	श्रीमती बिरजोबाई पत्नि श्री अधनलाल नि. ग्राम जामुल, पो. कचनारी तह. बैहर जिला बालाघाट (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार मात्र)

4	एचसीएम. 5302 / 08 दिनांक 16.05.08 आर. 814	संचालक, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रायसेन बायपास रोड भोपाल श्री दुलीचंद आ. श्री रमजानी नि. निकास रोड कुम्हार गली, जिला विदिशा (हृदय के उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000 / - (एक लाख मात्र)
5	एचसीएम. 5303 / 08 दिनांक 16.05.08 आर. 814	संचालक, कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जन विकास न्यास गवालियर श्रीमती रमादेवी पत्नि श्री बृजराज सिंह नि. ग्राम भैदपुरा पा. गलेथा जिला मुरैना (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 40,000 / - (चालीस हजार मात्र)
योग:-			रूपये 3,05,000 / -

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 3,05,000 / - (रूपये तीन लाख पांच हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहे हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 360/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 6/08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- रीवा/विदिशा/मुरैना/बालाघाट (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।**
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7- 361/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 6/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-भोपाल
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 54,000/- (रूपये चौपन हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5192/08 दिनांक 16.07.08 आर. 815	श्री प्रदीप महोविया आ. स्व. श्री प्रसादी लाल महोविया निवासी 131, छावनी मंगलवारा रोड, जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
2.	एचसीएम. 5195/08 दिनांक 17.07.08 आर. 815	श्रीमती सीता सोनी पत्नि स्व. श्री महेश सोनी निवासी म.नं. 17, पठार वाली गली घोड़ा नक्कास जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5196/08 दिनांक 16.07.08 आर. 815	श्रीमती राखी सोनी निवासी कैलाशचन्द राठोर भवन म.न.15, तेलियन गली नं.1, हुनमानगंज जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)

4	एचसीएम. 5199/08 दिनांक 16.07.08 आर. 815	श्री भुवनेश गोस्वामी सचिव, वाल्मिकी रामायण सांस्कृतिक विकास सेवा समिति, मानस धाम, सौरभ कॉलोनी चांदबड़ जिला भोपाल (रामायण मेला हेतु अनुदान)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
5	एचसीएम. 5204/08 दिनांक 16.07.08 आर. 815	श्री रत्नेश नामदेव आ. श्री रामस्वरूप नामदेव नि. 34, काजीपुरा जिला भोपाल (पुत्री के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
6	एचसीएम. 5207/08 दिनांक 16.07.08 आर. 815	श्री शिवधारी सिंह निवासी म.नं 15, शहीद नगर जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
7	एचसीएम. 5211/08 दिनांक 16.07.08 आर. 815	श्रीमती शोभा गुप्ता पत्नि स्व. श्री रामजी लाल गुप्ता निवासी म.नं. 42, गुप्ता ट्रेडर्स के ऊपर हनुमानगंज जुमेराती जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5215/08 दिनांक 16.07.08 आर. 815	श्री संजय झा आ. स्व श्री सज्जन सिंह झा निवासी म.नं. 8, शाहजहांनाबाद, श्री हनुमान मंदिर के पास, कबीटपुरा जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
9	एचसीएम. 5219/08 दिनांक 16.07.08 आर. 815	श्री संजय मेहता आ. स्व. श्री चुन्नीलाल मेहता नि. द्वारा चेतना लॉज, घोड़ा नक्कास जिला भोपाल (पत्नि के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
10	एचसीएम. 5224/08 दिनांक 16.07.08 आर. 815	श्रीमती सुमित्राबाई पत्नि श्री प्रभुनाथ नि. झुग्गी नं. 216, वार्ड क. 31, बापू नगर झुग्गी बस्ती कोटरा जिला भोपाल (पुत्र के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
योग:-			रूपये 54,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 54,000/- (रूपये चौपन हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का

भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर **15 दिवस के भीतर** निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। **यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।**

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 6/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 361/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- भोपाल (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7- 363/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 05/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-विदिशा/सीहोर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 1,45,000/- (रूपये एक लाख पैतालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5191/08 दिनांक 17.07.08 आर. 816	श्री लालसिंह आ. स्व. श्री हुकुमचंद प्रजापति नि. ग्राम अलीनगर तह. लटेरी जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 30,000/- (तीस हजार मात्र)
2.	एचसीएम. 5193/08 दिनांक 17.07.08 आर. 816	संचालक, जवाहर लाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल सुश्री रीता श्रीवास्तव निवासी जिला सीहोर (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 75,000/- (पच्हत्तर हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5198/08 दिनांक 17.07.08 आर. 816	श्रीमती रहमत बी पत्नि श्री पीर खॉ निवासी कलवाना तह. नस. गंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
4	एचसीएम. 5200/08 दिनांक 17.07.08 आर. 816	श्रीमती सूरज बाई पत्नि श्री छोटेलाल नि. ग्राम रतनपुर (सेमरी) तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)

5	एचसीएम. 5203/08 दिनांक 17.07.08 आर. 816	श्री रामचंद्र मालवीय निवासी रेहटी तह. नस. गंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
6	एचसीएम. 5206/08 दिनांक 17.07.08 आर. 816	सुश्री सरोज आ. श्री मूलचंद आवास कॉलोनी रेहटी तह. नस. गंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
योग:-			रूपये 1,45,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,45,000/- (रूपये एक लाख पैतालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 05/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 363/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- विदिशा/सीहोर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।

4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित**
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7- 362/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 05/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-विदिशा/भोपाल/सागर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 48,000/- (रूपये अड़तालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5255/08 दिनांक 16.07.08 आर. 817	श्री भुजबल आ. श्री रामदयाल नि. ग्राम बारोद तह गंजबासोदा जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
2.	एचसीएम. 5259/08 दिनांक 16.07.08 आर. 817	श्रीमती नीता व्यास पत्नी श्री मनोज व्यास नि. ग्राम करैयाखेड़ा रोड अयोध्या बस्ती गली नं. 3 जिला विदिशा (पुत्र कनक के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5261/08 दिनांक 16.07.08 आर. 817	श्रीमती शांतीबाई पत्नी स्व. श्री रंधीर सिंह नि. ग्राम खाईखेड़ा ग्राम पंचायत पडरात तह. व जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
4	एचसीएम. 5264/08 दिनांक 16.07.08 आर. 817	श्री गिरिश कुमार आ. श्री घनश्याम रायकवार नि. 82/65 तुलसी नगर के पास साउथ टी.टी.नगर जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)

5	एचसीएम. 5267 / 08 दिनांक 16.07.08 आर. 817	श्री विजय सिंह अहिरवार आ. श्री गोकुल प्रसाद नि. स्वरूप नगर पाल पठार हरसिद्धी माता के मंदिर के सामने गंजबासौदा जिला विदिशा (पत्नी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार मात्र)
6	एचसीएम. 5271 / 08 दिनांक 16.07.08 आर. 817	श्री भगवान दास आ. श्री हल्के कुशवाह नि. ग्राम ऐरन मिर्जापुर तह. राहतगढ़ जिला सागर (पुत्र की दुर्घटना में मृत्यु होने पर)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार मात्र)
7	एचसीएम. 5275 / 08 दिनांक 16.07.08 आर. 817	श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री रमेश कुमार नि. सिंधी कालोनी गंजबासौदा जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5278 / 08 दिनांक 16.07.08 आर. 817	श्रीमती उमादेवी शर्मा पत्नि श्री रामेश्वर शर्मा नि. ग्राम टीलाखेड़ी, पो. चिरोड़िया जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार मात्र)
9	एचसीएम. 5280 / 08 दिनांक 16.07.08 आर. 817	श्री बलवीरसिंह आ. स्व. श्री अदयसिंह नि. ग्राम सुनपुरा जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार मात्र)
योग:-			रूपये 48,000 / -

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 48,000/- (रूपये अड़तालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 05/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 362/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- विदिशा/भोपाल/सागर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश-561

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-347/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

कलेक्टर,
जिला-रायसेन/सीहोर,
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-2009

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-84,000/- (रूपये चौरासी हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम -4931/08 दिनांक -05.07.08 आर-713	संचालक, अजवानी आई हास्पिटल, बैरसिया रोड, भोपाल श्री रविन्द्र कुमार मालवीय, निवासी वार्ड नं4, पुरानी हवेली, मण्डीदीप जिला-रायसेन (मोटिया बिन्द की शल्यक्रियाहेतु)	रूपये 29,000/- (रूपये उन्नतीस हजार)
2	एचसीएम -4935/08 दिनांक -05.07.08 आर-713	संचालक, आदर्श अस्पताल, शाहजानाबाद भोपाल श्री हरिसिंह आ0 श्री रामसिंह, निवास ग्राम राला मुकाम अकालिया तहसील नसरुल्लागंज जिला-सीहोर	रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार)
3	एचसीएम -4937/08 दिनांक -05.07.08 आर-713	संचालक, भोपाल फेक्वर हास्पिटल एण्ड सर्जिकल सेंटर भोपाल श्री तेज सिंह किरार आ. श्री सीताराम नि.ग्राम.मुरारी तहसील बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (रूपये पंद्रह हजार)

4	एचसीएम -4938 / 08 दिनांक -05.07.08 आर-713	संचालक, नेशनल हास्पिटल ई- 3/61 अरेरा कालोनी भोपाल श्री हरिराम चौहान आ0 श्री बिहारीलाल नि.ग्राम सगोनिया तहसील बरेली, जिला-रायसेन (उपचार हेतु)	रुपये 10,000 /- (रुपये दस हजार)
5	एचसीएम -4940 / 08 दिनांक -05.07.08 आर-713	संचालक, पीपुल्स हास्पिटल भोपाल श्री संजय कुमार जैन नि अमरावद कलां तह बाड़ी-बरेली, जिला-रायसेन (पत्नी श्रीमती वर्षा जैन के उपचार हेतु)	रुपये 10,000 /- (रुपये दस हजार)
6	एचसीएम -4992 / 08 दिनांक -05.07.08 आर-713	संचालक, बाम्बे चिल्ड्रन हास्पिटल, भोपाल श्रीमती रंजना बाई पत्नी श्री प्रीतम सिंह नि0 ग्राम खोदरा सेमरी तहसील बरेली, जिला-रायसेन (उपचार हेतु)	रुपये 10,000 /- (रुपये दस हजार)
		कुल राशि-	रुपये 84,000 /-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 84,000 /-(रुपये चौरासी हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-347/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-सीहोर/रायसेन/होशंगाबाद, (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7- 368/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 05/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-सीहोर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 1,96,000/- (रूपये एक लाख छयान्बे हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5283/08 दिनांक 16.07.08 आर. 818	संचालक, भोपाल मेमोरियल हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रायसेन बायपास रोड भोपाल श्री नारायण प्रकाश खण्डेलवाल आ. श्री मदनलाल खंडेलवाल नि. वार्ड क्र. 15 नसरुल्लागंज जिला सीहोर (किडनी के उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000/- (एक लाख मात्र)
2.	एचसीएम. 5285/08 दिनांक 16.07.08 आर. 818	श्रीमती कोकिला देवी खंडेलवाल पत्नि श्री मदनलाल खंडेलवाल नि. वार्ड क्र. 15 नसरुल्लागंज जिला सीहोर (किडनी के उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5287/08 दिनांक 16.07.08 आर. 818	संचालक, नेशनल हॉस्पिटल अरेरा कालोनी भोपाल श्री ऊधमसिंह आ. श्री बाबूलाल नि. ग्राम रतनपुर (सांवलखेड़ा) तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार मात्र)

4	एचसीएम. 5288/08 दिनांक 16.07.08 आर. 818	संचालक, नेशनल हॉस्पिटल अरेरा कालोनी भोपाल श्रीमती कलावतीबाई पत्नि श्री सुखराम नि. ग्राम सांवलखेड़ा तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रुपये 40,000/- (चालीस हजार मात्र)
5	एचसीएम. 5228/08 दिनांक 16.07.08 आर. 819	श्रीमती कंचनबाई पत्नि श्री मोहनलाल नि. ग्राम खनपुरा, तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
6	एचसीएम. 5232/08 दिनांक 16.07.08 आर. 819	श्री भगवान सिंह पंवार आ. श्री उमरावसिंह नि. ग्राम चिचलायकला तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (पत्नि के उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
7	एचसीएम. 5236/08 दिनांक 16.07.08 आर. 819	श्री बाबूलाल पंवार आ. श्री गुलाब सिंह नि. ग्राम तचपुरा तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5240/08 दिनांक 16.07.08 आर. 819	श्रीमती ममता पंवार पत्नि श्री जीवनसिंह नि. शास्त्री कॉलोनी नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
9	एचसीएम. 5242/08 दिनांक 16.07.08 आर. 819	श्री रामोतार आ. श्री रामचंद्र नि. ग्राम खनपुरा तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
10	एचसीएम. 5245/08 दिनांक 16.07.08 आर. 819	श्री हरिप्रसाद आ. श्री रामगोपाल नि. ग्राम खनपुरा तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
11	एचसीएम. 5246/08 दिनांक 16.07.08 आर. 819	श्री गुलाब सिंह माली नि. ग्राम इटारसी तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
योग:-			रुपये 1,96,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,96,000/- (रूपये एक लाख छयान्चे हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 05/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 368/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- सीहोर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7- 369/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-भोपाल
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 30,000/- (रूपये तीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5286/08 दिनांक 16.07.08 आर. 820	श्री मनोज वैधे आ. श्री ज्ञानदास वैधे नि. झुग्गी नं. 49, शिवनगर कॉलोनी, 74 बंगलो के पीछे जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
2.	एचसीएम. 5258/08 दिनांक 16.07.08 आर. 820	श्रीमती इमरती यादव आ. पत्नि स्व. श्री परसराम यादव नि. झुग्गी नं. 24, वार्ड क 28, प्रेमपुरा जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5260/08 दिनांक 16.07.08 आर. 820	श्री द्वारका प्रजापति आ. श्री बद्रीप्रसाद नि. झुग्गी नं. 1345, गंगा नगर कोटरा सुल्तानाबाद जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
4	एचसीएम. 5262/08 दिनांक 16.07.08 आर. 820	श्री विनोद कुमार कुशवाहा आ. श्री राजभान कुशवाहा नि. झुग्गी क. 1063, भीम नगर जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)

5	एचसीएम. 5265 / 08 दिनांक 16.07.08 आर. 820	श्री महेश खटीक आ. स्व. श्री खुशीलाल नि. झुग्गी नं. 206, गंगा नगर कोटरा सुल्तानाबाद जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 3,000 / - (तीन हजार मात्र)
6	एचसीएम. 5266 / 08 दिनांक 16.07.08 आर. 820	श्री सुनील ओगले आ. श्री तुकाराम ओगले जनता क्वाटर वार्ड नं. 29, कोटरा सुल्तानाबाद जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 3,000 / - (तीन हजार मात्र)
7	एचसीएम. 5269 / 08 दिनांक 16.07.08 आर. 820	श्री प्रदीप कुमार आ. श्री परमेश्वर आचार्य नि. म.नं.147, मालवीय नगर, जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 3,000 / - (तीन हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5272 / 08 दिनांक 16.07.08 आर. 820	श्री परमानंद शुक्ला आ. श्री रामकैलाश राहुल नगर पंपापुर जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 3,000 / - (तीन हजार मात्र)
9	एचसीएम. 5273 / 08 दिनांक 16.07.08 आर. 820	श्री प्रदीप नामदेव आ. श्री हरिनारायण नामदेव नि. म.नं. 201, प्रियंका नगर, नयापुरा कोलार रोड जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 3,000 / - (तीन हजार मात्र)
10	एचसीएम. 5276 / 08 दिनांक 16.07.08 आर. 820	श्री पंकज वर्मा आ. श्री नन्दूलाल वर्मा नि. 64 / 15 साऊथ टी.टी.नगर जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 3,000 / - (तीन हजार मात्र)
योग:-			रूपये 30,000 / -

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 30,000 / - (रूपये तीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 369/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- भोपाल (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7- 370/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 05/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-होशंगाबाद/विदिशा/भोपाल
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 1,56,000/- (रूपये एक लाख छप्पन हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5194/08 दिनांक 16.07.08 आर. 821	संचालक, चरक अस्पताल जहांगीराबाद भोपाल श्री उदय सिंह आ. श्री भीम सिंह नि. नंदन वन रेस्टारेंट पचमढी जिला होशंगाबाद (उपचार हेतु)	रूपये 40,000/- (चालीस हजार मात्र)
2.	एचसीएम. 5197/08 दिनांक 16.07.08 आर. 821	भोपाल मेमोरियल एंड रिसर्च सेंटर रायसेन बायपास रोड भोपाल श्री बलवंत राव आ. श्री यशवंत राव निवासी पेढी चौराहा जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5201/08 दिनांक 16.07.08 आर. 821	श्री कैलाश नारायण अहिरवार आ. श्री गवरूलाल अहिरवार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जलसंसाधन विभाग जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)

4	एचसीएम. 5202/08 दिनांक 16.07.08 आर. 821	श्री जितेन्द्र आ. श्री उधम सिंह नि. वार्ड क्र. 34 पूरनपुरा विदिशा तह. व जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
5	एचसीएम. 5205/08 दिनांक 16.07.08 आर. 821	श्रीमती मुन्नीबाई पत्नी श्री श्यामलाल नि. झुग्गी न. 25 बाबा नगर शाहपुरा सी सेक्टर जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 6,000/- (छह हजार मात्र)
6	एचसीएम. 5209/08 दिनांक 16.07.08 आर. 821	श्री दुर्गेश आ. श्री किशोरीलाल नि. ग्राम कुल्हा तह. बासोदा जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
7	एचसीएम. 5212/08 दिनांक 16.07.08 आर. 821	श्री काशीराम आ. श्री हरदेव नि. ग्राम सिरनोटा तह. बासोदा जिला विदिशा (पत्नी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5218/08 दिनांक 16.07.08 आर. 821	श्री राजा उर्फ समीर आ. श्री नवाबखां नि. वार्ड क्र. 16 ढलतपुरा जिला विदिशा (पत्नी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
9	एचसीएम. 5221/08 दिनांक 16.07.08 आर. 821	श्री भीकमसिंह मीणा आ. श्री गेंदा नि. ग्राम बोरिया तह. व जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
10	एचसीएम. 5223/08 दिनांक 16.07.08 आर. 821	श्री लखनसिंह आ. श्री जसवंत सिंह राजपूत नि. मिर्जापुर जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
योग:-			रूपये 1,56,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,56,000/- (रूपये एक लाख छप्पन हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 05/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 370/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- होशंगाबाद/विदिशा/भोपाल (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7- 371/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-जबलपुर/भोपाल/देवास/सागर/छिंदवाड़ा/होशंगाबाद/
मुरैना/छतरपुर/विदिशा
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रुपये 1,19,000/- (रुपये एक लाख उन्नीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5231/08 दिनांक 16.07.08 आर. 822	श्री राजेश उर्फ राजा कोटवानी आ. श्री मेठाराम कोटवानी नि. वार्ड क 4 ग्राम पंचायत सुहागी ज.प. पनागर जिला जबलपुर (उपचार हेतु)	रुपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
2.	एचसीएम. 5235/08 दिनांक 16.07.08 आर. 822	श्रीमती लक्ष्मीबाई जाटव पत्नी श्री उमराव सिंह जाटव नि. म.न. 21 मजदूर नगर मिलेट्री गेट शाहजहानाबाद जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रुपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5237/08 दिनांक 16.07.08 आर. 822	श्रीमती उमराव बाई पत्नी श्री गब्बूलाल नि. ग्राम दिगरोंदा जिला देवास (उपचार हेतु)	रुपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
4	एचसीएम. 5241/08 दिनांक 16.07.08 आर. 822	श्री कामदेव सिंह आ. कल्याण सिंह नि. 4/52 सदर बाजार जिला सागर (उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)

5	एचसीएम. 5247/08 दिनांक 16.07.08 आर. 822	श्री सुनील सनकत आ. श्री गांधी सनकत नि. वार्ड न. 14 सिविल लाईन सोंसर जिला छिंदवाड़ा (अग्निकांड में घर जलने पर)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
6	एचसीएम. 5251/08 दिनांक 16.07.08 आर. 822	कुमारी रामलली धुर्वे आ. श्री दयाल सिंह धुर्वे नि. गोविन्द रघुवंशी का मकान दुर्गा कालोनी बनापुरा जिला होशंगाबाद (पढ़ाई हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
7	एचसीएम. 5253/08 दिनांक 16.07.08 आर. 822	भोपाल चैरेटिबल हास्पिटल नूर महल रोड भोपाल श्रीमती चंदा बाई जाटव पत्नी स्व. श्री परसराम नि. ग्राम शंकरगढ़ रजाखेड़ी वार्ड 14 पोस्ट मकोनिया जिला सागर (क्षय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5233/08 दिनांक 16.07.08 आर. 823	श्री दुर्गसिंह निवासी लक्ष्मी कॉलोनी जिला मुरैना (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार मात्र)
9	एचसीएम. 5238/08 दिनांक 16.07.08 आर. 823	श्री रघुनाथ सिंह आ. श्री विजय सिंह नि. बागचीनी जिला मुरैना (उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार मात्र)
10	एचसीएम. 5243/08 दिनांक 16.07.08 आर. 823	श्री रघुनाथ सिंह सिकरवार नि. ग्राम नंदगांगोली, तह जौरा जिला मुरैना (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार मात्र)
11	एचसीएम. 5248/08 दिनांक 16.07.08 आर. 823	श्री अनंतराम साहू आ. श्री धन्नीलाल साहू नि. ग्राम गंज जिला छतरपुर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
12	एचसीएम. 5250/08 दिनांक 16.07.08 आर. 823	श्री प्रभाकर रमाइया यादव नि. वार्ड नं. 19, बरईपुरा, जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
13	एचसीएम. 5252/08 दिनांक 16.07.08 आर. 823	श्री छगनलाल गुप्ता म.नं. 26, राजदेव कॉलोनी, बैरसिया रोड जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार मात्र)
योग:-			रूपये 1,19,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,19,000/- (रूपये एक लाख उन्नीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा **इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर **15 दिवस के भीतर** निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। **यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।**

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 371/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- जबलपुर/भोपाल/देवास/सागर/छिंदवाड़ा/~~छिंदवाड़ा~~होशंगाबाद/मुरैना/छतरपुर/विदिशा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7- 373/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक11/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- भोपाल/ग्वालियर/शाजापुर/रीवा/खरगोन/जबलपुर/सीहोर/इंदौर/
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 2,10,000/- (रूपये दो लाख दस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5257/08 दिनांक 16.07.08 आर. 824	श्री दिगंबर पाटिल नि. झुग्गी नं. 23, विधान सभा के पीछं, जहांगीराबाद जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र
2.	एचसीएम. 5263/08 दिनांक 16.07.08 आर. 824	श्री दीवानसिंह आ. श्री जवाहरसिंह गुर्जर नि. शीतलामाता रोड, नौगांव जिला ग्वालियर (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5268/08 दिनांक 16.07.08 आर. 824	श्रीमती संतोषबाई पत्नि स्व श्री राधेश्याम नागर नि. ग्रम निपानिया खंजर, तह. कालापीपल जिला शाजापुर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र
4	एचसीएम. 5270/08 दिनांक 16.07.08 आर. 824	श्री संजय जाधव आ. स्व श्री सर्जेराव जाधव नि. फ्रीगंज शुजालपुर मंडी, जिला शाजापुर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र

5	एचसीएम. 5274 / 08 दिनांक 16.07.08 आर. 824	श्री घनश्याम राठौर आ. श्री लक्ष्मी नारायण राठौर नि. ग्राम जबड़ी तह. कालापीपल, जिला शाजापुर (उपचार हेतु)	रुपये 5,000 / - (पांच हजार मात्र)
6	एचसीएम. 5277 / 08 दिनांक 16.07.08 आर. 824	श्रीमती भगवतीबाई पत्नि स्व. श्री घासीराम नि. ग्राम भैसायागढ़ा तह. कालापीपल, जिला शाजापुर (उपचार हेतु)	रुपये 5,000 / - (पांच हजार मात्र)
7	एचसीएम. 5279 / 08 दिनांक 16.07.08 आर. 824	संचालक, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ईदगाहहिल्स भोपाल श्रीमती सावित्रीसिंह पत्नि श्री शिवप्रसाद सिंह नि. ग्राम सिंगड़, पो नई गढ़ी जिला रीवा (कैंसर के उपचार हेतु)	रुपये 40,000 / - (चालीस हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5281 / 08 दिनांक 16.07.08 आर. 824	श्री मतगेन्द्र गौतम आ. श्री रामायण प्रसाद गौतम नि. ग्राम धबैया वि.ख. गगेब जिला रीवा (उपचार हेतु)	रुपये 10,000 / - (दस हजार मात्र)
9	एचसीएम. 5282 / 08 दिनांक 16.07.08 आर. 824	संचालक, चौइथराम हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मानिक बाग रोड इंदौर श्री भोलाजी आ. श्री नत्थू नि. ग्राम नाया जिला खरगौन (कैंसर के उपचार हेतु)	रुपये 20,000 / - (बीस हजार मात्र)
10	एचसीएम. 5284 / 08 दिनांक 16.07.08 आर. 824	संचालक, अपैक्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर नेहरू नगर, नागपुर रोड जबलपुर श्रीमती गोमतीबाई पाण्डेय पत्नि स्व. श्री मदनगोपाल पाण्डेय नि. ग्रा. पो धनगवां तह. सिहोरा जिला जबलपुर (उपचार हेतु)	रुपये 25,000 / - (पच्चीस हजार मात्र)
11	एचसीएम. 5286 / 08 दिनांक 16.07.08 आर. 824	श्री देवेश कुमार मिश्रा नि. बोदाबाग, सुन्दर नगर नीम चौराहा जिला रीवा (उपचार हेतु)	रुपये 10,000 / - (दस हजार मात्र)
12	एचसीएम. 5290 / 08 दिनांक 16.07.08 आर. 824	श्री मयंक प्रसाद गौतम आ. श्री रामाधार गौतम नि. ग्राम मरैला पो. पडरी तह. सिरमौर जिला रीवा (पैर के उपचार हेतु)	रुपये 10,000 / - (दस हजार मात्र)

13	एचसीएम. 5291/08 दिनांक 16.07.08 आर. 824	श्री मयंक किरार नि. एफ 1/9 ग्यारह सौ क्वाटर के बाजू जिला भोपाल (माँ के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
14	एचसीएम. 5294/08 दिनांक 16.07.08 आर. 824	श्री मदनलाल शर्मा नि. वार्ड क्र. 10, सुदामापुरी तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (पुत्री के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार मात्र)
15	एचसीएम. 5295/08 दिनांक 16.07.08 आर. 824	श्री रामभरोस आ. श्री गोपालकृष्ण जोशी नि. 35, सोमनाथ की नई चाल जिला इंदौर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
16	एचसीएम. 5297/08 दिनांक 16.07.08 आर. 824	संचालक, बांबे चिल्डन हास्पिटल भोपाल श्रीमती पप्पीबाई पत्नि श्री पप्पूसिंह नि. ग्राम जैत, तह. बुधनी जिला सीहोर (पुत्री के उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार मात्र)
योग:-			रूपये 2,10,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 2,10,000/- (रूपये दो लाख दस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)-सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 11 /08 /2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 373 /2008 /एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- भोपाल/ग्वालियर/शाजापुर/रीवा/खरगोन/जबलपुर/सीहोर/इंदौर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 374/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 6/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-भोपाल/सीहोर/शाजापुर/धार/रायसेन/ग्वालियर/होशंगाबाद
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 16,70,944/- (रूपये सोलह लाख सत्तर हजार नौ सौ चवालीस) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5208/08 दिनांक 16.07.08 आर. 825	संचालक, नेशनल हास्पिटल ई-3/61 अरेरा कालोनी भोपाल श्रीमती मनोरमा बाई पत्नी स्व. श्री कमल सिंह निवासी एम. आई.जी.-डी-11 विद्यानगर जिला भोपाल (ब्रेन हेमरेज के उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000/- (एक लाख मात्र) नियमों को शिथिल करते हुए
2.	एचसीएम. 5216/08 दिनांक 16.07.08 आर. 826	संचालक, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रायसेन बायपास रोड भोपाल श्री भाईजी आ. श्री रोशनलाल पटेल नि. ग्राम आमोन, तह बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5220/08 दिनांक 16.07.08 आर. 827	संचालक, भोपाल चेरिटेबल हॉस्पिटल नूर महल रोड चौकी इमामबाड़ा भोपाल श्री रामबहादुर निवासी शुजालपुर मंडी जिला शाजापुर (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार मात्र)

4	एचसीएम. 5225/08 दिनांक 16.07.08 आर. 828	श्रीमती धनीबाई पत्नि श्री मानसिंह सिसोदिया नि. ग्राम साली, पो. गंधवानी जिला धार (कैसर के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार मात्र)
5	एचसीएम. 5229/08 दिनांक 16.07.08 आर. 828	श्री दीपक मगरे आ. श्री मोतीलाल मगरे, झुग्गी नं. 3, पत्रकार भवन के पास, मालवीय नगर जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
6	एचसीएम. 5289/08 दिनांक 16.07.08 आर. 829	संचालक, नर्मदा ट्रामा सेंटर प्रा. लि. ई-3/23 अरेरा कॉलोनी भोपाल श्री कमलसिंह वर्मा आ. श्री भागीरथ वर्मा नि. ग्राम गोलूखेड़ी पो. तोरनिया तह. इछावर जिला सीहोर (दुर्घटना में घायल हो जाने पर उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)
7	एचसीएम. 5292/08 दिनांक 16.07.08 आर. 829	संचालक, पालीवाल हॉस्पिटल प्रा. लि. भोपाल टाकीज चौराहे के पास बैरसिया रोड भोपाल श्रीमती मनोरमाबाई पत्नि श्री राधाप्रताप पुरोहित नि. ग्राम गाजीखेड़ी पो. नानपोन जिला रायसेन (कैसर के उपचार हेतु)	रूपये 40,000/- (चालीस हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5293/08 दिनांक 16.07.08 आर. 829	संचालक, पालीवाल हॉस्पिटल प्रा. लि. भोपाल टाकीज चौराहे के पास बैरसिया रोड भोपाल श्री गुलाबसिंह नागर आ. श्री चैनसिंह नागर नि. ग्राम हिरानिया औबेदुल्लागंज जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
9	एचसीएम. 5296/08 दिनांक 16.07.08 आर. 829	संचालक, सर गंगाराम हॉस्पिटल, राजेन्द्र नगर नई दिल्ली श्रीमती शिवानी तिवारी पत्नि श्री शिवकुमार तिवारी निवासी ई-19 मिनाल रेसीडेंसी जे.के.रोड, जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 40,000/- (चालीस हजार मात्र)

10	एचसीएम. 5298 / 08 दिनांक 16.07.08 आर. 829	संचालक, भोपाल फैक्चर हॉस्पिटल एण्ड सर्जिकल सेंटर अरेरा कालोनी भोपाल श्री अजय वर्मा नि. पं. दीनदयाल परिसर भाजपा प्रदेश कार्यालय अरेरा कालोनी जिला भोपाल (छोटे भाई विजय वर्मा को सड़क दुर्घटना में आई चोटों के उपचार हेतु)	रूपये 50,000 /— (पचास हजार मात्र)
11	एचसीएम. 5319 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 830	गांधी मेडिकल कालेज एवं हमीदिया अस्पताल श्रीमती वहीदन बी पत्नी श्री हमीद निवासी वार्ड न. 65 कल्याण नगर जिला भोपाल (पेस मेकर लगाने हेतु)	रूपये 69,500 /— (दस हजार मात्र)
12	एचसीएम. 5320 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 831	श्री भुपेन्द्र सिंह आ. श्री हाकिम सिंह निवासी शिव कॉलोनी पिन्टू पार्क मुरार जिला ग्वालियर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /— (दस हजार मात्र)
13	एचसीएम. 5321 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 832	भोपाल चेरिटेबल हॉस्पिटल नूर महल रोड चौकी इमामबाड़ा के पास भोपाल श्री द्वारकानाथ योगी निवासी स्मृति कार्यालय राम मंदिर पुरानी इटारसी जिला होशंगाबाद	रूपये 36,444 /— (छत्तीस हजार चार सौ चवालीस मात्र)
14	एचसीएम. 5455 / 08 दिनांक 25.07.08 आर. 833	राष्ट्रीय पत्रकार संगठन एन.यू.जे(ई) की संस्था जर्नलिस्ट्स वेलफेयर फाउन्डेशन जिला भोपाल (कल्याणकारी कार्यक्रम हेतु)	रूपये 11,00,000 /— (ग्यारह लाख मात्र) (नियमों को शिथिल करते हुए) 00000000
15	एचसीएम. 5486 / 08 दिनांक 28.07.08 आर. 834	विशेष हास्पिटल ए.बी.रोड गीता भवन चौराहा इंदौर श्री गोवर्धनलाल गुप्ता आ. स्व श्री पूरनमल गुप्ता नि. ग्राम झोकर जिला शाजापुर (हार्ट की शल्यक्रिया हेतु)	रूपये 30,000 /— (तीस हजार मात्र) (पूर्व में स्वीकृत राशि रु. 8000 /— को निरस्त कर)
		योग:-	रूपये 16,70,944 /—

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 16,70,944 /— (रूपये सोलह लाख सत्तर हजार नौ सौ चवालीस) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहे हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.

प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 6/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 374/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-
भोपाल/सीहोर/शाजापुर/धार/रायसेन/ग्वालियर /होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-375/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- विदिशा
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,09,000/- (रूपये एक लाख नौ हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5431/08 दिनांक 25.07.08 आर. 835	श्री सुशील राठी नि. छोटी हवेली, किले के अंदर, जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 5432/08 दिनांक 25.07.08 आर. 835	श्रीमती सरोज पत्नि श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, नि. ग्राम अहमदपुर कस्बा, तह. व जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 5433/08 दिनांक 25.07.08 आर. 835	श्री हिम्मतसिंह आ. श्री दौलतसिंह रधुवंशी, नि. ग्राम खैराई, तह. नटेरन, जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम. 5434/08 दिनांक 25.07.08 आर. 835	श्री बदनसिंह आ. श्री माधौसिंह यादव, नि. ग्राम खजूरी धोबीखेड़ा तह. नटेरन, जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार)
5	एचसीएम. 5435/08 दिनांक 25.07.08 आर. 835	श्रीमती सरोज बाई पत्नि श्री बंशीलाल भोई, नि. शेरपुरा, जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार)

6	एचसीएम. 5436 / 08 दिनांक 25.07.08 आर. 836	श्री रामभरोसे नेमा आ. स्व. श्री राधेश्याम नेमा निवासी वार्ड क्र.8, छोटे जैन मंदिर के पास, किले के अंदर, जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 5,000 / - (पांच हजार)
7	एचसीएम. 5437 / 08 दिनांक 25.07.08 आर. 836	श्री रामकिशन आ. श्री पोदलिया नि. ग्राम हरिजन मोहल्ला, शमशाबाद, तह. नटेरन जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 5,000 / - (पांच हजार)
8	एचसीएम. 5438 / 08 दिनांक 25.07.08 आर. 836	संचालक, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, ईदगाह हिल्स, भोपाल. श्री श्रीराम तिवारी आ. श्री श्यामलाल तिवारी, नि. ग्राम शेखपुर, तह. कुरवाई जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 30,000 / - (तीस हजार)
9	एचसीएम. 5439 / 08 दिनांक 25.07.08 आर. 836	श्री हरिसिंह आ. श्री शंकरसिंह, नि. ग्राम पही, जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 3,000 / - (तीन हजार)
10	एचसीएम. 5440 / 08 दिनांक 25.07.08 आर. 836	श्री प्रभुलाल आ. श्री मूलचन्द कुशवाह, नि. ग्राम आमखेड़ा सूखा, तह. नटेरन, जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 3,000 / - (तीन हजार)
11	एचसीएम. 5441 / 08 दिनांक 25.07.08 आर. 836	श्रीमती श्यामबाई यादव पत्नि श्रीछोगीलाल यादव नि. ग्राम सावनखेड़ी, तह. लटेरी, जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 5,000 / - (पांच हजार)
12	एचसीएम. 5442 / 08 दिनांक 25.07.08 आर. 836	श्रीमती सरोज सोनी, नि. पेढी चौराहा, होम गार्ड केम्प के पास, जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 5,000 / - (पांच हजार)
13	एचसीएम. 5443 / 08 दिनांक 25.07.08 आर. 836	श्री प्रमोद कुशवाह आ. श्री बल्लू कुशवाह, नि. रायपुरा स्कूल के सामने, वार्ड नं. 9 जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 4,000 / - (चार हजार)
14	एचसीएम. 5444 / 08 दिनांक 25.07.08 आर. 836	संचालक, जशदीप हॉस्पिटल एम.एल. ए. क्वार्टर, जवाहर चौक, भोपाल श्री सुखराम आ. श्री धनीराम विश्वकर्मा, नि. ग्राम चितोरिया तह. व जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 25,000 / - (पच्चीस हजार)
योग:-			रुपये 1,09,000 / -

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,09,000/- (रूपये एक लाख नौ हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 375/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- विदिशा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-376/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- विदिशा
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5445/08 दिनांक 25.07.08 आर. 837	श्री प्रताप सिंह आ. श्री कोमल सिंह राजपूत नि. वार्ड क. 22, लुहांगीपुरा, जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 5446/08 दिनांक 25.07.08 आर. 837	श्री सुरेन्द्र सिंह आ. श्री नारायण सिंह सेंगर, नि. नया गल्ला मंडी रोड़, काछी कुंआ, जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 5447/08 दिनांक 25.07.08 आर. 837	श्री सुनील गुप्ता आ. श्री बाबूलाल गुप्ता नि. वार्ड क.25, लुहांगीपुरा, जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम. 5448/08 दिनांक 25.07.08 आर. 837	श्री राजूपाल आ. श्री प्रभुलाल पाल नि. वार्ड क.22, सुलभ काम्पलेस के सामने, जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
5	एचसीएम. 5449/08 दिनांक 25.07.08 आर. 837	श्री मनोज आ. श्री मूलचंद नागवानी नि. वार्ड क.24, दुर्गानगर, जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
6	एचसीएम. 5450/08 दिनांक 25.07.08 आर. 837	श्री धमेन्द्र आ. श्री दीवान सिंह नामदेव नि. वार्ड क.28, शंकर टीला, जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)

7	एचसीएम. 5451/08 दिनांक 25.07.08 आर. 837	श्री प्रमोद आ. श्री बाबूलाल रैकवार, नि. ढलकपुरा, जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
8	एचसीएम. 5452/08 दिनांक 25.07.08 आर. 837	श्री दीपक आ. श्री बाबूसिंह राय नि. लुहांगीपुरा, जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
9	एचसीएम. 5453/08 दिनांक 25.07.08 आर. 837	श्री मुकेश आ. श्री कल्लू अहिरवार, नि. हलाली कॉलोनी, जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
10	एचसीएम. 5454/08 दिनांक 25.07.08 आर. 837	श्री केशव सिंह रघुवंशी, नि. ग्राम कोलिंजा तह. व जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 50,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 376/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- विदिशा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट**
के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि**
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन
संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-377/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- रायसेन/भोपाल/सीहोर/देवास
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,60,000/- (रूपये एक लाख साठ हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5348/08 दिनांक 22.07.08 आर. 838	संचालक, हरदेव हॉस्पिटल, सिंधु टॉकीज के पास, बैरागढ़, भोपाल श्रीमती गुलाब बाई पत्नि श्री रमेशचन्द्र नागर, नि. ग्राम दीवटिया, तह.गौहरगंज जिला- रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 5352/08 दिनांक 22.07.08 आर. 838	श्री शंकरनाथ आ. श्री बालनाथ नि. वार्ड नं. 31, बापू नगर झुग्गी बस्ती कोटरा जिला- भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 5360/08 दिनांक 22.07.08 आर. 838	संचालक, आचार्य विनोबा भावे रूरल हॉस्पिटल, वर्धा (महा.) श्रीमती रमीया बी पत्नि श्री इब्राहीम खां, मु. मगरखेड़ी, पो. हरजिखेड़ी, तह. आष्टा जिला- सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
4	एचसीएम. 5369/08 दिनांक 22.07.08 आर. 838	श्री रामजी यादव आ. श्री गोरखनाथ यादव नि. जी-12/16, नार्थ टी.टी. नगर जिला- भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)

5	एचसीएम. 5374 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 838	श्री घनश्याम चन्द्रवंशी आ. श्री देवकरण चन्द्रवंशी नि. प्रताप वार्ड नं.1, गांधी आश्रम के पास, जिला- भोपाल (उपचार हेतु)	रुपये 3,000 / - (तीन हजार)
6	एचसीएम. 5378 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 838	श्री मांगीलाल आ. श्री घीसीलाल गौर नि. नई जेल रोड, रतन कॉलोनी, वार्ड नं. 66 करोंद, जिला- भोपाल (उपचार हेतु)	रुपये 3,000 / - (तीन हजार)
7	एचसीएम. 5381 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 838	श्री नेतराम रजक आ. श्री मिश्रीलाल रजक नि. ग्राम मालीखेड़ी, वार्ड नं. 64 विदिशा रोड़, जिला- भोपाल (उपचार हेतु)	रुपये 3,000 / - (तीन हजार)
8	एचसीएम. 5384 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 838	श्री राधेश्याम मालवीय आ. श्री हल्कूराम नि. बालविहार दुर्गा मंदिर के पास, वार्ड नं 62, म.नं.421, आनंद नगर, जिला- भोपाल (उपचार हेतु)	रुपये 3,000 / - (तीन हजार)
9	एचसीएम. 5324 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 839	श्री गजराज सिंह आ. श्री तकतसिंह जी यशोना निवासी ग्राम तालोद तह.सोनकच्छ जिला- देवास (पत्नी के हृदय रोग उपचार हेतु)	रुपये 40,000 / - (चालीस हजार)
10	एचसीएम. 5327 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 839	श्री सुरेश चौधरी निवासी लक्ष्मीबाई मार्ग, सोनकच्छ जिला- देवास (स्वयं के उपचार हेतु)	रुपये 10,000 / - (दस हजार)
11	एचसीएम. 5334 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 839	श्री प्रेमदास बैरागी आ. श्री बालकिशन दास बैरागी, नि. ग्राम घट्टिया, तहसील सोनकच्छ जिला- देवास (पैर के उपचार हेतु)	रुपये 5,000 / - (पांच हजार)
12	एचसीएम. 5339 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 839	श्री दिनेश आ. श्री सत्यनारायण निवासी ग्राम पीपलरावा, तहसील सोनकच्छ जिला- देवास (पत्नी की किडनी के उपचार हेतु)	रुपये 50,000 / - (पचास हजार)
		योग:-	रुपये 1,60,000 / -

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रुपये 1,60,000 / - (रुपये एक लाख साठ हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 377/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- रायसेन/भोपाल/सीहोर/देवास (मध्य प्रदेश)
कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें ।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें । सर्वर में फीड करावें ।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-378/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-भोपाल/ग्वालियर/रायसेन/सीहोर/देवास/गुना/खरगोन/राजगढ़
नीमच
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 92,000/- (रूपये बयानवे हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5337/08 दिनांक 22.07.08 आर. 840	श्री नारायण आंजने नि. शिवांगी किराना स्टोर, डी-1/155, दानिश नगर, होशंगाबाद रोड़, जिला- भोपाल (पुत्र के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
2	एचसीएम. 5340/08 दिनांक 22.07.08 आर. 840	श्रीमती तारादेवी महोविया पत्नि श्री दयाराम महोविया, खिड़की मोहल्ला, लोहा मंडी, जिला- ग्वालियर (उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार)
3	एचसीएम. 5343/08 दिनांक 22.07.08 आर. 840	श्री भगवान सिंह आ. श्री हरगोविंद कुम्हार नि. गैरतगंज जिला- रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
4	एचसीएम. 5347/08 दिनांक 22.07.08 आर. 840	श्री लखनसिंह आ. श्री मोहनसिंह नि. ग्राम जमुनियाकलां, गैरतगंज जिला- रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
5	एचसीएम. 5350/08 दिनांक 22.07.08 आर. 840	श्री फूलसिंह आ. श्री परमलाल नि. भानपुर गढ़ी, गैरतगंज जिला- रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
6	एचसीएम. 5354/08 दिनांक 22.07.08 आर. 840	श्री संतोष आ. श्री सुन्दरसिंह नि. ग्राम कंदुला तह. गैरतगंज जिला- रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)

7	एचसीएम. 5359/08 दिनांक 22.07.08 आर. 840	श्री रामेश्वर प्रसाद मालवीय नि. ग्राम चकल्दी, तह.नसरुल्लागंज जिला— सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/— (पांच हजार)
8	एचसीएम. 5366/08 दिनांक 22.07.08 आर. 840	श्री रामचन्द्र जायसवाल नि. अजनास तह. खातेगांव जिला— देवास (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/— (पांच हजार)
9	एचसीएम. 5370/08 दिनांक 22.07.08 आर. 840	श्री गोविंद प्रसाद आ. श्री राधेलाल शर्मा नि. वार्ड नं. 12, झुग्गी झोपड़ी पटेल नगर जिला— रायसेन (माता जी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/— (दस हजार)
10	एचसीएम. 5323/08 दिनांक 22.07.08 आर. 841	श्री मोहन प्रसाद आ. श्री गोपीलाल नामदेव नि. ग्राम नलखेड़ा, तह. चांचोड़ा जिला— गुना (दमा रोग के उपचार हेतु)	रूपये 2,000/— (दो हजार)
11	एचसीएम. 5326/08 दिनांक 22.07.08 आर. 841	सुश्री सरोज अग्रवाल नि.11/12 विंडसर स्टेट पटेल कालोनी चूना भट्टी, जिला— भोपाल (आर्थिक सहायता)	रूपये 3,000/— (तीन हजार)
12	एचसीएम. 5329/08 दिनांक 22.07.08 आर. 841	श्री इरफान खां नि. 1491 मकबरा वाली मस्जिद के पास, बाग फरहत आफ्जा जिला— भोपाल (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/— (तीन हजार)
13	एचसीएम. 5331/08 दिनांक 22.07.08 आर. 841	श्री कल्याण सिंह चौहान आ. स्व. श्री ध्यान सिंह नि. ग्राम बोदगांव तह. बड़वाह जिला— खरगोन (थायरॉइड के उपचार हेतु)	रूपये 2,000/— (दो हजार)
14	एचसीएम. 5335/08 दिनांक 22.07.08 आर. 841	श्रीमती कमला बाई पत्नी श्री माखनसिंह नि. ग्राम नीलबड़ ग्राम पंचायत नाथू बरखेड़ा, जिला— भोपाल (पति के कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/— (पांच हजार)
15	एचसीएम. 5338/08 दिनांक 22.07.08 आर. 841	श्री सुखराम बंजारा नि. ग्राम झागरिया तह. नरसिंहगढ़, जिला— राजगढ़ (पुत्री आरती के जलने पर उपचार हेतु)	रूपये 5,000/— (पांच हजार)
16	एचसीएम. 5342/08 दिनांक 22.07.08 आर. 841	श्री यशवंत आ. श्री रामविलास बटवाल, नि. ग्राम पड़दा तह.मनासा, जिला— नीमच (पति के कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/— (पांच हजार)
योग:—			रूपये 92,000/—

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 92,000/— (रूपये बयानवे हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहे हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 378/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
- 3 कोषालय अधिकारी, जिला- भोपाल/ग्वालियर/रायसेन/सीहोर/देवास/गुना/ खरगोन/राजगढ़/नीमच (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।

4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.

6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित

7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-379/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-भोपाल/रायसेन/ग्वालियर/पन्ना/होशंगाबाद/शिवपुरी/राजगढ़/
छतरपुर.
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 3,87,000/- (रूपये तीन लाख सितयासी हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5322/08 दिनांक 22.07.08 आर. 842	संचालक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली. श्रीमती रजनी शर्मा पत्नि श्री संतोष शर्मा, निवासी आर.बी.-125, इण्डस टाउन, होशंगाबाद रोड, जिला- भोपाल (ब्रेन कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
2	एचसीएम. 5325/08 दिनांक 22.07.08 आर. 842	संचालक, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रायसेन बायपास रोड, भोपाल श्री सुदामा प्रसाद आ. श्री खुशीलालजी निवासी ग्राम पैतम तह.व जिला- रायसेन (हृदय की शल्यक्रिया हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार)
3	एचसीएम. 5328/08 दिनांक 22.07.08 आर. 842	संचालक, भोपाल चेरीटेबल हॉस्पिटल, नूर महल चौकी इमामबाड़ा, भोपाल श्री अब्दुल करीम निवासी नूरगंज तह. बरेली, जिला- रायसेन (पुत्र मास्टर राशिद के उपचार हेतु)	रूपये 35,000/- (पैंतीस हजार)
4	एचसीएम. 5332/08 दिनांक 22.07.08 आर. 842	श्री भगवत सिंह मेवाड़ा, सरपंच ग्राम पंचायत फंदा कला, जिला- भोपाल (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)

5	एचसीएम. 5330/08 दिनांक 22.07.08 आर. 843	श्रीमती कमला पत्नी श्री भागीरथ वर्मा निवासी न्यू रेल्वे कालोनी, झंडाधारी हनुमान गली लोको, जिला- ग्वालियर (पति के लीवर के उपचार हेतु)	रुपये 2,000/- (दो हजार)
6	एचसीएम. 5333/08 दिनांक 22.07.08 आर. 843	श्री पंचमलाल उपाध्याय आ. श्री मुरलीधर उपाध्याय निवासी ग्राम पगरा, तह. गुनौर, जिला- पन्ना (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (तीन हजार)
7	एचसीएम. 5336/08 दिनांक 22.07.08 आर. 843	श्री राजेश गोदरे, निवासी बजरंगपुरा शंकर मंदिर के पास ईटारसी, जिला- होशंगाबाद (पुत्री कु. सोनिया के उपचार हेतु)	रुपये 7,000/- (सात हजार)
8	एचसीएम. 5341/08 दिनांक 22.07.08 आर. 843	संचालक, कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट जन विकास न्यास ग्वालियर श्री भोलेराम ओझा आ.श्री रामसिंह ओझा नि.ग्राम करई गंगौरा तह.व जिला- शिवपुरी (गले के कैंसर के उपचार हेतु)	रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
9	एचसीएम. 5345/08 दिनांक 22.07.08 आर. 843	संचालक, भोपाल चेरीटेबल हॉस्पिटल, नूर महल चौकी इमामबाड़ा, भोपाल श्री शिवजीराम आ. श्री हरचन्दलाल, नि. ग्राम लसुडल्या भामा तह. नरसिंहगढ़, जिला- राजगढ़ (अण्डकोष की शल्यक्रिया हेतु)	रुपये 10,000/- (दस हजार)
10	एचसीएम. 5376/08 दिनांक 22.07.08 आर. 844	संचालक, नर्मदा ट्रामा सेंटर प्रा. लि., ई-3/23, अरेरा कालोनी, भोपाल श्री इरशाद खां आ. स्व. श्री अनीस खां नि. ग्राम दीवटिया, तह. गोहरगंज जिला- रायसेन (घायल होने पर उपचार हेतु)	रुपये 40,000/- (चालीस हजार)
11	एचसीएम. 5380/08 दिनांक 22.07.08 आर. 844	संचालक, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रायसेन बायपास रोड़, भोपाल श्री साहबसिंह पटेल आ. श्री छोटेलाल नि. ग्राम सोहजनी, पो. सेमरीतला, जिला- होशंगाबाद (हृदय के उपचार हेतु)	रुपये 40,000/- (चालीस हजार)
12	एचसीएम. 5383/08 दिनांक 22.07.08 आर. 844	श्रीमती मुन्नीबाई पत्नि स्व. श्री होशियार सिंह चौहान, द्वारा एस.एस. चौहान, 413 रचना नगर जिला- भोपाल (उपचार हेतु)	रुपये 45,000/- (पैंतालीस हजार)
13	एचसीएम. 5386/08 दिनांक 22.07.08 आर. 844	संचालक, चिरायु हॉस्पिटल मालीपुरा, भोपाल श्री इंद्र कुमार आ. श्री बाबूलाल नि. बरेलागांव लालघाटी, जिला- भोपाल (उपचार हेतु)	रुपये 40,000/- (चालीस हजार)

14	एचसीएम. 5389/08 दिनांक 22.07.08 आर. 844	संचालक, कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट जन विकास न्यास ग्वालियर श्रीमती इन्द्रा निगम पत्नि श्री शैलेन्द्र निगम, द्वारा श्री ब्रजेश निगम, निवासी म नं. 31/77, रामाजी नगर हा. से. स्कूल के पीछे, जिला- छतरपुर (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 40,000/- (चालीस हजार)
		योग:-	रूपये 3,87,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 3,87,000/- (रूपये तीन लाख सितयासी हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 379/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
- 3 कोषालय अधिकारी, जिला- भोपाल/रायसेन/ग्वालियर/पन्ना/होशंगाबाद/
शिवपुरी/राजगढ़/छतरपुर. (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के
आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को

उपलब्ध करावें।

4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-382/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-भोपाल/सागर/बैतूल/गुना/अशोकनगर/रीवा/शाजापुर.
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 76,000/- (रूपये छियत्तर हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5355/08 दिनांक 22.07.08 आर. 845	श्रीमती मीना गुप्ता पत्नी श्री शंकर प्रसाद गुप्ता, निवासी मकान नं.18, ओमेगा कालोनी, आनंद नगर, जिला- भोपाल (केंसर के उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार)
2	एचसीएम. 5358/08 दिनांक 22.07.08 आर. 845	श्री अतुल शर्मा निवासी पटसरी त्योंदा पो. हिरनखेड़ा, तह. राहतगढ़, जिला- सागर (माताजी के चर्मरोग के उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार)
3	एचसीएम. 5362/08 दिनांक 22.07.08 आर. 845	श्री राजूसिंह आ. श्री जयसिंह निवासी 115/10, सर्वेन्ट क्वार्टर साढ़े 6 नंबर स्टाप, शिवाजी नगर, जिला- भोपाल (पुत्र की आकस्मिक मृत्यु होने पर)	रूपये 2,000/- (दो हजार)
4	एचसीएम. 5363/08 दिनांक 22.07.08 आर. 845	श्री मुन्ना मानेकर नि. ग्राम संसुदा तह. आमला, जिला- बैतूल (पुत्र के जन्मांध होने पर)	रूपये 2,000/- (दो हजार)
5	एचसीएम. 5367/08 दिनांक 22.07.08 आर. 845	श्रीमती नफीसा बी पत्नी श्री सलीम नि. म. नं. 55 गली नं. 2, वार्ड 8, कश्मीरी पेंटर की गली माडल ग्राउण्ड शाहजहानाबाद जिला- भोपाल (पुत्री की मर्गी के बीमारी उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार)

6	एचसीएम. 5372/08 दिनांक 22.07.08 आर. 845	श्री जवाहरलाल आ. श्री मंगलसिंह धानुक, नि.झुग्गी नं.13 इन्द्रा सहायता नगर वार्ड नं. 16,डी.आई.जी. बंगला चौराहा बैरसिया रोड़, जिला- भोपाल (क्षय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार)
7	एचसीएम. 5375/08 दिनांक 22.07.08 आर. 845	श्री भूरेलाल नि. ग्राम ढाडोया,जिला- गुना (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार)
8	एचसीएम. 5377/08 दिनांक 22.07.08 आर. 845	श्रीमती मुल्लो बाई कुशवाह, नि. वार्ड नं. 3, शंकर कालोनी, जिला- अशोक नगर (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार)
9	एचसीएम. 5365/08 दिनांक 22.07.08 आर. 846	संचालक, चिरायु अस्पताल, भोपाल श्रीमती शायरा अंसारी पत्नी श्री मो. जलील अंसारी नि. अनील पाण्डे के बगल में, मझियार हाउस, जिला- रीवा (पति के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
10	एचसीएम. 5371/08 दिनांक 22.07.08 आर. 846	संचालक, सी.एच.एल, अपोलो हास्पिटल, इन्दौर. श्रीमती लीलाबाई पत्नी श्री बहादुर सिंह नं. ग्राम रलायती तह. बड़ोद जिला- शाजापुर. (उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
11	एचसीएम. 5388/08 दिनांक 22.07.08 आर. 846	श्री कल्याण सिंह राठौर आ. श्री शिवलाल राठौर, नि. 4/52, सदर बाजार जिला- सागर (किडनी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
योग:-			रूपये 76,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 76,000/- (रूपये छियत्तर हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 382/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
- 3 कोषालय अधिकारी, जिला- भोपाल/सागर/बैतूल/गुना/अशोकनगर/रीवा/शाजापुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-384/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-सीहोर/भोपाल/नरसिंहपुर/हरदा/होशंगाबाद/देवास/विदिशा.
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 3,85,000/- (रूपये तीन लाख पिचयासी हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5346/08 दिनांक 22.07.08 आर. 847	श्री रामभरोस जोशी नि. सुभाष कॉलोनी, वार्ड नं.1, नसरुल्ला गंज जिला- सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 5351/08 दिनांक 22.07.08 आर. 847	श्री सलीम खां आ. श्री अली मोहम्मद नि. पीलीकरार, तह. बुधनी जिला- सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम. 5361/08 दिनांक 22.07.08 आर. 847	संचालक, नर्मदा ट्रामा सेंटर प्रा.लि. ई 3/23, अरेरा कालोनी भोपाल श्री विनय सहाय श्रीवास्तव आ. श्री एल. एस. श्रीवास्तव नि. 306,स्वीट होम्स, इन्द्रपुरी, भेल, जिला- भोपाल (जल जाने पर उपचार हेतु)	रूपये 30,000/- (तीस हजार)

4	एचसीएम. 5364 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 847	संचालक, नर्मदा ट्रामा सेंटर प्रा.लि. ई 3/23, अरेरा कालोनी भोपाल श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव पत्नि श्री विनय सहाय श्रीवास्तव नि. 306,स्वीट होम्स, इन्द्रपुरी, भेल, जिला- भोपाल (जल जाने पर उपचार हेतु)	रूपये 30,000 /- (तीस हजार)
5	एचसीएम. 5368 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 847	संचालक, नर्मदा ट्रामा सेंटर प्रा.लि. ई 3/23, अरेरा कालोनी भोपाल कु. नम्रता श्रीवास्तव पुत्री श्री विनय सहाय श्रीवास्तव नि. 306,स्वीट होम्स, इन्द्रपुरी, भेल, जिला- भोपाल (जल जाने पर उपचार हेतु)	रूपये 30,000 /- (तीस हजार)
6	एचसीएम. 5356 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 847	श्री सुरेश कुमार मेहरा, नि. ग्राम नांदनेर तह.बुधनी, जिला- सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार)
7	एचसीएम. 5373 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 847	संचालक, सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्स, बजाज नगर, नागपुर श्री बंसत जैन आ. स्व. श्री हुकुमचन्द जैन, नि.इन्द्रावार्ड, गाडरवारा,जिला- नरसिंहपुर (जल जाने पर उपचार हेतु)	रूपये 50,000 /- (पचास हजार)
8	एचसीएम. 5379 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 848	संचालक, ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल, इन्दौर श्री मदनसिंह राजपूत आ. श्री धनसिंह नि. ग्राम सौतड़ा, तह. टिमरनी, जिला- हरदा (उपचार हेतु)	रूपये 35,000 /- (पैंतीस हजार)
9	एचसीएम. 5382 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 848	संचालक, रेटिना केयर हॉस्पिटल, धानतोली नागपुर. श्रीमती उमा बाई पत्नि श्री मदनलाल नि. ग्राम शोभापुर तह. सोहागपुर, जिला- होशंगाबाद (उपचार हेतु)	रूपये 15,000 /- (पन्द्रह हजार)
10	एचसीएम. 5390 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 848	संचालक, चिरायु हॉस्पिटल, मालीपुरा भोपाल श्री द्वारका प्रसाद शर्मा नि. ग्राम सरदार नगर तह. बुधनी, जिला- सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 35,000 /- (पैंतीस हजार)

11	एचसीएम. 5391 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 848	संचालक, आयुष हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, प्रभात पेट्रोल पंप के पास, भोपाल श्रीमती शकुनबाई पत्नि श्री घासीराम सोनी, नि. ग्राम चकल्दी, तह. नसरुल्लागंज, जिला- सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
12	एचसीएम. 5394 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 848	संचालक, गोकुलदास हार्ट हॉस्पिटल, 11 डॉ. सरजू प्रसाद मार्ग, इन्दौर. श्री नीतेश साहू आ. श्री गनपत साहू नि. खातेगांव, जिला- देवास (उपचार हेतु)	रूपये 35,000/- (पैंतीस हजार)
13	एचसीएम. 5397 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 848	संचालक, चौईथराम हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, इन्दौर. श्री मदनलाल गुर्जर आ. श्री गंगाकिशन नि. ग्राम मोहई जागीर, तह. कन्नौद, जिला- देवास (उपचार हेतु)	रूपये 30,000/- (तीस हजार)
14	एचसीएम. 5387 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 848	संचालक, विरायु हॉस्पिटल, मालीपुरा भोपाल श्री भगवानदास गुर्जर आ. श्री चुन्नीलाल नि. ग्राम डोलरिया, तह. टिमरनी, जिला- हरदा (उपचार हेतु)	रूपये 45,000/- (पैंतालीस हजार)
15	एचसीएम. 5387 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 848	संचालक, भोपाल चेरीटेबल हास्पिटल, नूर महल चौकी इमामबाड़ा, भोपाल मा. हर्ष रैकवार आ. श्री राजू रैकवार नि. रविदास कॉलोनी के पीछे, विश्वकर्मा मंदिर के पास, गंज बासौदा, जिला- विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
योग:-			रूपये 3,85,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 3,85,000/- (रूपये तीन लाख पिचयासी हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 384/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
- 3 कोषालय अधिकारी, जिला- सीहोर/भोपाल/नरसिंहपुर/हरदा/होशंगाबाद/
देवास/विदिशा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त
राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें ।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन
संबंधित कलेक्टर को भेजें । सर्वर में फीड करावें ।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-396/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- रायसेन/ भोपाल/सीहोर /ग्वालियर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 1,75,000/- (रूपये एक लाख पच्छहत्तर हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5385/08 दिनांक 22.07.08 आर. 849	संचालक, एल.बी.एस हास्पिटल 73 ताजुल मस्जिद रोड मोतिया तालाब के सामने भोपाल श्रीमती शकुन बाई पत्नि श्री जमनाप्रसाद धाकड़ नि. चिंगवाड़ा कला, पो. तुलसीपार तह. सिलवानी जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)
2.	एचसीएम. 5392/08 दिनांक 22.07.08 आर. 849	श्री प्रमोद पाटिल आ. स्व. श्री एल के पाटिल नि. मकान नं जनता 421, कोटरा सुल्तानाबाद जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5395/08 दिनांक 22.07.08 आर. 849	श्री सुरेश कुमार लोवंशी नि. मु.पो. सोयत तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (मा. सोनू के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार मात्र)

4	एचसीएम. 5396 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 849	संचालक शेखर हास्पिटल शाहपुरा मनीषा मार्केट भोपाल श्रीमती भगवती बाई पत्नि श्री अनोखीलाल पंवार नि. ग्राम हाथीघाट, तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 40,000 / - (चालीस हजार मात्र)
5	एचसीएम. 5398 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 849	संचालक, सूर्या क्लीनिक, 467 संगम सिनेमा के सामने हमीदिया रोड भोपाल श्रीमती रसकुवरबाई पत्नि श्री भगवान सिंह नि. ग्राम चिचलायकलां तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार मात्र)
6	एचसीएम. 5399 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 849	संचालक, जशदीप हॉस्पिटल एम.एल.ए. क्वाटर्स भदभदा रोड भोपाल श्रीमती आशाबाई पत्नि श्री निर्मलसिंह नि. ग्राम चींच तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार मात्र)
7	एचसीएम. 5400 / 08 दिनांक 16.07.08 आर. 829	श्री प्रभदयाल आ. श्री रामप्रसाद नि. वार्ड क्र. 32 शिवनगर झुग्गी बस्ती, 74 बंगला जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5401 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 849	श्री ऋषि बाथम नि. शिन्दे की छावनी बिजली घर के पास नारायण बाई की गंजी जिला ग्वालियर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार मात्र)
9	एचसीएम. 5402 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 849	श्री रामस्वरूप विश्वकर्मा नि. म0नं. 13, फतेहगढ़ जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार मात्र)
10	एचसीएम. 5403 / 08 दिनांक 16.07.08 आर. 829	श्री राहुल गोस्वामी निवासी म.नं.07 फतेहगढ़ जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार मात्र)
11	एचसीएम. 5404 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 849	श्री बद्रीप्रसाद कीर निवासी ग्राम जहाजपुरा जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार मात्र)
12	एचसीएम. 5405 / 08 दिनांक 22.07.08 आर. 849	श्री रामभरोसे यादव आ. श्री रामदयाल निवासी ग्राम सेमरी तहसील बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार मात्र)

13	एचसीएम. 5406/08 दिनांक 22.07.08 आर. 849	श्री श्यामगिर गोस्वामी निवासी ग्राम बोरी तहसील बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रुपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
14	एचसीएम. 5407/08 दिनांक 22.07.08 आर. 849	श्री रूपराम आ. श्री मुशीलाल निवासी ग्राम बोरी तहसील बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रुपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
15	एचसीएम. 5408/08 दिनांक 22.07.08 आर. 849	श्री सुन्दरलाल आ. श्री रामलाल खाती निवासी ग्राम खामखेड़ा बैजनाथ तह. आष्टा जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रुपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
16	एचसीएम. 5409/08 दिनांक 22.07.08 आर. 849	श्री ठाकुर प्रसाद आ. श्री रंजीतसिंह खाती निवासी ग्राम खामखेड़ा बैजनाथ तह. आष्टा जिला सीहोर (पुत्री के उपचार हेतु)	रुपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
योग:-			रुपये 1,75,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,75,000/- (रुपये एक लाख पच्छहत्तर हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)-सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-396/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- रायसेन/ भोपाल/सीहोर /ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-397/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- भोपाल/बैतूल/देवास/गुना
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 36,000/- (रूपये छत्तीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5417/08 दिनांक 24.07.08 आर. 850	श्रीमती यासमीन पी.जी.बी.टी. कॉलेज बैरसिया रोड जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
2.	एचसीएम. 5418/08 दिनांक 24.07.08 आर. 850	श्रीमती कलाबाई पत्नि श्री शेषराव निवासी भीमनगर बी.एच.ई.एल. फिल्टर प्लांट के पीछे जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5419/08 दिनांक 24.07.08 आर. 850	श्री रामचंद्र साहू पी.ए.आई. नि. वि. धु.म. क्वाटर नं.321 सारनी जिला बैतूल (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
4	एचसीएम. 5420/08 दिनांक 24.07.08 आर. 850	श्रीमती सायराबी पत्नि श्री दिलाबर शाह नि. ग्राम सन्नोड़ तह. व जिला देवास (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)

5	एचसीएम. 5421/08 दिनांक 24.07.08 आर. 850	श्रीमती गंगादेवी शर्मा पत्नि स्व. श्री नारायणप्रसाद चबूतरा मोहल्ला वार्ड क्र. 7 अरोन जिला गुना (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
6	एचसीएम. 5422/08 दिनांक 24.07.08 आर. 850	श्रीमती भारती बाथम पत्नि श्री सुनील बाथम नि. मकान नं. 22 गली नं. 2, भोईपुरा बुधवारा, जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
7	एचसीएम. 5423/08 दिनांक 24.07.08 आर. 850	श्रीमती जगुरन रंगरेज नि. वार्ड नं. 15, गौतम गली छोटा जैन मंदिर के पीछे जिला (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5424/08 दिनांक 24.07.08 आर. 850	श्रीमती मंगूबाई पत्नि श्री रमेश नि. ग्राम करोदिया तह. बैरसिया जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
9	एचसीएम. 5425/08 दिनांक 24.07.08 आर. 850	श्रीमती लक्ष्मी विश्वास निवासी मकान नं. 11, वार्ड नं. 52, शाहपुरा प्राथमिक शाला के सामने जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
10	एचसीएम. 5426/08 दिनांक 24.07.08 आर. 850	श्री रामप्रसाद आ. श्री रामलाल सहरिया निवासी ग्राम कीताखेडी तह. राघौगढ. जिला गुना (पुत्र के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
योग:-			रूपये 36,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 36,000/- (रूपये छत्तीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)-सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-397/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- भोपाल/बैतूल/देवास/गुना (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-398 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- सागर/भोपाल/राजगढ़/विदिशा
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 1,05,000/- (रूपये एक लाख पांच हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5410/08 दिनांक 24.07.08 आर. 851	संचालक जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ईदगाह हिल्स भोपाल श्री विनोद कुमार जैन आ. श्री मोतीलाल जैन निवासी म.नं 51 खत्री टेलर के पास रामपुरा वार्ड जिला सागर (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)
2.	एचसीएम. 5411/08 दिनांक 24.07.08 आर. 851	संचालक, ग्लोबल हास्पिटल ई-5/24 अरेरा पेट्रोल पंप के सामने भोपाल श्री मनोज रैकवार आ. स्व. श्री बालाप्रसाद निवासी 6/104, रविशंकर नगर जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5412/08 दिनांक 24.07.08 आर. 851	श्री अशोक वर्मा निवासी वार्ड नं. 17, माता शीतला मार्ग ब्यावरा जिला राजगढ़ (पत्नि के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)

4	एचसीएम. 5413/08 दिनांक 24.07.08 आर. 851	श्रीमती देवी खत्री पत्नि श्री सुरेश खत्री निवासी सर्वेट क्वाटर ई-1/67 अरेरा कॉलोनी जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
5	एचसीएम. 5414/08 दिनांक 24.07.08 आर. 851	श्रीमती ताराबाई पत्नि श्री पन्नालाल, इन्द्रानगर शाहजहानाबाद वार्ड नं. 13, टीलाजमालपुर रोड जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
6	एचसीएम. 5415/08 दिनांक 24.07.08 आर. 851	संचालक जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ईदगाह हिल्स भोपाल श्रीमती प्रभा पांडेय पत्नि श्री नागेन्द्र कुमार पांडेय नि. लटेरी हॉस्पिटल के पास लटेरी जिला विदिशा (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)
7	एचसीएम. 5416/08 दिनांक 24.07.08 आर. 851	संचालक भोपाल मेमोरियल हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रायसेन बायपास रोड भोपाल श्री सुरेश मीना आ. श्री मानसिंह नि. ग्राम सरवर पो. रातीबड़ जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)
योग:-			रूपये 1,05,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,05,000/- (रूपये एक लाख पांच हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-398/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- सागर/भोपाल/राजगढ़/विदिशा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
-::आदेश::-

कमांक एफ ए 7-255/2008/एक (1)
/08/2008
प्रति,

भोपाल, दिनांक

कलेक्टर,
जिला-भोपाल,
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-5,000 /-(रूपये-पाँच हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स कमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम-3402/08 दिनांक 24.07.08 आर-336	श्री मानसिंह देशवाली, झुग्गी नं0 232, एन-2, सी0 सेक्टर, पिपलानी, जिला-भोपाल (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये-5,000 /- (पाँच हजार)
		योग:-	रूपये-5,000 /-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-5,000 /-(रूपये पाँच हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश कमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ 5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000- 0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. कमांक एफ ए 7-255/2008/एक (1)
/08/2008

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-भोपाल (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-389/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-सीहोर/भोपाल.
(मध्यप्रदेश)

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,40,000/- (रूपये एक लाख चालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5489/08 दिनांक 28.07.08 आर. 853	संचालक, सी.एच.एल. अपोलो हॉस्पिटल, इन्दौर. श्री छोटेलाल आ. श्री मूलचन्द निवासी ग्राम पांगरा तह. बुधनी, जिला- सीहोर (केंसर के उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000/- (एक लाख)
2	एचसीएम. 5487/08 दिनांक 28.07.08 आर. 860	संचालक, जवाहरलाल नेहरू केंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, ईदगाह हिल्स, भोपाल. श्री राकेश शुक्ला आ. श्री एल.एम. शुक्ला, निवासी जी-24 सी.आई. कालोनी, जहांगीराबाद, जिला- भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 40,000/- (चालीस हजार)
योग:-			रूपये 1,40,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,40,000/- (रूपये एक लाख चालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 389/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 11 /08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
- 3 कोषालय अधिकारी, जिला- सीहोर/भोपाल (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रैजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-391/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 08/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- रायसेन/सीहोर/भोपाल
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 1,25,000/- (रूपये एक लाख पच्चीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5477/08 दिनांक 26.07.08 आर. 854	श्री काशीराम आ. श्री भोगचंद नि. ग्राम लिलगवां तह. गैरतगंज जिला रायसेन (पत्नि के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
2.	एचसीएम. 5478/08 दिनांक 26.07.08 आर. 854	श्रीमती नफीसा पत्नि स्व. श्री हनीफखां नि. ग्राम डोबी तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5479/08 दिनांक 26.07.08 आर. 854	श्रीमती सीमा बातवी पत्नि श्री ओ. पी.बातवी नि. एच.एस. 216, नया बसेरा कोटरा सुल्तानाबाद जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार मात्र)
4	एचसीएम. 5480/08 दिनांक 26.07.08 आर. 854	संचालक, न्यू अपेक्स हॉस्पिटल 171 बैरसिया रोड, भोपाल श्री विजय रावत द्वारा डॉआर के दीक्षित चिनार स्टेट जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार मात्र)

5	एचसीएम. 5481/08 दिनांक 26.07.08 आर. 854	श्री अजय दुबे आ. श्री नवलकिशोर दुबे नि. ग्राम बायां तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
6	एचसीएम. 5482/08 दिनांक 26.07.08 आर. 854	श्री प्रेमनारायण माहेश्वरी आ. श्री बिहारीलाल माहेश्वरी नि. वार्ड क्र. 2, रेंज के सामने रेहटी, तह बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार मात्र)
7	एचसीएम. 5483/08 दिनांक 26.07.08 आर. 854	संचालक नर्मदा ट्रामा सेंटर प्रा. लि. ई-3/23, अरेरा कालोनी भोपाल श्री शैलेन्द्र सिंह आ. श्री साहबसिंह नि. ग्राम ठीकरी तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5484/08 दिनांक 26.07.08 आर. 854	संचालक नर्मदा ट्रामा सेंटर प्रा. लि. ई-3/23, अरेरा कालोनी भोपाल श्री कुलदीप सिंह आ. श्री सरदार सिंह नि. ग्राम नांदनेर, तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
9	एचसीएम. 5485/08 दिनांक 26.07.08 आर. 854	संचालक, पारुल हॉस्पिटल अंकुर कॉलोनी शिवाजी नगर भोपाल श्री सुभाष यादव आ. श्री देवीसिंह यादव नि. गोपाल पटेल कॉलोनी नसरुल्लागंज जिला सीहोर (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)
योग:-			रूपये 1,25,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,25,000/- (रूपये एक लाख पच्चीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. कमांक एफ ए 7-391/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- रायसेन/सीहोर/भोपाल (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें ।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें । सर्वर में फीड करावें ।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7- 402/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 14/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- सीहोर/रायसेन
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 67,000/- (रूपये सड़सठ हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5463/08 दिनांक 26.07.08 आर. 855	श्रीमती धापूबाई पत्नि श्री हजारीलाल नि. ग्राम आगरा तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
2.	एचसीएम. 5465/08 दिनांक 26.07.08 आर. 855	श्री गरुदयाल आ. श्री रामदयाल नि. ग्राम सियागहन, तह बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5467/08 दिनांक 26.07.08 आर. 855	श्रीमती जुबेदा बी पत्नि श्री वली मोहम्मद खां नि. चांदनी गार्डन हाई स्कूल के पीछे नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार मात्र)
4	एचसीएम. 5468/08 दिनांक 26.07.08 आर. 855	श्री मस्तान सिंह आ. श्री अनूपसिंह नि. ग्राम श्यामूगांव तह नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)

5	एचसीएम. 5470/08 दिनांक 26.07.08 आर. 855	श्रीमती पार्वतीबाई पत्नि श्री गोपीलाल नि. वार्ड नं. 13 बाड़ी तह बरेली जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
6	एचसीएम. 5472/08 दिनांक 26.07.08 आर. 855	श्रीमती गीता तेकाम पत्नि श्री जीवनसिंह गौड़ नि. वार्ड नं 14, ग्राम माना तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
7	एचसीएम. 5474/08 दिनांक 26.07.08 आर. 855	श्री मोहनलाल आ. श्री किशोरीलाल नि. ग्राम धोखंडा तह. बरेली जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5475/08 दिनांक 26.07.08 आर. 855	श्रीमती भगवती बाई पत्नि स्व. श्री कालूराम वर्मा नि. वार्ड नं. 17, रेल्वे फाटक के सामने मंडीदीप जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
9	एचसीएम. 5476/08 दिनांक 26.07.08 आर. 855	संचालक, एस.एन.जी. हॉस्पिटल 16/1 साउथ तुकोगंज कंचनबाग मेनरोड इंदौर श्री नवाब खां आत्र श्री बाबूखां नि. हलियाखेड़ी, तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार मात्र)
योग:-			रूपये 67,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 67,000/- (रूपये सड़सठ हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 14/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-402 /2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- रायसेन/सीहोर/भोपाल (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-392/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 14/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- देवास/रायसेन/विदिशा/सीहोर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 60,000/- (रूपये साठ हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5458/08 दिनांक 26.07.08 आर. 856	श्री नरेन्द्र आ. श्री नर्मदाप्रसाद चावड़ा (महेश्वरी) नि. कन्नोद जिला देवास (पिता के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)
2.	एचसीएम. 5459/08 दिनांक 26.07.08 आर. 856	श्री वादामसिंह मीणा आ. श्री रामरतन मीणा नि. ग्राम ढकना चपरा वि.खं. सांची जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5460/08 दिनांक 26.07.08 आर. 856	श्री बन्ने खां आ. श्री खुदावक्स नि. सोमवारा, तह. नटेरन जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
4	एचसीएम. 5461/08 दिनांक 26.07.08 आर. 856	श्रीमती सुनीता पत्नि स्व. श्री दोजा अहिरवार नि. महुआखेड़ा तह. कुरवाई जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
5	एचसीएम. 5462/08 दिनांक 26.07.08 आर. 856	श्रीमती सुमनबाई पत्नि श्री संतोष नि. ग्राम खितवाई, तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार मात्र)

6	एचसीएम. 5464 / 08 दिनांक 26.07.08 आर. 856	श्री राहुल आ. श्री रेसला वारेला नि. ग्राम इटावाखुर्द तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार मात्र)
7	एचसीएम. 5466 / 08 दिनांक 26.07.08 आर. 856	श्री छोटेलाल आ. श्री इमरतलाल नि. ग्राम डोबी, तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 2,000 / - (दो हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5469 / 08 दिनांक 26.07.08 आर. 856	श्रीमती सम्पतबाई पत्नि श्री मानसिंह नागर नि. ग्राम पानगुराडिया तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 3,000 / - (तीन हजार मात्र)
9	एचसीएम. 5471 / 08 दिनांक 26.07.08 आर. 856	श्री नत्थूसिंह आ. श्री रघुनाथ सिंह नि. ग्राम देवरीकलां, पो. सनखेड़ा, तह. बरेली जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 1,000 / - (एक हजार मात्र)
10	एचसीएम. 5473 / 08 दिनांक 26.07.08 आर. 856	श्री उमेश कुमार साहू नि. न्यू हायर सेकण्डरी स्कूल के पास रेहटी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार मात्र)
		योग:-	रूपये 60,000 / -

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 60,000 / - (रूपये साठ हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)-सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 14/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-392/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- देवास/रायसेन/विदिशा/सीहोर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-393/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-रायसेन/सीहोर.
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,13,000/- (रूपये एक लाख तेरह हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5490/08 दिनांक 30.07.08 आर. 857	संचालक, कृष्णा हॉस्पिटल, चिकलोद रोड जहांगीराबाद, भोपाल श्री सुरजन सिंह आ. श्री कालासिंह नि. ग्राम कनका जिला- रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 5491/08 दिनांक 30.07.08 आर. 857	संचालक, गुरुदत्त यूरो हॉस्पिटल, हमीदिया अस्पताल के पास, भोपाल श्री भगवानसिंह आ. श्री अन्तराम नि. ग्राम जोनतला तह. बुधनी जिला- सिहोर (उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
3	एचसीएम. 5492/08 दिनांक 30.07.08 आर. 857	संचालक, सी.एच.एल. अपोलो हॉस्पिटल इन्दौर. श्री इरफान खान आ. श्री रहीस खान नि. ग्राम कलवाना, तह. नसरुल्लागंज, जिला- सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 40,000/- (चालीस हजार)

4	एचसीएम. 5493 / 08 दिनांक 30.07.08 आर. 857	संचालक, चौईथराम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मानिक बाग रोड़, इन्दौर. मा. आयुष गुप्ता आ. श्री मुकेश गुप्ता, नि. हनुमान चौक, रेहटी जिला- सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 40,000 /- (चालीस हजार)
5	एचसीएम. 5494 / 08 दिनांक 30.07.08 आर. 857	संचालक, पालीवाल हॉस्पिटल प्रा. लि. बैरसिया रोड़, भोपाल श्रीमती शकुंतला देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश नि. भैरो मंदिर के पास, बुधनी घाट जिला- सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 15,000 /- (पन्द्रह हजार)
		योग:-	रूपये 1,13,000 /-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,13,000 /- (रूपये एक लाख तेरह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा **इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर **15 दिवस के भीतर** निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। **यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।**

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013--105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 393/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 11 /08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
- 3 कोषालय अधिकारी, जिला- सीहोर/भोपाल/नरसिंहपुर/हरदा/होशंगाबाद/
देवास/विदिशा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त
राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन
संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश-585

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-394/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- विदिशा/सीहोर.
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,95,000/- (रूपये एक लाख पिचानवे हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5497/08 दिनांक 30.07.08 आर. 858	संचालक, चिरंजीवी हास्पिटल, युवराज क्लब रोड, विदिशा. श्री विशंभर सिंह भदौरिया निवासी चौपड़ापुरा, जिला- विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 35,000/- (पैंतीस हजार)
2	एचसीएम. 5499/08 दिनांक 30.07.08 आर. 858	संचालक, भोपाल मेमोरियल हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, रायसेन बायपास रोड, भोपाल श्री पहलवानसिंह पुत्र श्री रामप्रसाद नि ग्राम मलकपुर, तह.बासौदा जिला-विदिशा (गैंगरीन के उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार)
3	एचसीएम. 5501/08 दिनांक 30.07.08 आर. 858	श्री बुन्देल सिंह आ. श्री हरनाम सिंह, नि. ग्राम हरदूखेड़ी, तह.गंजबासौदा जिला- विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)

4	एचसीएम. 5503/08 दिनांक 30.07.08 आर. 858	श्री सुरेश विश्वकर्मा आ. स्व. श्री छोटेलाल विश्वकर्मा, नि. ग्राम डोबी, तह. बुधनी जिला- सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
5	एचसीएम. 5505/08 दिनांक 30.07.08 आर. 858	श्री तेजसिंह आ. श्री तुलसीराम नि. ग्राम आमखेड़ा, तह. लटेरी, जिला- विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
6	एचसीएम. 5507/08 दिनांक 30.07.08 आर. 858	श्री राजाराम आ. श्री मूलचन्द लोधी नि. ग्राम सीहोद, तह. ग्यारसपुर जिला-विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
7	एचसीएम. 5509/08 दिनांक 30.07.08 आर. 858	श्री उमाशंकर शर्मा आ. श्री बद्रीप्रसाद शर्मा नि. रामनगर, गंजबासोदा, जिला- विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
8	एचसीएम. 5510/08 दिनांक 30.07.08 आर. 858	श्री सोनू आ. श्री मुन्नालाल सेन नि. ग्राम दयानंदपुर (बदनपुर) जिला- विदिशा (पिता के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
9	एचसीएम. 5511/08 दिनांक 30.07.08 आर. 858	श्री ललित शर्मा आ. श्री शिवदयाल शर्मा. नि.वार्ड नं.15, नामदेव कालोनी, गंजबासौदा जिला- विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
10	एचसीएम. 5512/08 दिनांक 30.07.08 आर. 858	संचालक, स्वामी विवेकानंद रीजनल स्पाईन सेंटर, रिजर्व बैंक के पास, मैदा मिल के सामने एन.एच. 12, भोपाल मास्टर आकाश सोनी पुत्र श्री मनोहर सोनी, निवासी ग्राम पीपलखेड़ा, जिला- विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 60,000/- (साठ हजार)
		योग:-	रूपये 1,95,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,95,000/- (रूपये एक लाख पचानवे हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)-सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

पृष्ठा. कमांक एफ ए 7- 393/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
- 3 कोषालय अधिकारी, जिला- विदिशा/सीहोर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन
इन- टाजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित
कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-395/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- विदिशा/रीवा/भोपाल/राजगढ़.
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 70,000/- (रूपये सत्तर हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5495/08 दिनांक 30.07.08 आर. 859	संचालक, पीपुल्स हॉस्पिटल भानपुर, भोपाल. श्रीमती मोहनी विश्वकर्मा पत्नि श्री सुरेश विश्वकर्मा,आ. श्री शेरसिंह नि. गंजबासोदा, जिला- विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार)
2	एचसीएम. 5496/08 दिनांक 30.07.08 आर. 859	श्रीमती गीता बाई पत्नि श्री सुमेर सिंह मेहर, जिला-विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 5498/08 दिनांक 30.07.08 आर. 859	श्री श्याममनोहर सोनी नि.लक्ष्मीनारायणजी के मंदिर में नंदवाना, जिला-विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम. 5500/08 दिनांक 30.07.08 आर. 859	श्रीमती मेवाबाई पत्नि स्व. श्री मूलचन्द यादव नि. हीरापुर, वार्ड नं. 35, शिवमंदिर के पास, जिला-विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)

5	एचसीएम. 5502/08 दिनांक 30.07.08 आर. 859	श्री कमलेशकुमार पाण्डे आ.श्री गीताप्रसाद पाण्डे, नि. ग्राम पड़रा तह. रायपुर कर्चुलियान जिला-रीवा (पुत्री के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
6	एचसीएम. 5504/08 दिनांक 30.07.08 आर. 859	श्री भोजेन्द्र श्रेष्ठ नि. सर्वेट क्वार्टर, म.नं. डी-20,एसबीआई कालोनी, जोन 2,एमपी नगर जिला-भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
7	एचसीएम. 5506/08 दिनांक 30.07.08 आर. 859	संचालक, पीपुल्स हॉस्पिटल, भानपुर, भोपाल श्रीमती फूल बाई पत्नि श्री हरिसिंह, नि. ग्राम बामोरी तह.शमशाबाद जिला-विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
8	एचसीएम. 5509/08 दिनांक 30.07.08 आर. 859	श्रीमती चन्दनबाई पत्नि श्री प्यारजी सोंध्या, ग्राम रतनपुरिया, तह. ब्यावरा जिला-राजगढ़ (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
योग:-			रूपये 70,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 70,000/- (रूपये सत्तर हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)-सहायक अनुदान-007-अन्य व्दारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुरें)

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
भोपाल, दिनांक 11/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 395/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
- 3 कोषालय अधिकारी, जिला- विदिशा/रीवा/भोपाल/राजगढ़.(मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-390/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-बैतूल.
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 3,00,000/- (रूपये तीन लाख हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5312/08 दिनांक 21.07.08 आर. 860	कलेक्टर, बैतूल दिनांक 6.2.2008 को ग्राम माजरबानी से तीर्थयात्रा पर गये एक ही परिवार के 5 सदस्यों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से सहायता (रूपये 50,000/- प्रत्येक) दिनांक 6.2.2008 को ग्राम माजरबानी से तीर्थयात्रा पर गये एक ही परिवार के 5 सदस्यों के सड़क दुर्घटना में घायल हो जाने से सहायता (रूपये 10,000/- प्रत्येक)	रूपये 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रूपये 50,000/- (पचास हजार)
		योग:-	रूपये 3,00,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 3,00,000/- (रूपये तीन लाख हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 390/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 11/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
- 3 कोषालय अधिकारी, जिला- बैतूल (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टाजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7- 400/2008/एक (1)

भोपाल,दिनांक 13 /08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- भोपाल/सागर/शाजापुर/राजगढ़/होशंगाबाद/गुना
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 1,11,000/- (रूपये एक लाख ग्यारह हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5683/08 दिनांक 02.08.08 आर. 862	श्री भंवरलाल आ. श्री नाथूराम नि. कलारा तहसील बैरसिया जिला भोपाल (पुत्री के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
2.	एचसीएम. 5684/08 दिनांक 02.08.08 आर. 862	श्रीमती नर्बदी डाबी नि. मं.नं. 2730 गली नं 1, शिवनगर करौंद बैरसिया जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5685/08 दिनांक 02.08.08 आर. 862	श्री नरेश पाल आ. श्री गोपीलाल निवासी वार्ड क्रमांक 52, जिला भोपाल (लीवर के उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार मात्र)
4	एचसीएम. 5686/08 दिनांक 02.08.08 आर. 862	श्रीमती भूरीबाई पत्नि श्री बदामसिंह निवासी ग्राम चठौआ, पो. पीपलखेड़ी तहसील बैरसिया जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
5	एचसीएम. 5687/08 दिनांक 02.08.08 आर. 863	श्री मुन्नालाल आ. श्री बाबूलाल धानक निवासी संतकबीर वार्ड जिला सागर (उपचार हेतु)	रूपये 1,000/- (एक हजार मात्र)

6	एचसीएम. 5695/08 दिनांक 02.08.08 आर. 863	श्रीमती प्रेमरानी पत्नि श्री काशीराम कोरी निवासी केशवगंज वार्ड जिला सागर (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
7	एचसीएम. 5692/08 दिनांक 02.08.08 आर. 863	संचालक जवाहर लाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ईदगाह हिल्स भोपाल श्री बृजकिशोर मीना आ. श्री मोतीलाल मीना नि. ग्राम बावड़िया मैना तह. कालापपीपल जिला शाजापुर (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5702/08 दिनांक 02.08.08 आर. 863	श्री शफीक खां आ. श्री अलाददीन खां नि. मो. सरखेलवाड़ी वार्ड क्र. 9 सारंगपुर जिला राजगढ़ (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
9	एचसीएम. 5704/08 दिनांक 02.08.08 आर. 863	श्रीमती सुकियाबाई पत्नि श्री परसराम मीना नि. ग्राम फेफरताल, तह. व जिला होशंगाबाद (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
10	एचसीएम. 5706/08 दिनांक 02.08.08 आर. 863	श्री गुलाबसिंह आ. श्री हरनाथ सिंह नि. ग्राम नलखेड़ा तह. राधोगढ़ जिला गुना (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
11	एचसीएम. 5712/08 दिनांक 02.08.08 आर. 863	श्रीमती तापसी पत्नि श्री नितार्ई चन्द्रदास नि. जनता 342, कोटरा सुल्तानाबाद जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
12	एचसीएम. 5713/08 दिनांक 02.08.08 आर. 863	श्री झुल्लनदास नि. झुग्गी नं 581, दामखेड़ा सर्वधर्म ए-सेक्टर के पास राजाभोज मार्ग कोलार रोड जिला भोपाल (पुत्रो के उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
13	एचसीएम. 5714/08 दिनांक 02.08.08 आर. 863	संचालक, स्वामी विवेकानंद रीजनल स्पाईन सेंटर रिजर्व बैंक के पास मैदामिल के सामने एन.एच 12, भोपाल श्री इमाम मियां आ. श्री नब्बूखां नि. ग्राम कलखेड़ा पो. रातिबड़ तह. हुजूर जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार मात्र)
14	एचसीएम. 5715/08 दिनांक 02.08.08 आर. 863	श्री मोहन रजक आ. श्री पूरन नि. ग्राम विन्धई तह. बीना जिला होशंगाबाद (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
		योग:-	रूपये 1,11,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,11,000/- (रूपये एक लाख ग्यारह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 400/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- भोपाल/सागर/शाजापुर/राजगढ़/होशंगाबाद/गुना (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-402 / 2008 / एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

कलेक्टर,
जिला- भोपाल/रीवा/देवास/राजगढ़/इंदौर/विदिशा/रायसेन
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 2,47,000/- (रूपये दो लाख सैंतालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5688 / 08 दिनांक 02.08.08 आर. 864	श्रीमती किरण शर्मा पत्नी श्री अशोक शर्मा नि. झुग्गी न.32 वल्लभ नगर मजार के सामने भीमनगर जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000 /- (पांच हजार मात्र)
2.	एचसीएम. 5689 / 08 दिनांक 02.08.08 आर. 864	श्री रावेन्द्र सिंह आ. श्री श्याम सिंह नि. ग्राम चम्पागढ़ ब्लाक जवा तह. त्योंथर जिला रीवा (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5690 / 08 दिनांक 02.08.08 आर. 864	श्री दिलीप वर्मा निवासी 2 जयभारत नगर भेरुगढ़ जिला देवास (आंखो के उपचार हेतु)	रूपये 15,000 /- (पंद्रह हजार मात्र)
4	एचसीएम. 5693 / 08 दिनांक 02.08.08 आर. 864	श्री रामायण प्रसाद गौतम नि. ग्राम धवैया पो. रघुनाथगंज तह. मनगवां जिला रीवा (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार मात्र)
5	एचसीएम. 5696 / 08 दिनांक 02.08.08 आर. 864	श्रीमती सरस्वती केसवानी पत्नी स्व. श्री जी. डी. केसवानी नि. टी.-6 प्लॉट नं. सी.2 सिमरन रेसीडेंसी -3 पंजाबी बाग जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000 /- (पांच हजार मात्र)

6	एचसीएम. 5698/08 दिनांक 02.08.08 आर. 864	संचालक, सी.एच.एल. अपोलो अस्पताल इंदौर श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा आ. स्व श्री भागीरथ शर्मा नि. 109 चन्द्रशेखर मार्ग जूना ब्यावरा जिला राजगढ़ (उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार मात्र)
7	एचसीएम. 5700/08 दिनांक 02.08.08 आर. 864	संचालक, सी.एच.एल. अपोलो अस्पताल इंदौर कु नेहा मिश्रा माता श्रीमती सुषमा मिश्रा नि. कस्तूरबा ग्राम जिला इंदौर (उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5716/08 दिनांक 04.08.08 आर. 865	श्री रामप्रसाद प्रजापति नि. ग्राम सौराई पो. मिर्जापुर जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
9	एचसीएम. 5717/08 दिनांक 04.08.08 आर. 865	श्री प्रदीप आ. श्री जागाप्रसाद नि. ग्राम भन्ना खेडी तह. नटेरन जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
10	एचसीएम. 5718/08 दिनांक 04.08.08 आर. 865	संचालक, भोपाल मेमोरियल हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रायसेन बायपास रोड भोपाल श्री विष्णुप्रसाद चौरसिया आ. श्री दुर्गा नि. शमशाबांद तह जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 30,000/- (तीस हजार मात्र)
11	एचसीएम. 5719/08 दिनांक 04.08.08 आर. 865	श्री रतनलाल जायसवाल आ. स्व. श्री गजाधर प्रसाद नि. वार्ड क. 15 नगर पंचायत सांची जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
12	एचसीएम. 5720/08 दिनांक 04.08.08 आर. 865	संचालक, कृष्णा हॉस्पिटल चिकलोद रोड जहांगीराबाद, भोपाल श्रीमती शारदा बाई पत्नि श्री इमरतलाल भार्गव निवासी गंजबासौदा जिला विदिशा (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 35,000/- (पैंतीस हजार मात्र)
13	एचसीएम. 5721/08 दिनांक 04.08.08 आर. 865	श्रीमती सुलभा मुले निवासी शेरपुरा जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
14	एचसीएम. 5722/08 दिनांक 04.08.08 आर. 865	श्री फरोज खां आ. श्री पीर खां नि. शमशाबाद, जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
15	एचसीएम. 5723/08 दिनांक 04.08.08 आर. 865	श्री हरिसिंह आ. श्री भैयालाल रघुवंशी निवासी अयोध्या नगर कॉलोनी जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
		योग:-	रूपये 2,47,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 2,47,000/- (रूपये दो लाख सैंतालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-402/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- भोपाल/रीवा/देवास/राजगढ़/इंदौर/विदिशा /रायसेन (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 401/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

कलेक्टर,
जिला- होशंगाबाद/भोपाल/सागर/जबलपुर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5691/08 दिनांक 02.08.08 आर. 866	श्रीमती मालती बाई पत्नी श्री रामस्वरूप लोवंशीनि. ग्राम मकोड़िया तह. सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद (मानसिक रोग के उपचार हेतु)	रूपये 1,000/- (एक हजार मात्र)
2.	एचसीएम. 5694/08 दिनांक 02.08.08 आर. 866	श्रीमती धन्नाबाई नि. म.न. 1278 गंगानगर कोटरा जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5697/08 दिनांक 02.08.08 आर. 866	श्री ओमप्रकाश आ. स्व श्री हरीप्रसाद मेहरा नि. विकासनगर कालोनी हाउसिंग बोर्ड गैस राहत ब्लाक न. 16 के पीछे बैरसिया रोड जिला भोपाल (सड़क दुर्घटना में घायल पुत्र के उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
4	एचसीएम. 5699/08 दिनांक 02.08.08 आर. 866	श्री मदन ओशवाल नि. म.न. 34 पानी की टंकी के पास स्कूल के सामने ई-8 ईश्वर नगर भरत नगर जिला भोपाल (पत्नी के पेट की शल्य क्रिया हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
5	एचसीएम. 5701/08 दिनांक 02.08.08 आर. 866	श्री कल्लू रैकवार आ. श्री जगन्नाथ नि. क.न. 1080 गली न. 2 रोशन का बाग फूटी बावड़ी ऐशबाग जिला भोपाल (अपेंडिक्स के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)

6	एचसीएम. 5703/08 दिनांक 02.08.08 आर. 866	श्री तूफान सिंह आ. श्री ऊधम सिंह नि0 अग्रवाल आटा चक्की के पास जी-3/361 गुलमोहर जिला भोपाल (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
7	एचसीएम. 5705/08 दिनांक 02.08.08 आर. 866	श्री नाथूराम लखेरा आ. स्व. श्री पूरन सिंह नि. बड़ी बजरिया बिलगैया वार्ड तह. बीना जिला सागर (रीड की हड्डी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5707/08 दिनांक 02.08.08 आर. 866	श्रीमती यशोदा पाण्डे पत्नी स्व. श्री लक्ष्मण प्रसाद पाण्डेय नि. ग्राम लम्हेटाघाट जिला जबलपुर (पुत्र के मानसिक रोग के उपचार हेतु)	रूपये 7,000/- (सात हजार मात्र)
9	एचसीएम. 5708/08 दिनांक 02.08.08 आर. 866	श्रीमती चन्देश शर्मा पत्नी श्री महेन्द्र प्रकाश शर्मा नि. क्वाटर न. 68 पुलिस लाईन जिला होशंगाबाद (पति की किडनी बदलवाने हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
10	एचसीएम. 5709/08 दिनांक 02.08.08 आर. 866	संचालक, पिपुल्स हास्पिटल भानपुर भोपाल श्री रघवीर शिलावट नि. ग्राम नीलबड़ भदभदा रोड जिला भोपाल (पत्नी के पेट के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
11	एचसीएम. 5710/08 दिनांक 02.08.08 आर. 866	संचालक, चरक हास्पिटल जहांगीराबाद भोपाल, श्री सब्बालाल सराठे नि. ग्राम लोहारिया कला जिला होशंगाबाद (विमलेश को सड़क दुर्घटना में चोटो के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)
12	एचसीएम. 5711/08 दिनांक 02.08.08 आर. 866	हमीदिया अस्पताल भोपाल, श्री सीताराम श्रीवास्तव नि. 383 पोद्दार कालोनी शिवाजी वार्ड जिला सागर (घुटनो के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)
		योग:-	रूपये 1,00,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-401/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- होशंगाबाद/भोपाल/सागर/जबलपुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रिजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

कमांक एफ ए 7-399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-भोपाल
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये- 3,36,000/- (रूपये तीन लाख छत्तीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स कमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5521/08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	श्रीमती मृदुला माथुर, जी-111/68, शिवाजी नगर जिला भोपाल (ब्रेस्ट कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
2	एचसीएम. 5525/08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	कृ. नीतू गोखे म.नं. 24 फूटी बावड़ी दुर्गा मंदिर के पास पुष्पा नगर रोड जिला भोपाल (पेट में गठान के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
3	एचसीएम. 5529/08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	श्री प्रकाश मालवीय ग्राम विशनखेड़ी पोस्ट बरखेड़ा नाथू तह. हुजूर भदभदा रोड जिला भोपाल (छोटे भाई के किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
4	एचसीएम. 5533/08 दिनांक 01.08.08 आर. 867 मा. मंत्री श्री बाबूलाल गौर	श्री प्रदीप कुमार राय पिता श्री बी.एल. राय शेड नं. 7, डॉ. अम्बेडकर नगर साउथ टी. टी. नगर जिला भोपाल (पुत्री पलक के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
5	एचसीएम. 5538/08 दिनांक 01.08.08 आर. 867 मा. विधायक श्रीमती शशिप्रभा रामपाल सिंह	श्रीमती रुषा मिश्रा पत्नी श्री शिवदत्त मिश्रा ए-1/16, सौभाग्य नगर दुर्गा चौक सेमरा कलां जिला भोपाल (मस्तिष्क रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)

6	एचसीएम. 5541/08 दिनांक 01.08.08 आर. 867 मा. विधायक श्री छत्रपति सिंह	सुश्री श्वेता शर्मा पिता श्री हरिओम शर्मा झुग्गी नं. 154, वार्ड नं. 48 अर्जुन नगर जिला भोपाल (पिताजी के श्वास रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
7	एचसीएम. 5543/08 दिनांक 01.08.08 आर. 867 मा. मंत्री श्री राघवजी	श्रीमती रीना मीना पत्नी श्री घनश्याम मीना पारस नगर विश्वकर्मा नगर करोंद बैरसिया रोड जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
8	एचसीएम. 5545/08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	श्री हरिकिशन डबला मकान नं. 670 कोटरा सुल्तानाबाद जिला भोपाल (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
9	एचसीएम. 5548/08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	श्रीमती रसकुंवर बाई म.नं. 42 गोमती कालोनी नेहरू नगर जिला भोपाल (हृदय एवं पेट रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
10	एचसीएम. 5550/08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	श्रीमती गुंजन ठाकुर पति श्री चंदन सिंह ठाकुर झुग्गी नं. 3, 55/39 के पास टांजिस्ट हॉस्टल साउथ टी. टी. नगर जिला भोपाल (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
11	एचसीएम. 5553/08 दिनांक 01.08.08 आर. 867 मा. विधायक श्री उमाशंकर गुप्ता	श्रीमती सुष्मिता सेन पत्नी श्री अशोक कुमार सेन झुग्गी नं. 17, छत्रपति शिवाजी कालोनी चूना भट्टी जिला भोपाल (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
12	एचसीएम. 5554/08 दिनांक 01.08.08 आर. 867 मा. विधायक श्रीमती शशिप्रभा रामपाल सिंह	श्रीमती निशा सेन पत्नी श्री मुकेश सेन म. नं. 420, पंचशील नगर बंगाली कालोनी जिला भोपाल (उदर एवं लिकोरिया की बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
13	एचसीएम. 5557/08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	कृ. भारती डाण्डे पुत्री श्री श्यामलाल डाण्डे 82, पानी की टंकी के सामने नवीन नगर ऐशबाग जिला भोपाल (पिताजी के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
14	एचसीएम. 5559/08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	श्रीमती शीला वर्मा म. नं. एस.बी.आई. -103, सुनहरी बाग साउथ टी. टी. नगर जिला भोपाल (बच्चेदानी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
15	एचसीएम. 5561/08 दिनांक 01.08.08 आर. 867 मा. विधायक श्री मारोत राव खवसे	श्रीमती मीरा बाई पत्नी श्री जनकराम म. नं. ई 36/45 बंगला स्टाफ क्वाटर जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)

16	एचसीएम. 5564 / 08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	संचालक सुरभि हास्पिटल जहांगीराबाद भोपाल श्री आरिफ आ. श्री शहादत खॉ कोलीपुरा जहांगीराबाद जिला भोपाल (फेफड़ों के उपचार हेतु)	रूपये 20,000 /— (बीस हजार)
17	एचसीएम. 5566 / 08 दिनांक 01.08.08 आर. 867 मा. विधायक श्री जयराम सिंह मार्को	श्री शैखीलाल सेन झुग्गी नं. 11, ईश्वर नगर कलियासोत डेम के नीचे एक्सिलेंस कालेज रोड जिला भोपाल (पुत्री मीना सेन के ब्रेस्ट में स्टोंग के उपचार हेतु)	रूपये 4,000 /— (चार हजार)
18	एचसीएम. 5567 / 08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	श्रीमती रेशमा बाई पत्नी श्री पर्वतराम सब्जी मण्डी न्यू मार्केट टेलर मास्टर के पास म. नं. 28 / 152, के पास जिला भोपाल (पेट दर्द, उदर एवं ब्लड प्रेशर की बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 /— (पांच हजार)
19	एचसीएम. 5569 / 08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	श्री दीपक मगर म. नं. 3 पत्रकार भवन के पास मालवीय नगर जिला भोपाल (पुत्री रूपाली के लीवर के उपचार हेतु)	रूपये 8,000 /— (आठ हजार)
20	एचसीएम. 5572 / 08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	श्रीमती ऊषा कलमें एस-1035 नेहरू नगर जिला भोपाल (गठियावात एवं श्वास रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /— (दस हजार)
21	एचसीएम. 5576 / 08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	अधीक्षक, हमीदिया हास्पिटल भोपाल श्री अनिल सक्सेना पिता श्री ओमप्रकाश सक्सेना जे-57, ई. डब्ल्यू. एस. भगत सिंह चौराहा शांतिग काम्प्लेक्स के पीछे टीलाजमालपुरा जिला भोपाल (पिताजी के कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 30,000 /— (तीस हजार)
22	एचसीएम. 5579 / 08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	श्री अब्दुल सलाम आ. श्री अब्दुल्ला झुग्गी नं. 203 संजय नगर किदवई रोड शाहजहानाबाद जिला भोपाल (अल्सर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 /— (पांच हजार)
23	एचसीएम. 5582 / 08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	श्री विलायत अली सेक्टर नं. 11 गांधी नगर जिला भोपाल (पुत्री शाहजहां की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000 /— (पांच हजार)
24	एचसीएम. 5586 / 08 दिनांक 01.08.08 आर. 867 मा. विधायक श्री शरद जैन	श्री भरतलाल बिरनवार पिता श्री सोमन लाल पं. दीनदयाल परिसर ई-2 / 21, अरेरा कालोनी जिला भोपाल (पत्नी श्रीमती लीना के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 /— (पांच हजार)
25	एचसीएम. 5590 / 08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	श्रीमती सईदा बानो 163, अफजल कालोनी जिंसी जिला भोपाल (पुत्री कु. सायमा रईस के पेट के उपचार हेतु)	रूपये 15,000 /— (पन्द्रह हजार)

26	एचसीएम. 5593 / 08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	संचालक शिवम मेडीकल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल श्री राजेश कुमार झा पुत्र स्व. श्री हरिशंकर झा पं. दीनदयाल परिसर ई-2/21, अरेरा कालोनी जिला भोपाल (डीएनएस-बीएल की बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 20,000 / - (बीस हजार)
27	एचसीएम. 5597 / 08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	श्री राकेश बाथम म. नं. 21 बुधवारा भोईपुरा जिला भोपाल (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
28	एचसीएम. 5600 / 08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	श्रीमती प्रेमबाई पत्नी श्री प्रेमनारायण झुग्गी नं. 44 वार्ड नं. 52 इन्द्रा नगर जिला भोपाल (पति के अल्सर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 8,000 / - (आठ हजार)
29	एचसीएम. 5604 / 08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	श्री जुबेर खान पिता श्री सरवर खान झुग्गी नं. 36 आलम नगर रायसेन रोड बायपास रोड रत्नागिरी के सामने जिला भोपाल (सिर के उपचार हेतु)	रूपये 2,000 / - (दो हजार)
30	एचसीएम. 5606 / 08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	मो. तोफीक खान 12 पुल बोगदा मुकद्दस नगर अमन शादी हाल के पीछे जिला भोपाल (पुत्री कु. रुखसार के हृदय रोग के उपचार)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
31	एचसीएम. 5610 / 08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	श्रीमती मुन्नी नागेले पत्नी श्री मिहीलाल नागेले झुग्गी नं. 121, 100 क्वाटर्स पिपलानी जिला भोपाल (पेट रोग के उपचार हेतु)	रूपये 2,000 / - (दो हजार)
32	एचसीएम. 5613 / 08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	श्रीमती निर्मला ठाकुर पिता श्री गुलाब सिंह ठाकुर 14/9 साउथ टी. टी. नगर जिला भोपाल (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000 / - (पन्द्रह हजार)
33	एचसीएम. 5616 / 08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	श्री राहुल चन्द्रवंशी उप संपादक जी-139, गौतम नगर जिला भोपाल (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000 / - (पन्द्रह हजार)
34	एचसीएम. 5618 / 08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	श्री मनोज मालवीय एम. आई. जी.-53 सेक्टर 2-सी साकेत नगर जिला भोपाल (पत्नी श्रीमती मंजू मालवीय के बच्चेदानी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
35	एचसीएम. 5621 / 08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	श्री मोहम्मद शौकत आ.श्री मोहम्मद करीम इन्द्रा कालोनी बाग उमराव दूल्हा जिला भोपाल (पुत्र की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)

36	एचसीएम. 5625/08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	संचालक, स्वामी विवेकानन्द रीजनल स्पाइन सेंटर भोपाल श्री मनोज शर्मा कौशल मरघटिया महावीर मंदिर थाना शाहजहानाबाद के पास जिला भोपाल (माताजी श्रीमती दयावन्ती शर्मा के न्यूरो सर्जरी हेतु)	रूपये 35,000/- (पैंतीस हजार)
37	एचसीएम. 5628/08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	श्रीमती बबीता बाथम पत्नी श्री राजवीर बाथम म. नं. 34 गली नं. 1 भोईपुरा बुधवारा छोटे तालाब के पास जिला भोपाल (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
38	एचसीएम. 5642/08 दिनांक 01.08.08 आर. 867	श्री संतोष कुमार पुत्र श्री सत्य नारायण झुग्गी नं. 314 सूचना प्रकाशन के पीछे रोशनपुरा नाका जिला भोपाल (रीढ़ की हड्डी के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
योग:-			रूपये 3,36,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये- 3,36,000/- (रूपये तीन लाख छत्तीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

6/591

2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- भोपाल (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-ग्वालियर,
(मध्यप्रदेश)

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि राशि रूपये 1,54,000/- (रूपये एक लाख चौपन हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5646/08 दिनांक 01.08.08 आर. 868	श्री गणपति सेन पुत्र श्री कुन्जीलाल पान पत्ते की गोंठ लश्कर जिला ग्वालियर (दोनों पैरों में पड़े मवाद के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 5650/08 दिनांक 01.08.08 आर. 868	श्रीमती सुनीता त्यागी पत्नी स्व. श्री राजेश त्यागी रामदास घाटी आदर्श कालोनी लश्कर जिला ग्वालियर (पति की हत्या हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 5653/08 दिनांक 01.08.08 आर. 868	श्रीमती जफरन बानो पत्नी श्री नसरुद्दीन मेवाती मोहल्ला मस्जिद के सामने बहोडापुर जिला ग्वालियर (कैसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
4	एचसीएम. 5657/08 दिनांक 01.08.08 आर. 868	श्रीमती मंजू रजक पत्नी श्री दीवानसिंह माधवी नगर गदाईपुरा जिला ग्वालियर (पति के ऊपर दीवार गिर जाने से हुई मृत्यु के कारण सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
5	एचसीएम. 5659/08 दिनांक 01.08.08 आर. 868	श्रीमती सुषमा अग्रवाल पत्नी श्री अरविन्द अग्रवाल छत्री बाजार लश्कर जिला ग्वालियर (पति के गुर्दे के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)

6	एचसीएम. 5665/08 दिनांक 01.08.08 आर. 868 मा. विधायक श्री बृजेन्द्र तिवारी	श्री इन्दल सिंह रावत ग्राम अमरोल विकासखण्ड भितरवार जिला-ग्वालियर (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
7	एचसीएम. 5661/08 दिनांक 01.08.08 आर. 868	श्रीमती सुशीलाबाई गोल पहाडिया जिला ग्वालियर (पुत्र के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
8	एचसीएम. 5664/08 दिनांक 01.08.08 आर. 868	श्री परसराम गुर्जर सत्यनारायण पहाडी शिवनगर वार्ड कं-2 जिला ग्वालियर (पुत्र धमेन्द्र गुर्जर के गंभीर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार) माननीय मुख्यमंत्री जी के ग्वालियर प्रवास दिनांक 18.6.08. के दौरान दिये गये निर्देशानुसार
9	एचसीएम. 5514/08 दिनांक 01.08.08 आर. 868	श्री भूरा पुत्र श्री सटूराम नि.वीरमपुरा जिला-ग्वालियर (टी.बी.रोग के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
10	एचसीएम. 5515/08 दिनांक 01.08.08 आर. 868	श्री प्रेमनारायण जाटव नि. माधोनगर गोल पहाडिया लशकर जिला-ग्वालियर (पुत्र राहुल की मृत्यु होजाने से)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
11	एचसीएम. 5516/08 दिनांक 01.08.08 आर. 868	श्री अब्दुल हमीद कादरी शहर काजी श्री साहब का बाड़ा कम्पू जिला-ग्वालियर (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
12	एचसीएम. 5517/08 दिनांक 01.08.08 आर. 868	श्री बालाप्रसाद प्रजापति नि. रामकुई नई सड़क जिला-ग्वालियर (पत्नी श्रीमती शांतिबाई के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
योग:-			रूपये 1,54,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,54,000/- (रूपये एक लाख चौपन हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)-सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- ग्वालियर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- रायसेन / सीहोर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 2,39,714/- (रूपये दो लाख उनचालीस हजार सात सौ चौदह)मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5518/08 दिनांक 01.08.08 आर. 869	श्री सत्यनारायण मीना पिता श्री बाबूलाल मीना ग्राम चौपन मंडया बाडी तह. बरेली जिला रायसेन (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 5519/08 दिनांक 01.08.08 आर. 869	संचालक भोपाल फेक्चर हास्पिटल एण्ड सर्जिकल सेंटर भोपाल श्रीमती कांति बाई पत्नी श्री नारायण सिंह चौहान बकतरा जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 23,000/- (तेईस हजार)
3	एचसीएम. 5522/08 दिनांक 01.08.08 आर. 869	संचालक चिरायु हेल्थ एण्ड मेडीकेअर सेंटर भोपाल श्री छोटेलाल पुत्र श्री इमरत लाल ग्राम डोबी तह. बुधनी जिला सीहोर (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)

4	एचसीएम. 5527/08 दिनांक 01.08.08 आर. 869	संचालक चिरायु हेल्थ एण्ड मेडीकेअर सेंटर भोपाल श्रीमती रेखा चौहान पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह चौहान ग्राम जौनतला तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 19,926/- (उन्नीस हजार नौ सौ छब्बीस)
5	एचसीएम. 5530/08 दिनांक 01.08.08 आर. 869	संचालक चिरायु हेल्थ एण्ड मेडीकेअर सेंटर भोपाल श्री रमेश चौहान पिता श्री हरदयाल चौहान ग्राम जौनतला तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
6	एचसीएम. 5532/08 दिनांक 01.08.08 आर. 869	संचालक चिरायु हेल्थ एण्ड मेडीकेअर सेंटर भोपाल श्री दीनदयाल विश्वकर्मा आ. श्री नन्हेलाल विश्वकर्मा ग्राम डोबी तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 11,788/- (ग्यारह हजार सात सौ अठासी)
7	एचसीएम. 5535/08 दिनांक 01.08.08 आर. 869	संचालक चिरायु हेल्थ एण्ड मेडीकेअर सेंटर भोपाल श्री जगदीश गौगिया नेहरू कालोनी स्टेशन रोड जिला सीहोर (पुत्री सिया गौगिया के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
8	एचसीएम. 5537/08 दिनांक 01.08.08 आर. 869	संचालक चिरायु हेल्थ एण्ड मेडीकेअर सेंटर भोपाल श्री कृष्णकान्त दुबे पुत्र स्व. श्री राम दुबे ग्राम लाडकुई नसरुल्लागंज जिला सीहोर (माताजी श्रीमती शांता दुबे के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
9	एचसीएम. 5540/08 दिनांक 01.08.08 आर. 869	श्री गणेशराम आ. स्व. श्री ओंकार लाल ग्राम लसूडिया खास तह. आष्टा जिला सीहोर (पुत्र के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
10	एचसीएम. 5571/08 दिनांक 01.08.08 आर. 869	श्रीमती अरसिन जहां पुत्री श्री बन्ने खां कस्बा जिला सीहोर (पुत्री कु. नाहीद जहां की रीढ़ की हड्डी के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
11	एचसीएम. 5574/08 दिनांक 01.08.08 आर. 869	श्री प्रभूराम मीना आ. श्री दयाराम मीना ग्राम गादर तह. बुधनी जिला सीहोर (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार)

12	एचसीएम. 5577/08 दिनांक 01.08.08 आर. 869	संचालक सिटी हास्पिटल भोपाल श्री शिवनारायण मीना (मारन) आ.श्री प्रभूराम ग्राम गादर तह. बुदनी जिला सीहोर (दुर्घटना में घायल होने से उपचार हेतु)	रूपये 45,000/- (पैंतालीस हजार)
		योग:-	रूपये 2,39,714/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 2,39,714/- (रूपये दो लाख उनचालीस हजार सात सौ चौदह) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
- 3 कोषालय अधिकारी, जिला- रायसेन/सीहोर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
- 4 मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-विदिशा
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,78,000/- (रूपये एक लाख अटहत्तर हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5581/08 दिनांक 01.08.08 आर. 870	श्रीमती पान बाई पत्नी स्व. श्री रम्मूलाल मेहतर ग्राम पिपरिया तह. नटेरन जिला विदिशा (करीला मेले में पति की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 1.00 लाख (एक लाख) मा. मुख्यमंत्री जी के घोषणा के पालन में
2	एचसीएम. 5585/08 दिनांक 01.08.08 आर. 870	श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री दुर्गाप्रसाद विश्वकर्मा सेमरा तह. बासोदा जिला विदिशा (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम. 5587/08 दिनांक 01.08.08 आर. 870	श्री विजय कुमार सैनी पुत्र श्री हरिराम सैनी सिरोंज चौराहा तह. गंजबासौदा जिला विदिशा (पुत्र दीपक के पेट रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
4	एचसीएम. 5589/08 दिनांक 01.08.08 आर. 870	श्री नवलसिंह पुत्र श्री कालूराम ग्राम अहमदाखिल्ली तह.सिरोंज जिला विदिशा (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)

5	एचसीएम. 5592/08 दिनांक 01.08.08 आर. 870	श्रीमती रेखा बाई वंशकार पत्नी श्री संतोष कुमार वंशकार ग्राम वेदनखेड़ी बरबटपुरा तह. बासौदा जिला विदिशा (पति के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
6	एचसीएम. 5596/08 दिनांक 01.08.08 आर. 870	श्री दयाशंकर शर्मा ग्राम पिपरिया पाराशर तह. ग्यारसपुर जिला विदिशा (कान के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
7	एचसीएम. 5598/08 दिनांक 01.08.08 आर. 870	श्री नंदकिशोर नामदेव ग्राम पोस्ट बालावरखेड़ा जिला विदिशा (पेट में पथरी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
8	एचसीएम. 5601/08 दिनांक 01.08.08 आर. 870	श्री बलराम पुत्र श्री सुमेर सिंह ग्राम डंगरवाड़ा तह. शमशाबाद जिला विदिशा (पुत्र अंकित के टी. बी. रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
9	एचसीएम. 5603/08 दिनांक 01.08.08 आर. 870	श्रीमती शहनाज बी पत्नी श्री हामिद खां, डपरयाई तह. नटेरन जिला विदिशा (पुत्री मुन्नी बी के पीलिया रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
10	एचसीएम. 5605/08 दिनांक 01.08.08 आर. 870	श्री केशव प्रसाद पुत्र श्री हरिराम सैनी सिरोंज चौराहा तह. बासोदा जिला विदिशा (पुत्र नवीस कुमार के कान के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
योग:-			रूपये 1,78,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,78,000/- (रूपये एक लाख अटहत्तर हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा **इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर **15 दिवस के भीतर** निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। **यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।**

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)-सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- विदिशा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-इन्दौर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,45,000/- (रूपये एक लाख पैतालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5607/08 दिनांक 01.08.08 आर. 871	संचालक बाम्बे हास्पिटल ट्रस्ट मुम्बई श्री आशुतोष दुबे, 98, ओल्ड 104 न्यू रेडियो कालोनी जिला इन्दौर (पुत्र के मस्क्यूलर एट्राफी के उपचार हेतु)	रूपये 1.00 लाख (एक लाख)
2	एचसीएम. 5611/08 दिनांक 01.08.08 आर. 871 मा. विधायक श्री भूपेन्द्र आर्य	श्री मोहनलाल पाटीदार 126 ए न्यू द्वारकापुरी जिला इन्दौर (पुत्र रूपम के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
3	एचसीएम. 5615/08 दिनांक 01.08.08 आर. 871 मा.मंत्री श्री कमल पटेल	श्री महेश जोशी 199/6 रामनगर बड़ी भमौरी जिला इन्दौर (पुत्री कु0 अदिती के कानों के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
4	एचसीएम. 5612/08 दिनांक 01.08.08 आर. 871	श्रीमती मायादेवी पत्नी स्व.श्री प्यारेलाल 64 डी.एस.मेस, सर्वेन्ट क्वार्टर महू जिला इन्दौर (हृदय वाल्व के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
योग:-			रूपये 1,45,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 1,45,000/- (रूपये एक लाख पैतालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- इन्दौर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-होशंगाबाद
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5620/08 दिनांक 01.08.08 आर. 872	श्रीमती राधा बाई पत्नी श्री मन्नूलाल सोनी ग्राम भमेड़ी तह. सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद (पति के पैर के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 5623/08 दिनांक 01.08.08 आर. 872	श्री मयंक शुक्ला आ.श्री राजेन्द्र शुक्ला सरस्वती विद्या मंदिर मालवीय गंज इटारसी जिला होशंगाबाद (भाई शिशिर शुक्ला के रोमेटिक कोरिया की बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
		योग:-	रूपये 25,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.

प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-गुना
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5627/08 दिनांक 01.08.08 आर. 873 मा.विधायक श्री गोपीलाल जाटव	श्री झारसिंह पुत्र श्री पहलवानसिंह यादव ग्राम पिपरोदाय केशराज जिला गुना (पुत्र की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 5,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-गुना (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-धार
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5629/08 दिनांक 01.08.08 आर. 874	श्रीमती तेजूबाई पति श्री बद्रीलाल मांगरोल तह. व जिला धार (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
योग:-			रूपये 15,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013--105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)-सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- धार (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
-:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-मुरैना
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 39,000/- (रूपये उनचालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5631/08 दिनांक 01.08.08 आर. 875 मा.विधायक श्री गजराज सिंह	श्री नरेन्द्र सिंह राठौर ग्राम बहरारे का पुरा खाडौली तह.जौरा जिला मुरैना (दोनों पैरों के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 5634/08 दिनांक 01.08.08 आर. 875 एचसीएम. 5635/08 दिनांक 01.08.08 आर. 875 एचसीएम. 5637/08 दिनांक 01.08.08 आर. 875 मा.विधायक श्री बंशीलाल जाटव	1. श्री वीरेन्द्र पिता श्री रामस्वरूप ग्राम सेथरा वाडई तह.पोरसा जिला मुरैना (ब्लड प्रेशर के उपचार हेतु) 2. श्रीमती महादेवी पति श्री आशाराम ग्राम खैरिया बुधारा तह.पोरसा जिला मुरैना (ब्लड प्रेशर के उपचार हेतु) 3. श्री रामनाथ दास ग्राम कुम्हरपुरा तह. अम्बाह जिला मुरैना (ब्लड प्रेशर के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार) रूपये 3,000/- (तीन हजार) रूपये 3,000/- (तीन हजार)
3	एचसीएम. 5643/08 दिनांक 01.08.08 आर. 875	श्री गूंगा गांधी पुत्र श्री आयुदी गांधी संजय नगर जौरा जिला मुरैना (मूकबधिरता के कारण सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)

4	एचसीएम. 5641/08 दिनांक 01.08.08 आर. 875 मा.मंत्री श्री रूस्तम सिंह	श्री गंगाराम जाटव उत्तमपुरा वार्ड कं-2 भरोसी नेताजी वाली गली जिला मुरैना (नाती चन्द्र शेखर के सिर के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
		योग:-	रूपये 39,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 39,000/- (रूपये उनचालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- मुरैना (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

कलेक्टर,
जिला-सागर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,50,000/- (रूपये एक लाख पचास हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5644/08 दिनांक 01.08.08 आर. 876 मा.विधायक श्रीमती सुशीला राकेश सीरोठिया एचसीएम. 5647/08 दिनांक 01.08.08 आर. 876	1. श्री जाफर पिता श्री मोहम्मद अली दुबे डाक्टर के पीछे सिविल लाईन जिला सागर (बोन टी. बी.. के उपचार हेतु) 2. कु. निक्की पिता स्व. श्री अनीस मोहम्मद वसारी दरवाजे के पास खिमलासा तह. खुरई जिला सागर (सिर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार) रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 5649/08 दिनांक 01.08.08 आर. 876	श्रीमती अर्चना जैन पति श्री महेन्द्र जैन वार्ड नं. 14 जैन धर्मशाला पटनागंज रहली जिला सागर (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम. 5652/08 दिनांक 01.08.08 आर. 876 मा. विधायक श्रीमती सुशीला राकेश सीरोठिया	श्री जमुना प्रसाद मुदगल टैगोर वार्ड खुरई जिला सागर (पत्नी श्रीमती मीना मुदगल के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
4	एचसीएम. 5655/08 दिनांक 01.08.08 आर. 876 मा. मंत्री श्री गोपाल भार्गव	श्री हरिनारायण आ. श्री नाथूराम गडरिया वार्ड नं. 14 रहली जिला सागर (रीढ़ की हड्डी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)

5	एचसीएम. 5520/08 दिनांक 01.08.08 आर. 876	श्री सतीष कुमार विश्वकर्मा पिता श्री हरदास विश्वकर्मा ग्राम सीटफार्म बमोरी जिला सागर (आंखों के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
6	एचसीएम. 5523/08 दिनांक 01.08.08 आर. 876	श्री रामगोपाल उपाध्याय पिता श्री श्यामलाल उपाध्याय ग्राम पडरिया तह. बीना जिला सागर (पुत्र छोटू के किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
7	एचसीएम. 5524/08 दिनांक 01.08.08 आर. 876	श्री रामगोपाल पिता श्री भैयालाल सोनी वार्ड नं. 6 रहली जिला सागर (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
8	एचसीएम. 5526/08 दिनांक 01.08.08 आर. 876	श्रीमती हलकी बाई पति श्री कल्ला अहिरवार गंगऊवा तह. खुरई जिला सागर (स्तन कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
9	एचसीएम. 5528/08 दिनांक 01.08.08 आर. 876	श्री हेमराज अहिरवार पिताश्री रामकिशन अहिरवार राजीव नगर वार्ड जिला सागर (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
10	एचसीएम. 5531/08 दिनांक 01.08.08 आर. 876	श्री हरिराम यादव सुभाष वार्ड बीना जिला सागर (पत्नी श्रीमती रामवती यादव के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
11	एचसीएम. 5534/08 दिनांक 01.08.08 आर. 876	श्री पूरनलाल अहिरवार पिता श्री तुलसीराम अहिरवार ग्राम बम्होरी बीना जिला सागर (पत्नी श्रीमती गुड़डी बाई के पेट एवं किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
12	एचसीएम. 5536/08 दिनांक 01.08.08 आर. 876	श्री मन्जल धानक पिता श्री नन्हा धानक घाटमपुर जिला सागर (पुत्री की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
13	एचसीएम. 5539/08 दिनांक 01.08.08 आर. 876	श्री भोले अहिरवार वल्द श्री पारीक्षत अहिरवार ग्राम दुरुवा तह. बीना जिला सागर (टी. बी. रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
14	एचसीएम. 5542/08 दिनांक 01.08.08 आर. 876	श्री रघुराज पिता श्री प्रेम नोना चमारी साकिन खजरा हरचन्द्र तह. खुरई जिला सागर (पुत्री काजल के मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
15	एचसीएम. 5544/08 दिनांक 01.08.08 आर. 876	श्री रबू पिता श्री मंचे अहिरवार नागटोरिया तह. खुरई जिला सागर (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)

16	एचसीएम. 5546/08 दिनांक 01.08.08 आर. 876	श्री बुन्देल सिंह लोधा चौका दमोह (शाहपुर) जिला सागर (पत्नी की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
17	एचसीएम. 5547/08 दिनांक 01.08.08 आर. 876	श्री राजेन्द्र सिंह ग्राम मालखेड़ी तह. बीना जिला सागर (घुटने के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 1,50,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,50,000/- (रूपये एक लाख पचास हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- सागर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.

6. संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग